खण्ड-193, अंक-10
मंगलवार, 4 चैत्र, शक संवत् 1880
(25 मार्च, 1958 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 193 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २५ मार्च, १९५८ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य (३७०)

अक्षयवरसिंह, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अशफाक अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फत सिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्श सिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गंदादेवी, श्रीमती

गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली , श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री

ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती

प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुना प्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ़ जाफ़री, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राधवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री

राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र विक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री

सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २५ मार्च, १९५८ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले की टाउन एरिया, मुबारकपुर, में मेहतरों की कथित हड़ताल

**१—श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या टाउन एरिया मुबारकपुर, जिला आजमगढ़, में मेहतरों की हड़ताल चल रही है ?

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—जी नहीं।

**२—श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—यदि हां, तो कब से तथा क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि क्या यह सही है कि ३ मार्च से लेकर १५ मार्च तक वहां के मेहतरों की हड़ताल इस कारण चली कि ४ महीने का उनको वेतन नहीं दिया गया था और १५ मार्च को जब वेतन दिया गया तो हड़ताल समाप्त हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव—हां, यह तो सही है।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—क्या यह सही है कि जो मेहतरों की मांगें थी उनमें यह मांग थी कि सरकार द्वारा ५ रुपया मंहगाई भत्ता जो दिया गया है, वह वहां पर नहीं दिया जाता ?

श्री रामस्वरूप यादव—मुझे इस मांग की तो ज्ञान नहीं है, लेकिन मेहतरों को ५ रुपये नहीं दिये जा सकते हैं। जो फुल टाइम सर्वेंट्स हैं उन्हीं को ५ रुपया जो बढ़ाया गया है, वह दिया जा सकता है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब मेहतरों ने हड़ताल शुरू की, उन्होंने उसके पहले सरकार को नोटिस दी थी ?

श्री अध्यक्ष---यह टाउन एरिया से सम्बन्धित है, सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या होल टाइम और पार्ट टाइम मेहतरों के मंहगाई भत्ते में जो परिवर्तन किया गया है और पार्ट-टाइम वालों को नहीं दिया जायगा उसके कारण क्या हैं ?

स्वशासन मन्त्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---स्पष्ट है कि जो होल टाइम वर्कर्स हैं, वह वर्कर्स समझे जाते हैं और जो थोड़े टाइम के लिये आते हैं उनको नहीं समझा जाता ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि प्रश्न १ का उत्तर दिया गया है "जी नहीं" और फिर सप्लीमेंटरी में स्वीकार किया गया है कि ३ मार्च से १५ मार्च तक हड़ताल हुई, इन दोनों में सही कौन है ?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न गलतफहमी पर आधारित है । प्रश्न यह था कि क्या हड़ताल चल रही है, उसके उत्तर में उन्होंने कहा कि नहीं चल रही है ।

किछा चीनी मिल को इम्पोर्ट लाइसेन्स न मिलना

****३---श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या यह सही है कि किछा चीनी मिल के निर्माण हेतु अभी तक लाइसेंस नहीं दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्योग उप-मंत्री (श्री रऊफ़ जाफ़री)---जी नहीं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि लाइसेंस किस तारीख को दिया गया ?

श्री रऊफ़ जाफ़री---तारीख तो इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन लाइसेंस दे दिया गया है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इस किछा शुगर फैक्टरी की बिल्डिंग बन चुकी है और टिन भी लग चुकी हैं, लेकिन वहां पर कोई मशीन नहीं आ पा रही है क्योंकि कोई लाइसेंस उनको नहीं प्राप्त हुआ है ?

श्री रऊफ़ जाफ़री---सवाल में निर्माण लाइसेन्स था, वह मिल गया है । इम्पोर्ट लाइसेन्स नहीं मिला है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जो दूसरा लाइसेन्स माननीय मंत्री जी बता रहे हैं वह क्यों नहीं मिल रहा है और कबतक मिल जायगा ?

श्री रऊफ़ जाफ़री---उसके लिये केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की गयी है और कोशिश की जा रही है कि मिल जाय ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या उद्योग मंत्री जी यह बताने की मेहरबानी करेंगे कि यह फैक्टरी कितने दिनों में चल पायेगी ?

श्री रऊफ़ जाफ़री---इसका जवाब तो उसी वक्त दिया जा सकता है जबकि इम्पोर्ट लाइसेन्स इश्यू हो जाय ।

बी० एम० बी० एस० पास छात्रों को पी० एम० एस० में लेने की प्रार्थना

**४--श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बी० एम० बी० एस० के छात्रों का रजिस्ट्रेशन कहां से होगा तथा क्या उनको पी० एम० एस० की सर्विसेज भी दी जावेंगी ?

कृषि मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)--बी० एम०बी०एस० उत्तीर्ण छात्रों का रजिस्ट्रेशन बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन, उत्तर प्रदेश द्वारा होगा। किन्तु उन्हें पी० एम० एस० की सर्विसेज नहीं दी जा सकतीं।

श्री शिवराजबहादुर--क्या माननीय मंत्री जी बताने की तकलीफ गवारा करेंगे कि इन दोनों की तालीम में क्या फर्क है ?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं इसके लिये माननीय सदस्य स्वयं नियमों और करीकुलम को देख लें।

श्री शिवराजबहादुर--क्या यह सही है कि २३ मार्च, १९५५ को विधान परिषद में एक प्रश्न का उत्तर देते हुये माननीय चन्द्रभानु गुप्त ने यह कहा था कि बी० एम० बी० एस० के वही एमाल्युमेंट्स होंगे जो पी० एम० एस० के होंगे ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या २३ मार्च, १९५५ को दिये गये उत्तर में माननीय मंत्री जी की ओर से यह कहा गया था कि इन विद्यार्थियों को पी० एम० एस० II के समकक्ष ही कोई ग्रेड दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष--यह तो जवाब दे दिया गया कि उनको याद नहीं है। आप २५ मर्तबा पूछें तो वही उत्तर आयेगा। मैं उस उत्तर को रिपीट नहीं कराना चाहता।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--क्या सरकार पिछले मंत्री जी द्वारा दिये गये वादे को पुनः देख कर उसके मुताबिक काम करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जो उचित है वह मैं कर रहा हूं।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को यह मालूम है कि इन विद्यार्थियों के कोर्स में भी आयुर्वेद, प्राचीन विद्या और नवीन विद्या दोनों को मिला कर पढ़ाने की व्यवस्था है और जब ये कोर्स वे पढ़ते हैं तो उनको डिग्री क्यों न दी जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मैं माननीय प्रश्नकर्त्ता महोदय की तवज्जह सिलेबस की तरफ दिलाता हूं। जो सिलेबस मौजूद है उसके हिसाब से उनको डिग्री दी जाती है। पी० एम० एस० की डिग्री के लिये वह सिलेबस नहीं है।

श्री अध्यक्ष--मैं जरा एक चीज साफ कर दूं। पी० एम० एस० कोई डिग्री नहीं है, यह सर्विस है और बी० एम० बी० एस० डिग्री है। दोनों में आप करीकुलम पूछते हैं, यह एक अजीब सी बात है। इसलिये माननीय सदस्य इस फरक को ध्यान में रख कर सवाल करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इस प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करेंगे कि इन बी० एम० बी० एस० पास छात्रों को जो कि बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन से रजिस्टर्ड हों पी० एम० एस० के समकक्ष कोई ग्रेड दिया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--२६ जगहें ऐसी की गयी हैं जो कि पी० एम० एस० II के स्केल की तनख्वाह पायेंगे।

लखीमपुर जिले की गोला तथा सीतापुर जिले की हरगांव चीनी मिलों के गन्दे पानी को नदियों में गिराने से रोकने की प्रार्थना

५—श्री रामसुन्दर पाण्डेय**—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी सन् ५८ के प्रथम सप्ताह में विधान सभा के सदस्य श्री बंशीधर शुक्ल ने इस विषय का कि लखीमपुर खीरी तथा सीतापुर जिले के सरायन और गोन नदियों में गोला एवं हरगांव मिलों के गन्दे पानी के आने के कारण हजारों जानवर बीमार हो कर मर रहे हैं तथा मनुष्यों को भी पानी का इस्तेमाल करने के कारण तरह-तरह की बीमारियां हो रही हैं, कोई पत्र उनके पास भेजा है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक कौनसी कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—ऐसे किसी पत्र का पता नहीं चल रहा है। किन्तु सरकार ने इस सम्बन्ध में जिलाधीश खीरी तथा सीतापुर से रिपोर्ट प्राप्त कर ली है।

खीरी के जिले में गोला शक्कर मिल के गन्दे पानी के कारण जानवर तथा इंसानों में कोई बीमारी नहीं फैली है और यह गलत है कि वहां इस कारण हजारों की संख्या में जानवर मर रहे हैं तथा आदमी बीमार हैं।

सीतापुर जिले में कुछ जानवर मर गये, परन्तु किसी इंसान के मरने की सूचना नहीं है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि जानवर नदी का पानी पीने से ही मरे। पानी का नमूना Provincial Hygiene Institute को जांच के लिये भेजा जा रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश से जो रिपोर्ट मांगी गई है, वह जांच किस से कराई गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिलाधीश ने किसी से जांच कराई होगी; उसकी इत्तिला मेरे पास नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नदी में गंदा पानी छोड़ने से पहले तालाब में आया करता था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री जी को खबर है कि एक कमेटी मुकर्रर हुई थी नालियों के गंदे पानी का बंदोबस्त करने के लिये तो उसकी क्या रिपोर्ट है और क्या सरकार ने उस पर विचार किया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसी नदी के सम्बन्ध में कोई कमेटी मुकर्रर हुई थी या आम तौर पर ?

श्री गेंदासिंह—समूचे सूबे के गंदे पानी की व्यवस्था करने के लिये एक कमेटी मुकर्रर हुई थी और उस की रिपोर्ट आ चुकी है। क्या सरकार उस पर सुहानुभूति पूर्वक विचार करेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इंडस्ट्री विभाग में आई होगी। मैंने नहीं देखी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पानी की जांच के लिये नमूना कब भेजा गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—थोड़े दिन हुए।

श्री राजनारायण—क्या सरकार, जो नालियों का गंदा पानी जा कर नदी के पानी को खराब कर रहा है, उसको रोकने के लिये कोई उपाय सोच रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—रिपोर्ट आजाने पर जरूर व्यवस्था करने की कोशिश करूंगा।

जगबूड़ा पुल से गुजरने वाले पैदल यात्रियों और साइकिलों को कर-मुक्त करना

**६—श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को सूचना है कि प्रदेश के जगबूड़ा पुल के टैक्स के विरोध में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, नैनीताल व पीलीभीत, की ओर से दिनांक २५ मार्च से सत्याग्रह होने जा रहा है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या करने जा रही है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—जी हां। टोल टैक्स के भार को कम करने के लिये पद यात्रियों तथा साइकिलों को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। वह व्यक्ति जो पहले से २ मील के अन्दर इधर-उधर रहते हैं, उनके जानवरों के लिये भी २ आना प्रति मास प्रति जानवर की दर से टैक्स देने की प्रथा कर दी गई है। यदि अब भी कोई व्यक्ति टोल का विरोध करेगा और कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ़ उचित कार्यवाही की जावेगी।

तारांकित प्रश्न

जौनपुर जिले में गोमती नदी पर चनबक घाट का पुल बनाने की योजना

*१—श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जौनपुर जिले में गोमती नदी पर चनबक घाट पर पुल बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री गिरधारीलाल—जी हां।

*२—श्री मुक्तिनाथराय—यदि हां, तो कब तक निर्माण-कार्य आरम्भ होगा और उस पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है?

श्री गिरधारीलाल—उसका विस्तृत आगणन स्वीकृत होने पर निर्माण कार्य आरम्भ किया जायगा। इसका अनुमानित व्यय १३ लाख रुपये है।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना में इसके लिये ७.५० लाख रुपये का प्राविधान है।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसका आगणन (एस्टीमेट) कब तक आने की आशा है?

श्री गिरधारीलाल—मैं समझता हूं कि जल्दी ही आ जायगा।

सड़कों पर काम करने वाले श्रमिकों की वेतन तथा अवकाश संबंधी सुविधायें बढ़ाने की प्रार्थना

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या निर्माण मंत्री सड़कों पर काम करने वाले कर्मचारियों क विषय में १७-९-५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ७९ और ८० के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मेट, बेलदार और मजदूरों का जो वेतन-क्रम है वह बहुत ही कम है तथा इतना कम वेतन प्रदेशीय सरकार के किसी विभाग के किसी कर्मचारी का नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

श्री गिरधारीलाल—इन कर्मचारियों की नियुक्ति वर्क चार्ज्ड अधिष्ठान में की जाती है तथा इनकी गणना सरकारी कर्मचारियों में नहीं होती। इनको जो वेतन मिलता है वह स्थान-स्थान पर प्रचलित दरों के अनुसार है तथा इनका वेतन दर स्थानीय मजदूरों के दैनिक वेतन पर निर्भर है। चूंकि यह लोग सरकारी कर्मचारी नहीं हैं अतः इनके वेतन की तुलना दूसरे विभाग के सरकारी कर्मचारियों से नहीं की जा सकती।

*४--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सड़कों पर काम करने वाले कर्मचारियों को अवकाश की सुविधा नहीं प्राप्त होती है ?

श्री गिरधारीलाल---सड़कों पर काम करने वाले कर्मचारियों को अवकाश की सुविधा प्राप्त है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अवकाश के दिन की मजदूरी उनको मिलती है या नहीं ?

श्री गिरधारीलाल--- मासिक वेतन उनको दिया जाता है, वह बतला दिया गया है। उसी के साथ-साथ छुट्टी भी मिलती है महीने में चार दिन।

श्री रामसुन्दर पांडेय--- क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मासिक वेतन जो निश्चित है वह हर साल, हर महीने में निश्चित होता है या एक मर्तबा निश्चत हो जाता है ?

श्री गिरधारीलाल---हमेशा शिडयूल्ड रेट फिक्स किया जाता है और उसके मातहत उनका वेतन निर्धारित किया जाता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या इन कर्मचारियों पर जिन्हें सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स कांडक्ट रूल्स लागू होते हैं या नहीं ?

श्री गिरधारीलाल---उन पर लागू नहीं होते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में जांच करने के लिये जो कमेटी बिठाई गई थी उसने सिफारिश की है कि जिनकी तीन वर्ष की सर्विस हो गई है, उनको स्थायी किया जाय और उनके वेतनक्रम में परिवर्तन किया जाय ?

श्री गिरधारीलाल---इस वक्त तो मुझे याद नहीं है डिटेल में, लेकिन कुछ सिफारिशें जरूर उन्होंने की हैं। उसमें मजदूरों के हित के लिये जैसे गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स होते हैं उनकी तरह से सुविधा देने के लिये कुछ सिफारिशें की हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या इन मजदूरों को जो मासिक वेतन मिलता है वह मजदूरी के तौर पर मिलता है या वह वेतन के तौर पर मिलता है ?

श्री गिरधारीलाल---अब इसको जैसा आप पसन्द करें उस तरह से समझें। हमारे यहां से तो कंटिन्जेन्सी वर्क्स चार्ज्ड का कुछ अकाउण्ट होता है, उस को हम हर एक जिले में मेण्टेनेन्स के लिये बांट देते हैं। वहां से वह पैसा मासिक मजदूरी की शकल में दिया जाता है।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी इन तमाम कर्मचारियों को स्थायी बना कर सरकारी विभाग में लेने की कृपा करेंगे।

श्री गिरधारीलाल---जी नहीं।

टाउन एरियाओं और नगरपालिकाओं के चुनाव में नवीन चुनाव प्रणाली के विरुद्ध कथित शिकायत

*५--श्री मुक्तिनाथराय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस गत नगरपालिकाओं तथा टाउन एरिया के चुनाव के पश्चात् प्रदेश के जिलों से नवीन चुनाव प्रणाली अर्थात् मताभिलाषियों के नाम के सामने वोटरों द्वारा चिन्ह लगाने तथा वोटों की गणना-सम्बन्धी उत्पन्न असुविधा की शिकायत सरकार क पास आई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं। जिलों से कोई नवीन चुनाव प्रणाली से उत्पन्न असुविधा की शिकायत नहीं आई है।

श्री मुक्तिनाथराय---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस प्रणाली का प्रयोग सरकार अभी तक बतौर परीक्षण के कर रही है या उसने इसको अपनाने का निश्चय कर लिया है?

श्री रामस्वरूप यादव---इस प्रणाली के लिये एलेक्शन कमीशन ने सुझाव दिया था। जहां पर बाई एलेक्शन या जहां स्थानीय संस्थाओं के चुनाव हो रहे हैं वहां हर जगह इसको अपनाया जा रहा है।

श्री मुक्तिनाथराय---क्या सरकार जन प्रतिनिधियों की राय इस प्रणाली को चालू करने के बारे में जानने का प्रयत्न कर रही है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---अभी इसकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जहां पर क्रास मार्किंग लगाने को बताया गया है वहां पर अंगूठे का निशान सरकार स्वीकार करने की कृपा करेगी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---अंगूठे का निशान लगाने से हाथ काला होगा। क्रास ही लगायें, यह जरूरी नहीं है। कोई भी निशान लगा सकते हैं, सीधी लाइन लगा सकते हैं। यह निश्चय हो जाना चाहिये कि किस नाम के सामने निशान लगा है। तब कोई भी असुविधा नहीं होगी।

*६---**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)---[माल मंत्री से सम्बन्धित दसवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ७७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

तहसील फरेंदा, जिला गोरखपुर, के सस्ते गल्ले के दूकानदारों के खिलाफ शिकायतें

*७---**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार के पास फरेंदा तहसील, जिला गोरखपुर, के सस्ते गल्ले के दूकानदारों के खिलाफ शिकायतें आई हैं? यदि हां, तो सरकार इसके लिये क्या कर रही है?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---जी हां। जांच करने पर जिन दूकानदारों के खिलाफ शिकायतें सही पाई गईं उनकी दूकानें निलम्बित (Suspend) अथवा निरस्त (Cancel) कर दी गईं।

*८---**श्री अब्दुल रऊफ लारी**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकारी सस्ते गल्ले तथा फ्लड रिलीफ की कितनी दूकानें गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में फरवरी, १९५७ में थीं और अब कितनी हैं?

श्री सैयद अली जहीर---फरेंदा तहसील में फरवरी, १९५७ में सस्ते गल्ले तथा फ्लड रिलीफ़ की दूकानों की संख्या २० थी।

*९---**श्री अब्दुल रऊफ लारी**---क्या सरकार ने गोरखपुर जिले में दो पंचायत अदालतों के बीच एक सस्ते गल्ले की दूकान खोलने की आज्ञा दी है? यदि हां, तो क्या वे दूकानें खुल गईं? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री सैयद अली जहीर---फरवरी, १९५८ में इन दूकानों की कुल संख्या ३१ थी। जी हां। इस समय गोरखपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में १८५ सस्ते गल्ले की दूकानें चल रही हैं, जब कि दो पंचायत अदालतों पर एक दूकान के आधार पर केवल १४६ दूकानें ही होनी चाहिये थीं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो शिकायतें दूकानदारों के खिलाफ आई थीं उनमें मुख्य शिकायतें क्या थीं ?

श्री सैयद अली जहीर---उसमें तरह तरह की शिकायतें थीं। बाज में यह था कि जिन लोगों को बेचना चाहिये उनको यह माल नहीं देते हैं और बाज में यह था कि उनकी जगहें वहां पर ठीक नहीं हैं। इसी तरह की बातें थीं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---जब उनके खिलाफ ऐसी शिकायत थी कि जिनको गल्ला बेचना चाहिये वह उनको नहीं बेचते और ब्लैक मार्केट करते हैं तो क्या उन दूकानदारों को मुअत्तल कर के छोड़ दिया गया या उनको कोई सजा भी दी गयी ?

श्री सैयद अली जहीर---जिस वक्त का यह वाकया है उस समय तक कानून में कोई सजा का प्रबन्ध नहीं था, अब कर दिया गया है। उस समय तक हम केवल मुअत्तल कर सकते थे, वह हमने कर दिया।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या सरकार के पास ऐसी भी शिकायतें हैं कि उस गल्ले में कोई ऐसी मिलावट भी है कि जो उसे अखाद्य बना देती है ?

श्री सैयद अली जहीर---यह जिन दूकानों का सवाल है उनमें ऐसी शिकायत नहीं थी।

जिला शाहजहांपुर में तिलहर-जैतीपुर सड़क को पक्की करने की आवश्यकता

*१०---**श्री रूमसिंह** (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला शाहजहांपुर में तिलहर से जैतीपुर तक जो सड़क जाती है, क्या उसे पक्की कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कब से अमल किया जावेगा ?

श्री गिरधारीलाल---प्रथम भाग---जी नहीं।

द्वितीय भाग---प्रश्न नहीं उठता।

श्री रूमसिंह---क्या सरकार को पता है कि ५,६ साल पहले इस सड़क पर पुलिया बनाने के लिये ईंटें डाली गयी थीं और बाद को वह उठा ली गईं ?

श्री गिरधारीलाल---नहीं, इसकी मुझे इत्तला नहीं है।

गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में सीमेंट वितरण परामर्शदात्री समिति

*११---**श्री अमरनाथ** (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में कोई सीमेंट वितरण परामर्शदात्री समिति बनाई है ? यदि हां, तो क्या सरकार समिति के सदस्यों की तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं। सरकार ने कोई ऐसी समिति नहीं बनाई है। दुसरा प्रश्न नहीं उठता।

*१२---**श्री अमरनाथ**---क्या सरकार उस आदेश की कापी सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेगी जिसके द्वारा उपर्युक्त समिति बनी है ?

श्री सैयद अली जहीर---यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री अमरनाथ---क्या इस काम के लिये परगनाधीश ने कोई समिति बनायी है ?

श्री सैयद अली जहीर---जी हां, परगनाधीश को आदेश दिया गया था और वह चाहें तो बना दें। उन्होंने बनायी भी है।

मऊरानीपुर नगरपालिका, जिला झांसी, में पानी के नल लगाने की योजना

*१३---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मऊरानीपुर नगरपालिका, जिला झांसी, में पानी के नल लगाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी हां, इस योजना का project स्वायत्त शासन इन्जीनियरिंग विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है।

*१४---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मऊरानीपुर नगरपालिका, जिला झांसी, ने नल योजना के लिये सरकार से कर्ज मांगा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी हां, इस योजना से संबंधित project के तैयार होने की प्रतीक्षा की जा रही है जिससे योजना पर अनुमानित व्यय का ज्ञान हो सके।

*१५---**श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल** (जिला गोंडा)---[८ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*१६-१८---**श्री यमुनासिंह** (जिला गाजीपुर)---[८ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

राज्य से चावल के निर्यात पर प्रतिबन्ध

*१९---**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या सरकार ने कोई आज्ञा ऐसी निकाली है जिससे प्रदेश के बाहर चावल भेजने की मनाही की गई है ? यदि हां, तो वह आज्ञा क्या है और वह कब से लागू होगी ?

श्री सैयद अली जहीर---जी हां, परन्तु यह आदेश 'The Uttar Pradesh Rice (Export control) Order, 1957' समस्त प्रदेश से चावल से निर्यात पर प्रतिबन्ध नहीं करता वरन् एक निर्धारित क्षेत्र से, जिनमें निम्नलिखित १४ जिले सम्मिलित हैं, चावल के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाता है :---

१---वाराणसी, २---मिर्जापुर, ३---जौनपुर, ४---गाजीपुर, ५---बलिया, ६---गोरखपुर, ७---बस्ती, ८---आजमगढ़, ९---देवरिया, १०---फैजाबाद, ११---गोंडा, १२---बहराइच, १३---सुल्तानपुर, १४---प्रतापगढ़। यह आदेश २० दिसम्बर, १९५७ से लागू हैं।

*२०---**श्री गनेशचन्द्र काछी**---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर १२वें मंगलवार १५ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

लखनऊ-झांसी मार्ग पर कालपी में यमुना के पुल निर्माण की योजना

*२१---**श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी** (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कालपी, जिला जालौन, में राष्ट्रीय मार्ग लखनऊ-झांसी पर यमुना नदी का पुल बनाने की योजना है ? यदि हां, तो पुल कब तक बनेगा और कितना धन व्यय होगा ?

श्री गिरधारीलाल--प्रथम भाग--जी हां ।

द्वितीय भाग--इस पुल के द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में बनने की सम्भावना है और इस पर लगभग १०३·०० लाख रुपया व्यय होगा ।

देवरिया नगरपालिका में सदस्यों के रिश्तेदार कर्मचारी होने पर आपत्ति

*२२--श्री उग्रसेन--क्या सरकार के पास इस आशय की कोई शिकायत आई है कि देवरिया नगरपालिका के ५० प्रतिशत कर्मचारी पालिका के सदस्यों क रिश्तेदार हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर कौन सी कार्यवाही की ?

श्री रामस्वरूप यादव--सरकार के पास इस आशय की कोई शिकायत नहीं आई है ।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस प्रश्न को पूछने के बाद सरकार ने इसकी कोई जांच की ?

श्री रामस्वरूप यादव--जांच की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती क्योंकि कर्मचारी भिन्न-भिन्न समय पर नियुक्त किये गये होंगे और यह सदस्य जो हैं वह तो सदा नहीं रहे, वे बदलते रहे हैं ।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी अब मेरे प्रश्न को सूचना मान कर इसकी जांच करायेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--अगर कोई जिम्मेदारी ले कर शिकायत करेगा तो अवश्य जांच करा ली जायगी ।

कुमायूं में जिला बोर्डों को जंगल की आय से मिलने वाले धन के संबंध में जानकारी

*२३--श्री प्रतापसिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुमायूं के जंगलों की आमदनी से कितना रुपया वहां के जिला बोर्डों को दिया जाता है ?

श्री सैयद अली जहीर--भारतीय संविधान की धारा २०२ तथा २०३ के अन्तर्गत किसी विशिष्ट मद की आय किसी व्यय विशेष के लिये अलग निर्धारित नहीं की जाती है ।

*२४--श्री प्रतापसिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जंगलों की आमदनी का कितना रुपया 'surplus' के रूप में जमा है और उसका क्या कारण है ?

श्री सैयद अली जहीर--उपरोक्त कारण से कोई बचत नहीं होती ।

पंचायतराज विभाग में हरिजन निरीक्षकों व सहायक विकास अधिकारियों की कमी

*२५--श्री मूलचन्द (जिला देवरिया)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय पंचायतराज विभाग में कुल कितने पंचायत निरीक्षक तथा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) काम कर रहे हैं ? इनमें से कुल कितने हरिजन कर्मचारी हैं तथा क्या पंचायत निरीक्षकों व सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पदों पर काम करने वाले हरिजन व्यक्तियों का अनुपात १८ प्रतिशत है ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस समय पंचायतराज विभाग में कुल ३६१ पंचायत निरीक्षक तथा ५१ सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) काम कर रहे हैं। उनमें से कुल १५ हरिजन कर्मचारी हैं। पंचायत निरीक्षक व सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पदों पर काम करने वाले हरिजन व्यक्तियों का अनुपात १८ प्रतिशत नहीं है।

श्री मूलचन्द--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर में जो १५ हरिजन कर्मचारी बताये गये हैं उनमें कितने सहायक विकास अधिकारी हैं और कितने पंचायत निरीक्षक ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी इनमें हरिजनों का प्रतिशत बढ़ाने के लिये कोई विशेष कदम उठायेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--विशेष कदम तो यही हो सकता है कि जब आगे चुनाव हो तो उनका खास खयाल रखा जाय। वैसे तो १९४९ में जब चुनाव हुआ था तो १० प्रतिशत सुरक्षित स्थान थे, इस वास्ते भी इस विभाग में उनका प्रतिशत कम है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह पंचायत विकास अधिकारियों की पोस्ट एबालिश कर के तहसीलदारों को ही यह काम दिया जाने वाला है ?

श्री रामस्वरूप यादव--ऐसा तो कोई विचार अभी नहीं है।

*२६-२७-**श्री जगपति सिंह** (जिला बांदा)--[८ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले में सहकारी इन्सपेक्टर तथा सहकारी समितियां

*२८--**श्री विश्राम राय** (जिला आजमगढ़)--क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में कितने इन्सपेक्टर कोआपरेटिव विभाग में काम कर रहे हैं ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)--सात कोआपरेटिव इन्सपेक्टर कार्य कर रहे हैं।

*२९--**श्री विश्राम राय**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले के कोआपरेटिव विभाग में नियुक्त सभी इन्सपेक्टरों में से प्रत्येक कितनी अवधि से इसी जिले में काम कर रहा है ?

श्री मोहन लाल गौतम--आजमगढ़ जिले के कोआपरेटिव विभाग में नियुक्त इन्सपेक्टर निम्नलिखित अवधि से काम कर रहे हैं:--

१--श्री सत्यदेव सिंह	७-५-५५
२--श्री मूलचन्द उपाध्याय	१-९-५५
३--श्री रामदेव त्रिपाठी	४-११-५६
४--श्री पारसराम मनि त्रिपाठी	२५-४-५७
५--श्री लखपतराय गोयल	७-११-५७
६--श्री पांडिया अनिरुद्ध प्रसाद	७-११-५७
७--श्री बांके लाल	७-११-५७

*३०--श्री विश्राम राय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में सन् १९५५-५६ और १९५६-५७ में कितनी नई सहकारी समितियां बनी हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम--वर्ष १९५५-५६ में १८२ तथा वर्ष १९५६-५७ में १७० नई सहकारी समितियां रजिस्टर की गईं ।

श्री विश्राम राय--क्या माननीय सहकारिता मंत्री बतावेंगे कि एक जिले में कितने दिन तक इंसपेक्टर रह सकते हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसका कोई खास नियम नहीं है ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव---क्या यह सही है कि आजमगढ़ में एक इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन के अवैतनिक मंत्री का कार्य भी कर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---नोटिस की आवश्यकता है ।

हरदोई-लखनऊ सड़क पर सई नदी के पुल का ठेका

*३१--श्री बुलाकी राम (जिला हरदोई)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई-लखनऊ रोड पर जो सई नदी का पुल बन रहा है उसकी सरकार द्वारा स्वीकृत आइटमवाइज शेड्यूल्ड लागत क्या है और इस पुल के लिये कितने का एस्टीमेट स्वीकृत हुआ था तथा कितने का ठेका दिया गया है ?

श्री गिरधारीलाल---प्रथम भाग-इस पुल के लिये आइटमवाइज शेड्यूल्ड लागत की स्वीकृति नहीं है ।

द्वितीय भाग---इस पुल का एस्टीमेट अन्य कार्यों सहित ४.५४ लाख रुपये पर स्वीकृत किया गया था ।

तृतीय भाग---पक्के पुल का निर्माण कार्य ३.२७ लाख रुपये के ठेके पर दिया गया है ।

*३२---श्री बुलाकीराम---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या इसी पुल में दो कुयें टेस्ट कराये गये हैं ?

श्री गिरधारीलाल---जी नहीं । इस स्थान पर कोई कुंआ टैस्ट नहीं कराया गया है ।

*३३---श्री बुलाकीराम---यदि हां, तो दोनों कुएं टेस्ट कराने के लिये कितने का ठेका दिया गया था और कितना पेमेंण्ट किया गया है ?

श्री गिरधारीलाल---प्रश्न नही उठता ।

श्री बुलाकीराम---इस पुल के लिये आइटमवाइज लागत क्यों नहीं स्वीकृति की गई और बगैर इस प्रकार की लागत स्वीकृत हुये पुल का एस्टीमेट् किस प्रकार से बनाया गया ?

श्री गिरधारीलाल---ऐसा नहीं है । जितने भी पुल वगैरह बनते हैं, उनके डिटेल्ड एस्टीमेट तैयार होते हैं । जहां तक ठेके की बात है, यह ऐसा पुल नहीं था कि हर आइटम अलग-अलग ठेके पर दी जाती ।

मैंने समझा कि माननीय सदस्य का यही मतलब है और उसके मुआफिक बताया गया कि पूरे पुल का ठेका दिया गया है ।

श्री बुलाकीराम—वे अन्य कार्य कौन-कौन से हैं जिनके लिये इस बजट में एस्टीमेट् ४.५४ हजार रुपये पर स्वीकृत किया गया है ?

श्री गिरधारीलाल—पुल के अलावा, भूमि-प्राप्ति होगी, गाइड बंद और एप्रोच रोड बनेंगे। इनके लिये पैसा है ।

श्री बुलाकीराम—इस पुल में कितने कुयें बनाये गये हैं और उन्हें टेस्ट कराये बगैर उन पर पुल का निर्माण किस प्रकार हुआ ?

श्री गिरधारीलाल—नोटिस की आवश्यकता है ।

*३४-३५—**श्री पब्बरराम** (जिला गाजीपुर)—[८ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

देवरिया जिले में भाटपार रानी-खामपार सड़क का निर्माण

*३६—**श्री अयोध्याप्रसाद आर्य** (जिला देवरिया)—कृपया सरकार बतायेगी कि देवरिया जिले में जिला बोर्ड ने भाटपार रानी से खांमपार, मेंगारी बाजार तक पक्की सड़क बनाने का ठेका कई वर्षों पहले दिया था ?

श्री रामस्वरूप यादव—दिसम्बर, १९५५ में भाटपार रानी से खामपार तक पक्की सड़क बनाने का ठेका दिया गया था ।

*३७—**श्री अयोध्याप्रसाद आर्य**—यदि हां, तो क्या कृपया सरकार बतायेगी कि उक्त सड़क के अब तक न बनने का क्या कारण है तथा कार्य आरम्भ करने की कब तक आशा है ?

श्री रामस्वरूप यादव—कार्य जनवरी, १९५६ में ही आरम्भ हो गया। सड़क बनाने के लिए पहले मिट्टी डालनी पड़ी जिस पर एक बरसात बीतने के बाद ही कंकड़ का काम किया जा सकता था ।

श्री अयोध्याप्रसाद आर्य—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सड़क पर मिट्टी डालने के बाद २ बरसात निकल गई, लेकिन कंकड़ का कार्य आरम्भ न होने का क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव—कंकड़ तो इकट्ठा हो गया है और यह आशा की जाती है कि उस समय में इसकी कुटाई भी हो जायगी ।

श्री अयोध्याप्रसाद आर्य—यह कार्य कब तक शुरू हो जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—कार्य कब तक समाप्त होगा, मैं समझता हूं कि महीने, २ महीने में कुटाई हो जायगी ।

*३८—**श्री जयदेवसिंह आर्य** (जिला मैनपुरी)—[८ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

नैनीताल में जलाने के कोयले की कमी की शिकायत

*३९—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार को ज्ञात है कि नैनीताल में जलाने का कोयला वन-विभाग द्वारा न दिये जाने के कारण कोयलें की अत्यन्त कमी हो गई है ; यदि हां, तो कोयले की कमी दूर करने के लिये वन विभाग क्या कर रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर—नैनीताल में वन विभाग द्वारा जलाने के कोयले का यथा संभव प्रबन्ध कर दिया गया है । अब वहां पर कोयले की कोई कमी नहीं है ।

श्री नारायणदत्ततिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर कोयले की डिमांड वन विभाग से कितनी थी और कितनी सप्लाई का प्रबन्ध वह कर रहे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि पहले नैनीताल में लकड़ी भी जलती थी और कोयला भी । कोयले की सालाना मांग तकरीबन ३२,००० मन की होती थी, लेकिन अब लकड़ी जलना बहुत कम हो गया है और कोयले की ७०,०००मन के करीब मांग हो गई है । नैनीताल के आस पास के जंगलों से वहां थोड़ा कोयला पहुंचता है । कमी के लिये हमने हल्द्वानी, रामनगर के जंगलों से भेजने का इन्तजाम किया है । थोड़ी कीमत जरूर बढ़ जावेगी, लेकिन जरूरत पूरी हो जायगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---वहां कोयले के दाम अक्समात् बढ़ाने का कारण क्या है ?

श्री अध्यक्ष---वह बतला दिया गया है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को मालूम है कि पहले भी हल्द्वानी और रामनगर के आसपास के जंगलों से वहां कोयला जाता था ?

श्री सैयद अली जहीर---पहले करीब के जंगलों से जाता था और अब दूर के जंगलों से जाता है, लेकिन जो दाम हल्द्वानी वगैरह में है उनसे ज्यादा अब भी नहीं हुये हैं ।

लखनऊ जिले की गांव पंचायत मऊ में, प्रधान कोष सहायता इन्द्रजीत मऊ, के अन्तर्गत एकत्रित धन

*४०---**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)---क्या स्वशासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला लखनऊ की तहसील मोहनलालगंज की गांव पंचायत मऊ ने किन प्रयोजनों से "प्रधान कोष सहायता इन्द्रजीत मऊ" के नाम से धन इकट्ठा किया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---गांव पंचायत मऊ ने ऐसा कोई कोष नहीं खोला बल्कि गांव इन्द्रजीत मऊ के कुछ व्यक्तियों ने, जिनमें प्रधान एवं पंचायत के अन्य दो सदस्य भी सम्मिलित थे, गरीबों की सहायता करने तथा धार्मिक कार्यों में योग देने के उद्देश्य से प्रधान सहायता कोष इन्द्रजीत मऊ" के नाम से एक कोष खोला था। इसका गांव पंचायत से कोई सम्बन्ध नहीं ।

*४१---**श्री रामशरण यादव** (अनुपस्थित)---उक्त कोष में सन् १९५६ ई० में कितना धन इकट्ठा हुआ ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---सन् १९५६ में कुल १७१ रुपये ५० नये पैसे इकट्ठे हुये थे ।

*४२---**श्री जगवीरसिंह** (जिला बुलन्दशहर)---[८ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

मेरठ में हाई कोर्ट की शाखा खोलने में कठिनाई

*४३---**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्द शहर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि मेरठ में हाईकोर्ट की शाखा खोलने में उसे कोई कठिनाई है ? यदि हां,, तो क्या-क्या ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां। इस सम्बन्ध में कानूनी तथा प्रशासकीय कठिनाइयां हैं। इसके अलावा सार्वजनिक हित में भी हाई कोर्ट की कोई शाखा मेरठ में खोलना उचित नहीं है।

हाउसिंग लोन स्कीम के अन्तर्गत वितरित ऋण

*४४—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश के किन-किन जिलों में कितना-कितना रुपया Housing Loan Scheme के लिये दिया गया है और उसमें से कितना-कितना रुपया लोगों को मिल चुका है ?

श्री सैयद अली जहीर—इस योजना के अन्तर्गत ऋण का जिलेवार आवंटन (allocation) नहीं होता है।

विभिन्न जिलों में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर स्वीकृत ऋण की धनराशि तथा अभी तक मुक्त (release) की गई धनराशि की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८९२–८९३ पर)

इलाहाबाद जिले के कोआपरेटिव बैंक

*४५—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या इलाहाबाद में कोई बैंक कोआपरेटिव सोसाइटी ऐक्ट के अन्तर्गत चल रहा है ? यदि हां, तो उस बैंक में कितना धन सरकार का लगा है और कितना धन जनता ने लगाया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां। इलाहाबाद जिले में निम्नलिखित दो कोआपरेटिव बैंक चल रहे हैं:

१—डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, इलाहाबाद।

२—रामनगर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंकिंग यूनियन लिमिटेड, रामनगर, जिला इलाहाबाद।

इन बैंकों में सरकार का कोई धन नहीं लगा हुआ है। इन बैंकों की चुकता हिस्से की पूंजी व अमानतें निम्नलिखित हैं:

	हिस्से की पूंजी	अमानतें
१—डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक लि० इलाहाबाद	रु० ६,१६,४४२	रु० ७,५३,४८६
२—रामनगर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंकिंग यू० लि०, इलाहाबाद ..	२४,८१२	१२,६०७

उरई, कोंच, जालौन तथा कालपी नगरपालिकाओं को दिया गया अनुदान तथा ऋण और उसका बकाया

*४६—**श्री गोविन्दनारायण तिवारी** (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उरई, कोंच, जालौन तथा काल्पी की नगरपालिकाओं को प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में पृथक-पृथक कितना रुपया अनुदान व कर्जे के रूप में दिया गया और इस वक्त कितना-कितना रुपया बकाया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सूचना संलग्न विवरण में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८९४–८९५ पर)

जिला जालौन की ग्राम सभाओं के प्रधानों के रिक्त स्थान

*४७--श्री गोविन्दनारायण तिवारी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन की ग्राम सभाओं के कितने प्रधानों के स्थान रिक्त है और किन कारणों से ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जिला जालौन में नौ गांव सभा प्रधानों के स्थान रिक्त हैं। इनमें से ५ की मृत्यु हो गई, ३ ने त्याग-पत्र दे दिया और १ के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास हो गया है ।

जिला फर्रुखाबाद में ५ साल से ऊपर के पंचायत सेक्रेटरी

*४८--श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फर्रुखाबाद में ऐसे पंचायत सेक्रेटरी कितने हैं जो ५ साल से अधिक से एक ही जगह पर काम कर रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--जिला फर्रुखाबाद में २४ पंचायत सेक्रेटरी ऐसे हैं जो ५ साल से अधिक एक ही जगह पर काम कर रहे हैं ।

श्री राजेन्द्रसिंह यादव--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये २४ सेक्रेटरी क्यों इतने समय से एक ही जगह पर काम कर रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--इनकी तब्दीली पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अगर उनका कार्य सन्तोषजनक है तो इससे भी अधिक समय तक वे रह सकते हैं ।

वन विभाग के सहारनपुर डिवीजन से आय

*४९--श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वन विभाग से सम्बन्धित सहारनपुर डिवीजन में कितने रेंज हैं और उनमें से प्रत्येक में कितने-कितने एकड़ जंगल विद्यमान हैं ? और उनमें से प्रत्येक रेंज से पिछले तीन वर्षों में क्या-क्या आय हुई ?

श्री सैयद अली जहीर--सहारनपुर डिवीजन में चार रेन्ज हैं । प्रत्येक रेन्ज के जंगल का क्षेत्रफल और पिछले तीन वर्षों की आय निम्नलिखित है:--

रेन्ज	क्षेत्रफल एकड़ों में	आय रुपयों में १९५४-५५	१९५५-५६	१९५६-५७
१--बरकला ..	४८,९६२	१,०७,१७८	५७,५४२	३०,९८३
२--मोहन्ड ..	५५,५१२	१,२४,३३७	१,३९,२१९	२,३६,८९५
३--धोलखंड ..	५१,३९०	१,२८,३२७	१,८५,३६५	२,०४,०९५
४--हरद्वार ..	३४,१९२	१,४४,८००	२,००,२५०	२,८५,५००

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सहारनपुर जिले में नये जंगल लगाने की योजना तथा पथरी जंगल का रकबा

*५०--श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार का विचार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सहारनपुर जिले में नये जंगल लगाने का है ? यदि हां, तो प्रत्येक रेंज में कितने-कितने एकड़ ?

श्री सैयद अलीजहीर---जी हां। प्रत्येक रेन्ज में निम्नलिखित क्षेत्रफल में जंगल लगाये जावेंगे :---

वर्ष	बरकला रेंज	मोहन्ड रेंज	धौल खंड रेंज	हरद्वार रेंज
१९५६-५७ ..	..	..	१००	१००	१००
१९५७-५८ ..	..	..	९०	१२५	१६०
१९५८-५९ ..	..	१००	५०	१००	१५०
१९५९-६० ..	..	५०	३०	१००	१५०
१९६०-६१ ..	..	५०	५०	१००	१५०

*५१---श्री दीनदयालु शास्त्री---क्या सरकार बतायेगी कि पथरी जंगल का रकबा सन् १९५२ में कितना था और अब कितना है ?

श्री सैयद अलीजहीर--- सन् १९५२ में पथरी जंगल का रकबा १४,०६० एकड़ था और अब ९,६३२ एकड़ है ।

श्री दीनदयालु शास्त्री---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि बरकला रेंज में प्रति वर्ष जंगल की आय में कमी क्यों होती जा रही है ?

श्री सैयद अलीजहीर---इस वक्त कारण तो बता नहीं सकता ।

श्री दीनदयालु शास्त्री--- क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि पथरी जंगल के रकबे में कमी का क्या कारण है ?

श्री सैयद अलीजहीर---इसमें से कुछ जमीन रावलपिंडी से आए हुए रिफ्यूजी काश्तकारों को दी गयी, कुछ जमीन मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के काश्तकारों को दी गयी, जिनकी जमीन बहिया में खराब हो गयी थी तथा कुछ जमीन पर हरिजन लोग बसाये गये, इसलिये जंगल की जमीन कम हो गयी ।

श्री गेंदासिंह---सन् ५४-५५ और ५६-५७ की आमदनी में जो बड़ा भारी अन्तर मालूम पड़ता है, उसकी क्या वजह है ?

श्री सैयद अलीजहीर---इसकी वजह तो इस वक्त नहीं मालूम है । आम तौर पर यह वजह होती है कि जितनी लकड़ी जंगल में तैयार होती है उतनी ही नीलाम होती है, वह किसी साल कम होती है और किसी साल ज्यादा, इसलिये आमदनी घटती-बढ़ती रहती है ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन नये जंगलों को लगाने की कौन जगह है ? क्या उस जगह पुराने जंगल साफ हो चुके हैं या उस जगह लगाये जा रहे हैं जहां पहले कुछ पैदा नहीं होता था ?

श्री सैयद अलीजहीर---यह तफसील में नहीं बता सकता ।

सप्लाई विभाग के अस्थायी कर्मचारी

*५२---श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में सप्लाई विभाग में कितने कर्मचारी स्थायी हैं और कितने अस्थायी ?

श्री सैयद अली जहीर---खाद्य तथा रसद विभाग में स्थायी कर्मचारियों की संख्या १९ है और अस्थायी कर्मचारियों की २,१९६ है ।

*५३--श्री सजीवन लाल---अस्थायी कर्मचारियों में कितनों का कार्यकाल ५ वर्ष से अधिक है और कितनों का १० वर्ष से अधिक है ?

श्री सैयद अलीजहीर-- अस्थायी कर्मचारियों में ५३६ का कार्यकाल ५ वर्ष से अधिक है और ८६१ का १० वर्ष से अधिक है।

श्री सजीवन लाल--क्या माननीय मंत्री जो यह बतायेंगे कि जो २,१९६ कर्मचारी अस्थायी हैं उनको स्थायी करने की कृपा करेंगे ?

श्री सैयद अलीजहीर-- अभी तो यह पूरा विभाग ही अस्थायी है फिर स्थायी कैसे हो जायेंगे।

ग्रामसभा लोहरियासाल मल्ला में सदस्यों के रिक्त स्थान

*५४---श्री प्रताप सिंह (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि ग्राम सभा लोहरिया-साल मल्ला में अभी तक ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों के स्थानों की पूर्ति नहीं हुई है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी हां। गांव पंचायत लोहरिया साल मल्ला के केवल २ पद अभी तक रिक्त हैं, क्योंकि इनके लिये किसी व्यक्ति ने अपना मनोनीत पत्र दाखिल नहीं किया यद्यपि यहां दो बार उप चुनाव की कार्यवाही हुई।

जिला गोरखपुर में आनरैरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करने वाली कमेटी के सदस्य

*५५---श्री अमरनाथ---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोरखपुर में आनरैरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के लिये नामजद कमेटी के मेम्बरों के नाम क्या हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---कमेटी में निम्नलिखित सदस्य हैं :---

१---जिलाधीश २---सेशन्स जज	पदेन सदस्य
३---श्री केशभान राय, एम० एल० ए० ४---श्री अक्षयवर सिंह, एम० एल० ए० ५---श्री केशव पान्डेय, एम० एल० ए० ६---श्री हरी शंकर गुप्ता, प्रेसीडेंट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ७---श्री आर० एन० सान्याल, प्रोफेसर, सेन्ट ऐन्ड्रूज, कालेज	असरकारी सदस्य
८---ठाकुर सिंहासन सिंह, एम० पी०	
९---श्री सुखदेव प्रसाद, एडवोकेट,	बार एसोसियेशन का प्रतिनिधि।

*५६---श्री प्रताप सिंह---[दसवें मंगलवार के लिये प्र० सं० १६२ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया।]

*५७-५८---श्री धनुषधारी पाण्डेय (जिला बस्ती)---[छठवें शुक्रवार को प्रश्न संख्या ११५-११६ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

ग्राम सभा रोरा, जिला फर्रुखाबाद के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

*५९---श्री कोतवाल सिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा रौरा, जिला फर्रुखाबाद के प्रधान के विरुद्ध २६-८-५७ को जो अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ था, क्या उसके यहां उसकी कोई अपील है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां । गांव सभा रौरा के प्रधान के विरुद्ध जो अविश्वास का प्रस्ताव पारित हुआ था, वह अवैध पाया गया । अतः पंचायत राज अधिनियम की धारा १० के अधीन रद्द करने के आदेश दिये गये हैं ।

श्री कोतवाल सिंह भदौरिया---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास किया हुआ किस बिना पर अवैध समझा गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---वह प्रस्ताव नियमानुसार नहीं पारित हुआ है, उसकी वैधानिक त्रुटियां थीं, इस कारण वह अवैधानिक करार दिया गया है ।

श्री कोतवाल सिंह भदौरिया---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रस्ताव के रद्द होने का आदेश जो हुआ है, उसकी सूचना कितने दिन हुए पंचायत को भेज दी गयी है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये श्रीमन्, नोटिस की आवश्यकता होगी ।

फर्रुखाबाद जिले में वी० एल० डब्ल्यू० की ट्रेनिंग पाये हुये कर्मचारियों को पंचायत मंत्री बनाना

*६०---श्री कोतवाल सिंह भदौरिया---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फर्रुखाबाद में कौन-कौन पंचायत मंत्री जो वी० एल० डब्लू० की ट्रेनिंग पाये हुये थे और वी० एल० डब्ल्यू० का काम भी कर रहे थे वहां से हटाकर फिर पंचायत मन्त्री बनाये गये और ऐसा क्यों किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---फर्रुखाबाद जिले में निम्नांकित पंचायत मंत्री जिनको प्रसार प्रशिक्षण दिया गया था, उनको पंचायत राज विभाग से डेपुटेशन पर लेकर नियोजन विभाग में ग्राम सेवक पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था । नियोजन विभाग में अब उनकी सेवाओं की आवश्यकता न होने के कारण उन्हें उनके मूल विभाग (पंचायत राज विभाग) को वापस कर दिया गया है ।

१---सर्व श्री छोटे सिंह,
२--- ,, राम भजन लाल,
३--- ,, राम लाल,
४--- ,, सूरज दयाल सहयोगी,
५--- ,, प्रेम नारायन सक्सेना,
६--- ,, कुबेर सिंह,
७--- ,, नाथू राम पाल,
८--- ,, ज्योति स्वरूप,
९--- ,, बीरेन्द्र सिंह,
१०--- ,, भोजराज दुबे,
११--- ,, बृजपाल सिंह,

१२--सर्व श्री बाबू राम दीक्षित,
१३--वृन्दावन शास्त्री,
१४--सियाराम गुप्त,
१५--सीताराम लाल,
१६--पी० एस० लोधी।

*६१--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--[हटा दिया गया।]

*६२-६३--श्री जगदीश शरण अग्रवाल --[८ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*६४-६५--श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)--[नवें सोमवार को प्रश्न संख्या १०५-१०६ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

जिला सहारनपुर में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा म्युनिसिपल बोर्ड का चुनाव

*६६--श्रीमती शकुन्तला देवी (जिला सहारनपुर)-- क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह जिला सहारनपुर में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा म्युनिसिपल बोर्ड का चुनाव करने जा रही हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जिला बोर्ड सहारनपुर में चुनाव अन्य जिला बोर्डों के साथ इस वर्ष मई के महीने में होगा। नगरपालिका सहारनपुर में चुनाव नवम्बर-दिसम्बर तक कराने का विचार है।

श्रीमती शकुन्तला देवी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका सहारनपुर के चुनाव की तिथि कब तक निश्चित हो जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव-- नगरपालिका का तो नवम्बर-दिसम्बर में चुनाव होगा, अभी निश्चित तिथि का सवाल क्या है।

श्रीमती शकुन्तला देवी--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर-दिसम्बर में किस तिथि को चुनाव कराने का निश्चय किया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव-- अभी २१ फरवरी को एक साल के लिये उसके अवक्रान्त का समय बढ़ाया गया है। अभी यह कहना कि कब चुनाव होगा, निश्चित तिथि बतलाना असम्भव है।

जिला गाजीपुर में नगरपालिका और टाउन एरिया की क्षतिग्रस्त सड़कों तथा थाना कासिमाबाद-सिधागरघाट सड़क को बनवाने की प्रार्थना

*६७--श्री रघुवीर राम (जिला गाजीपुर)-- क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह जिला गाजीपुर में अति वर्षा और बाढ़ के कारण नगरपालिका और टाउन एरिया को क्षति ग्रस्त सड़कों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनवाने की योजना पर विचार कर रही है ?

श्री गिरधारी लाल--जी नहीं।

*६८--श्री रघुवीर राम--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह जिला गाजीपुर के अन्तर्गत थाना कासिमाबाद से जो सड़क सिधागर घाट को जाती है उसको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनवाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारी लाल—प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भोखालाल— क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इन सड़कों को इस पंचवर्षीय योजना में न बनवाने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारी लाल— खास कारण तो यही है कि जितना ज्यादा रुपया होगा, उतनी ही ज्यादा सड़कें बन जायेंगी, रुपये की कमी की वजह से कम सड़कें बनी हैं।

*६९—**श्री रघुवीर राम**—[नवें सोमवार को प्रश्न संख्या १३२ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

अलीगढ़ जिले में बायोकेमिक और होम्योपैथिक चिकित्सा केन्द्रों की सफलता

*७०—**श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर)—क्या यह सही है कि जिला बोर्ड, अलीगढ़ ने श्री दरबारी की बायोकेमिक फायलों की उपयोगिता की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार के पास भेजी है कि उनसे ९० प्रतिशत मरीज अच्छे हुए हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामस्वरूप वर्मा— क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि जिला अलीगढ़ में जिला बोर्ड की तरफ से २ हजार रुपये का अनुदान दिया गया है और इस प्रकार वहां १२५ होमियोपैथिक और बायोकेमिक अस्पताल चल रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, जिला बोर्ड अलीगढ़ ने २,००० रुपये का अनुदान दिया था और वहां १३० चिकित्सा केन्द्र खुले हुये हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार उन कारणों पर प्रकाश डालेगी कि जिनके कारण १३० होम्योपैथिक और बायोकेमिक के केन्द्र खोलने का प्रबन्ध किया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव— वह तो एक सोसाइटी है और उसी ने इन केन्द्रों को चलाने के लिये प्रबन्ध किया है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार ने इस अनुदान के बाद इन केन्द्रों के सुचारुरूप से चलने के सम्बन्ध में और सफलता के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त की है ?

श्री रामस्वरूप यादव—वहां से ऐसी सूचना है कि यह केन्द्र जो चल रहे हैं वहां कामयाबी है और उसी के आधार पर चिकित्सा विभाग की ओर से १५ हजार रुपया भवन निर्माण के लिये और ३,५०० रुपया अस्पताल के रखरखाव के लिये दिया जा रहा है।

श्री रामस्वरूप वर्मा— क्या सरकार अलीगढ़ जिले की इस सफलता को देखते हुये प्रदेश के दूसरे जिलों में भी योजना लागू करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह तो चिकित्सा विभाग का प्रश्न है, अगर आप लिख कर भेजें तो विचार हो जायगा।

जिला सार्वजनिक निर्माण विभाग की समितियों का पुनस्संगठन

*७१—**श्री सुल्तान आलम खां** (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला सार्वजनिक निर्माण विभाग की समितियों का विधान और पदावधि क्या है ? उनकी वर्तमान पदावधि कब समाप्त होगी ?

श्री गिरधारी लाल---सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला परामर्शदात्री समितियों के विधान की एक प्रतिलिपि माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है। समितियों के सदस्यों तथा सभापतियों की पदावधि, समितियों के विधान के नियम ५ तथा ७ में दी हुई है।

*७२---**श्री सुल्तान आलम खां** (अनुपस्थित)---क्या उनका पुनस्संगठन होने जा रहा है ? यदि हां, तो कब और किस प्रकार ?

श्री गिरधारी लाल---जी हां, इस संबंध में आवश्यक शासकीय आदेश मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश को निर्गम कर दिये गये हैं, जिसके उद्धरण माननीय सदस्य की मेज पर रख दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८९६-८९७ पर)

*७३-७४---**श्री मोहन लाल वर्मा** (जिला हरदोई)---[८ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

पीलीभीत जिले में आनरैरी मैजिस्ट्रेटों को नियुक्त करने वाली समिति

*७५---**श्री शिवराज बहादुर**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पीलीभीत जिले में कितने आनरैरी मैजिस्ट्रेट्स हैं ?

श्री सैयद अलीजहीर---५ आनरैरी मैजिस्ट्रेट हैं।

*७६---**श्री शिवराज बहादुर**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इनकी नियुक्ति किस सन् में हुई थी ?

श्री सैयद अलीजहीर---निम्नलिखित आनरैरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति उनके नाम के सम्मुख लिखित दिनांक को हुई थी ---

१---श्रीमती सरोज साहू	४ सितम्बर, १९४७
२---श्री रुद्रभान सिंह	४ सितम्बर, १९४७
३---श्री मलिक मोहम्मद अहमद	३१ अगस्त, १९५३
४---श्री पुत्तू लाल सिंह	३१ अगस्त, १९५३
५---श्री तेज सिंह	२८ नवम्बर, १९५५

*७७---**श्री शिवराज बहादुर**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिस कमेटी ने इन आनरैरी मजिस्ट्रेटों को नियुक्ति की थी, उसके सदस्य कौन-कौन थे ?

श्री सैयद अलीजहीर---निम्नलिखित आनरैरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की सिफारिश उनके नाम के सम्मुख लिखित कमेटी के सदस्यों ने की थी:---

(१) श्रीमती सरोज साहू (२) श्री रुद्रभान सिंह	(१) श्री दुर्गा प्रसाद .. जिलाधीश। (२) श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र .. सिविल तथा सेशन्स जज। (३) श्री मुकन्द लाल अग्रवाल, एम० एल० ए०। (४) श्री भगवान सिंह, एम० एल० ए०। (५) श्री रामगुलाम, एम० एल० सी०। (६) श्री शेख इम्तियाज अहमद। (७) श्री राम स्वरूप सक्सेना एडवोकेट।

(३) श्री मलिक मोहम्मद अहमद
(४) श्री पुत्तू लाल सिंह

(१) श्री ए० के० मुस्तफी, आई० ए० एस० . . जिलाधीश ।
(२) श्री राम स्वरूप लाल, सिविल तथा सेशन्स जज ।
(३) श्री मुकन्द लाल अग्रवाल, एम० पी० ।
(४) श्री मकसूद आलम खां, एम० एल० ए० ।
(५) श्री निरंजन सिंह, एम० एल० ए० ।
(६) श्री शिवसुमरन लाल जौहरी, एम० एल० सी० ।
(७) श्री राम गुलाम ।
(८) श्री रक्षपाल सिंह, एडवोकेट ।

(५) श्री तेज सिंह

(१) श्री जी० एस० स्याल, आई० ए० एस०, जिलाधीश ।
(२) श्री ओंकार सिंह, सिविल तथा सेशन्स जज ।
(३) श्री मुकन्दलाल अग्रवाल, एम० पी० ।
(४) श्री मकसूद आलम खां, एम० एल० ए० ।
(५) श्री निरंजन सिंह, एम० एल० ए० ।
(६) श्री शिवसुमरन लाल जौहरी, एम० एल० सी० ।
(७) श्री जगदम्बा प्रसाद, एडवोकेट ।
(८) श्री राम गुलाम ।
(९) श्री भगवान सिंह ।

श्री शिवराज बहादुर--क्या मंत्री जी यह बताने की जहमत गवारा फ़रमायेंगे कि इन आनरैरी मैजिस्ट्रेट में से कितने स्पेशल मैजिस्ट्रेट हैं और कितने बैंच मैजिस्ट्रेट हैं ?

श्री सैयद अलीजहीर--श्रीमती सरोज साहू, आनरैरी मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, श्री खड्गभान सिंह, स्पेशल आनरैरी मेजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास, श्री पुत्तू लाल , श्री मलिक मोहम्मद और श्री तेज सिंह, बैंच मैजिस्ट्रेट पोलीभीत, सेकिन्ड क्लास ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि आनरैरी मैजिस्ट्रेट का कार्य-काल साल ब साल बढ़ाया जा रहा है, एक्सटेंड किया जा रहा है ?

श्री सैयद अलीजहीर--जी हां, अगर इनका काम अच्छा होता है और इनकी सिफारिश आती है जिले से तो मियाद बढ़ायी जाती है ।

लखनऊ में पत्थर के कोयले की कमी की शिकायत

*७८--**श्री गनेशीलाल चौधरी** (जिला सीतापुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि लखनऊ में पत्थर के कोयले की कमी हो गई है ?

श्री सैयद अलीजहीर--जी नहीं ।

*७९--**श्री गनेशीलाल चौधरी**--यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री सैयद अलीजहीर--प्रश्न नहीं उठता ।

*८०--**श्री गनेशी लाल चौधरी**--इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया ?

श्री सैयद अलीजहीर--प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गनेशीलाल चौधरी--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत दिसम्बर और जनवरी के महीने में जिस समय मैंने यह प्रश्न पूछा था उस समय लखनऊ में कोयले का अभाव हो गया था ?

श्री सैयद अलीजहीर--जी हां, नवम्बर और दिसम्बर में कुछ कमी जरूर हो गई थी और उसकी वजह यही थी कि कोयला उन स्थानों पर नहीं पहुंचा । मगर बहरहाल, उसके बाद गौरन इन्तजाम किया गया और अब काफी कोयला है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि लखनऊ में पत्थर के कोयले की मांग कितनी है और आजकल सप्लाई का प्रबन्ध कितना है ?

श्री सैयद अलीजहीर--जी नहीं। इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

जल-कल योजना के सम्बन्ध में मैनपुरी म्युनिसिपल बोर्ड की सड़कों का तोड़ा जाना

*८१--**श्री मलिखान सिंह** (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी, म्युनिसिपल बोर्ड की सड़कें जल-कल योजना के संबंध में तोड़ी गई हैं।

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां, जलकल के संबंध में मैनपुरी, नगरपालिका की सड़कों और पटरियों के कुछ हिस्से सी० आई० पाइप बिछाते समय खोदे गए थे।

*८२--**श्री मलिखान सिंह**--यदि हां, तो उनको आज तक क्यों ठीक नहीं किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव--सी० आई० पाइप का बिछाना और खोदी हुई सड़कों की मरम्मत करना दो अलग-अलग कार्य थे। नगरपालिका ने सड़कों की मरम्मत के लिये स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग को आवश्यक धन नहीं दिया जिनसे उनकी मरम्मत न हो सकी, क्योंकि इस कार्य को नगरपालिका स्वयं करेगी।

श्री मलिखान सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जलकल योजना से संबंधित टूटी हुई सड़कों के लिये कितने धन की आवश्यकता है ?

श्री रामस्वरूप यादव--लगभग १५ हजार रुपया व्यय होने का अनुमान है।

श्री मलिखान सिंह--नगरपालिका को इसको ठीक कराने में क्या-क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--नगरपालिका को कोई दिक्कत नहीं है। उनकी तो आर्थिक स्थिति भी अच्छी है। जब रुपया वह इस काम के लिये एलाट कर देंगे तभी वह इसको ठीक करा सकते हैं।

श्री मलिखान सिंह--क्या सरकार यह बतायेगी कि इन सड़कों को टूटे हुए आज तीन साल हो गए हैं, सरकार ने उनको आज तक ठीक क्यों नहीं कराया ?

श्री अध्यक्ष--सरकार ठीक नहीं करायेगी, म्युनिसिपैलिटी से उसका ताल्लुक है।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या इसको सुझाव मानकर कि तीन साल उनको टूटे हुए हो गए हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है,उनको कोई ऐसा आदेश देने की कृपा करेंगी कि वह जल्द से जल्द उनको ठीक करायें ?

श्री रामस्वरूप यादव--सरकार के आदेश देने का प्रश्न नहीं उठता है। माननीय सदस्य वहीं के रहने वाले हैं। वहां की नगरपालिका के जो अध्यक्ष हैं, उनसे बात कर लें।

फीरोजाबाद तहसील में सीमेंट का वितरण

*८३--**श्री जगन्नाथ लहरी** (जिला आगरा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत तीन सालों में फीरोजाबाद तहसील को कितने बोरी सीमेंट मिला है और इसमें से फीरोजाबाद नगर और तहसील के ग्रामों को कितना-कितना दिया गया ?

श्री सैयद अलीजहीर--४,४१५ टन। इसमें से २,५७५ टन फीरोजाबाद नगर को तथा १,८४० टन तहसील के ग्रामों को दिया गया।

*८४—श्री जगन्नाथ लहरी (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह फीरोजाबाद नगर के वर्तमान सीमेंट के कोटे को बढ़ाने का विचार कर रही है ? अगर हां, तो कितना ?

श्री सैयद अलीजहीर—जिस अनुपात में राज्य का कोटा बढ़ेगा उस अनुपात में जिलों और तहसीलों के कोटे में भी वृद्धि होगी। वृद्धि की मात्रा अभी बताना संभव नहीं है।

किसानों को कूप निर्माण के लिये सीमेंट की व्यवस्था

*८५—श्री जगन्नाथ लहरी (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि १-६-५७ से आगरा जिले में सरकार द्वारा सीमेंट वितरण की जो नयी योजना चालू की है उसके आधार पर किसानों को कुओं के निर्माण के लिये सीमेंट देने की कोई भी व्यवस्था नहीं है ? अगर हां, तो उसका क्या कारण है तथा कुओं के निर्माण के लिये सीमेंट किस प्रकार मिलेगा ?

श्री सैयद अलीजहीर—व्यवस्था है। किसानों को कुयें के निर्माण के लिये सीमेन्ट प्लानिंग के कोटे से दी जाती है।

*८६—श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (आजमगढ़)—[दसवें मंगलवार के लिये प्र० सं० १६१ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है।]

*८७-८८—श्री झारखंडे राय—[८ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*८९—श्री गनेशचन्द्र काछी—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर १२वें मंगलवार (१५-४-५८) के लिये स्थगित किया गया।]

मेरठ के रीजनल मार्केटिंग आफिस, में गबन

*९०—श्री रामचन्द्र विकल (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या सन् १९५१ में आर० एम० ओ० आफिस, मेरठ के खाद्य विभाग में कोई गबन हुआ ? यदि हां, तो कितने रुपयों का ?

श्री सैयद अलीजहीर—अप्रैल, १९४८ से लेकर अगस्त, १९५१ तक के बीच में रीजनल मार्केटिंग आफिस, मेरठ के कार्यालय में १,०७,४०९ रु० ३ आ० ३ पा० का गबन पाया गया।

*९१—श्री रामचन्द्र विकल—(अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या उक्त गबन के संबंध में अब तक कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ?

श्री सैयद अलीजहीर—उक्त गबन के संबंध में उक्त कार्यालय के दो अकाउन्टेंटों पर, जो प्रत्यक्ष रूप से गबन के लिये उत्तरदायी थे, सेशन अदालत में ११ मुकदमे दायर किये गये थे। इनमें से ९ का फैसला हाल में हो चुका है और दो मुकदमे अभी विचाराधीन हैं। जो कर्मचारी गबन के लिये अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी थे, उनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की जा रही है।

जिला अधिकारियों को सीमेंट वितरण का अधिकार

*९२—श्री रणबहादुर सिंह (जिला बस्ती)—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधीश, जिला सप्लाई आफिसर और तहसीलदार को अधिक से अधिक सीमेंट के कितने बोरे का परमिट देने की शक्ति है ?

श्री सैयद अलीजहीर—जिलाधीश एक वैगन तक का परमिट दे सकते हैं। उनके नीचे के अधिकारी भी यदि जिलाधीश का कोई स्थानीय प्रतिबन्ध इस संबंध में न हो तो एक वैगन तक का परमिट दे सकते हैं।

श्री रणबहादुर सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस प्रकार का अधिकार जिलाधिकारियों को कब दिया गया ?

श्री सैयदअली जहीर---यह अभी १६ जनवरी, सन् १९५८ को भेजा गया ।

ग्रामोन्नति सहकारी भंडार, कमल सागर, जिला आजमगढ़ की बकाया धनराशि

*९३---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या रसद मंत्री १४ अगस्त, सन् १९५७ के ग्रामोन्नति सहकारी भंडार, कमल सागर, जिला आजमगढ़ से सम्बन्धित तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश, आजमगढ़ की जांच की रिपोर्ट क्या आ गई ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री सैयद अली जहीर---जी हां, जांच करने से ज्ञात हुआ कि ग्रामोन्नति सहकारी भंडार, कमलसागर का केवल १८३.८१ रुपये का हिसाब बाकी है और इसके भुगतान के लिये संबंधित अधिकारियों को आदेश दे दिये गये हैं । उक्त धनराशि के अतिरिक्त उनका कोई और रुपया शेष नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या न्याय मंत्री जी बतायेंगे कि १९५१ की यह धनराशि सोसायटी के अधिकारियों के बार-बार लिखने के बावजूद भी क्यों नहीं प्रदान की गई थी ?

श्री सैयद अली जहीर---हिसाब की जांच-पड़ताल हो रही थी, उसमें कुछ गड़बड़ी थी । उनकी मांग ज्यादा की थी । आखिर में पता चला कि इतना ही रुपया बाकी है, चुनांचे उतने ही रुपये का हुक्म दे दिया गया कि इतना दे दिया जाय ।

अदालत पंचायतों के पुराने कागजात रखने का प्रबन्ध

*९४---**श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी** (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अदालत पंचायतों के पुराने कागजात मिसिल आदि रखने के लिये कहां पर प्रबन्ध किया गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---न्याय पंचायतों की पुरानी पत्रावलियां तथा मिसिल आदि पंचायत मंत्रियों के तत्वावधान में पंचायत घरों में रखी जाती हैं ।

*९५---**श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी** (अनुपस्थित)---क्या अब तक अदालत पंचायतों की मिसिल आदि भूतपूर्व सरपंचों या मंत्रियों के पास हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---न्याय पंचायतों की मिसिल आदि पंचायत मंत्रियों के पास हैं ।

पंचायत राज नियम संख्या ६६-अ, खंड (१) के अनुसार न्याय पंचायत की समस्त मिसिल आदि बन्द होने के ६ माह पश्चात पंचायत मंत्रियों के पास जमा हो जाती हैं ।

*९६---**श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी** (अनुपस्थित)---क्या सरकार अदालत पंचायत की पुरानी मिसिलों को नये निर्वाचित सरपंचों के पास या मुहाफिजखाने में रखने का प्रबन्ध करने का विचार कर रही है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---पंचायतों की मिसिलों को रखने के लिये सरकार ब्लाक केन्द्र की इमारतों में मुहाफिजखाने बनवाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

जनता प्रेस, जौनपुर को पंचायत राज विभाग के कागजों की छपाई का भुगतान न करने की शिकायत

*९७—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सन् १९५६ ई० में पंचायत राज विभाग, जौनपुर की तरफ से पंचायत लेखा रजिस्टर व पंचायत पास कों बुकों छापने का टेन्डर मांगा गया था और उक्त कार्य जनता प्रेस, जौनपुर ने किया था ? यदि हां, तो उक्त प्रेस का अब तक पेमेंट न किये जाने के कारण क्या हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। जनता प्रेस, जौनपुर को छपाई का भुगतान किया जा चुका है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि छपाई का भुगतान किस तारीख को किया गया और कितना किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—तारीख तो श्रीमन्, इसमें नहीं है लेकिन उनको १६ रु० ४ आने का भुगतान अधिक कर दिया गया। ६०० रु० का अग्रिम भुगतान किया गया था, लेकिन बाद में सुपरिन्टेन्डेन्ट गवर्नमेंट प्रेस को उनका जो बिल भेजा गया तो उन्होंने ५८३ रु० १२ आने ही भुगतान के हेतु प्रमाणित किये थे।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मंत्री जी के पास भुगतान न होने के सम्बन्ध में कोई शिकायत जनता प्रेस, जौनपुर की तरफ से आयी थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने निवेदन किया भुगतान हो चुका है। बल्कि १६ रु० ४ आना अधिक भुगतान हो चु का है जिसका नोटिस दिया गया है कि वापस करें।

द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत शाहजहांपुर जिले में सड़कें पक्की करने की योजना

*९८—**श्री बालकराम** (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वह शाहजहांपुर जिले में कौन-कौन सी सड़कें पक्की करना चाहती है ?

श्री गिरधारी लाल—कथित सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी तालिका में दी गई हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८९८ पर)

श्री बालक राम—पहले तो मुझे यह शिकायत है कि जो मुझे जबाव दिया गया है इतना भद्दा है कि पढ़ने में भी नहीं आता। इसके बाद मैं सवाल पूछता हूं।

जो सड़कें मन्जूर की गई हैं यह किस साल में मंजूर की गई थीं ?

श्री गिरधारी लाल—योजना की सड़कें हैं। दो सड़कें खासतौर पर १९५७-५८-५९ में हैं। एक जरेनपुर-उसवां मार्ग, प्रौविन्शियल हाई वे है। और दूसरी शाहजहांपुर-निगोही-बीसलपुर सड़क। एक पिछले साल मन्जूर हुई थी और एक इस साल बजट में मन्जूर हुई है।

श्री बालकराम—क्या मंत्री जी बतायेंगे जो सड़कें पिछले साल मन्जूर हुई हैं उन पर अभी तक कुछ काम शुरू हुआ है ?

श्री गिरधारी लाल—अभी मैं इस विषय में कुछ कह नहीं सकता। लेकिन पिछले वर्ष का जो बजट था वह सितम्बर में मन्जूर हुआ था और उसके बाद में उसके डीटेल्ड ऐस्टीमेट वगैरह तैयार होने में कुछ समय लगा और पिछले महीने में तमाम जितने भी काम थे उनको चालू करने की इजाजत दी गई थी। तो मैं समझता हूं अब इन सड़कों के ऊपर काम शुरू हो गया होगा।

*९९—श्री गंगा प्रसाद सिंह (जिला बलिया)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया ।]

जौनपुर जिले की कथित सीमेंट वितरण समिति

*१००—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि जौनपुर में सीमेंट के वितरण के लिये कोई कमेटी बनाई गई है ? यदि हां, तो उसके कौन-कौन सदस्य हैं और वह कमेटी कब से बनी है ?

श्री सैयद अलीजहीर—सीमेंट वितरण के लिये कोई अलग कमेटी नहीं बनाई गई है । प्रश्न नहीं उठता ।

*१०१-१०२—श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—[८ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

पर्वतीय जिला बोर्डों को विशेष अनुदान

*१०३—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह हरगोविन्द सिंह लोकल बाडीज फाइनेन्स कमेटी की इस सिफारिश को कि इस प्रदेश के पर्वतीय जिला बोर्डों को जंगलात विभाग से होने वाली आमदनी का एक चौथाई भाग प्रदान किया जाये, स्वीकार करने हेतु वह क्या कार्यवाही कर रही है ?

*१०४—क्या यह सही है कि यह प्रश्न विगत ५ वर्षों से सरकार के विचाराधीन है ?

श्री सैयद अलीजहीर—भारतीय संविधान की धारा २०२ तथा २०३ के अन्तर्गत किसी विशिष्ट मद की आय किसी व्यय विशेष के लिये अलग निर्धारित नहीं की जाती है । फिर भी जिला बोर्डों को सन् १९५७-५८ में निम्नलिखित विशेष अनुदान दिया गया था :—

	रु०
नैनीताल जिला बोर्ड	१,५०,०००
अल्मोड़ा जिला बोर्ड	२,२५,०००
गढ़वाल जिला बोर्ड	२,२५,०००
देहरादून जिला बोर्ड	१,५०,०००

सन् १९५८-५९ के बजट में उक्त उद्देश्य के लिये ७,५०,००० रुपया निर्धारित किया गया है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि यह चौथाई आमदनी इस रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार कितनी पड़ती है ?

श्री सैयद अलीजहीर—यह हिसाब मैंने नहीं लगाया ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इस बात को देखते हुए कि जो रुपया जिला बोर्डों को इस समय दिया जा रहा है हरगोविन्द सिंह कमेटी की सिफारिशों के अनुसार यह उसका एक बटे दस नहीं है । क्या सरकार उस विशेष अनुदान को बढ़ाने की कृपा करेगी ?

श्री सैयद अलीजहीर—यह तो अलग सवाल है । उसको देखा जायगा लेकिन इस का ताल्लुक हमारे वन विभाग से नहीं है ।

नोट—प्रश्न १०४ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

दीवानी तथा फौजदारी अदालतों की छुट्टियों में विभिन्नता

*१०५—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या दीवानी और फौजदारी अदालतों की छुट्टियों में कुछ विभिन्नता रहती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सैयद अलीजहीर—जी हां। चूंकि दीवानी अदालतों की छुट्टियां हाईकोर्ट मंजूर करती है और बाकी अदालतों की छुट्टियां सरकार नियत करती है इसलिए इनमें थोड़ी विभिन्नता है।

*१०६—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसके पास इस तरह के सुझाव आये हैं कि दोनों तरह की अदालतों की छुट्टियां एक-सी कर दी जावें ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां। सरकार ने हाई कोर्ट से पत्र-व्यवहार करके इन विभिन्नताओं को दूर करने का प्रयत्न किया और इसके फलस्वरूप अब कोई बहुत विभिन्नता नहीं है।

फैजाबाद जिले की गांव सभा परानपुर के प्रधान के विरुद्ध जिला पंचायत अधिकारी को शिकायत

*१०७—**श्री देवीप्रसाद मिश्र** (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि ग्राम प्रतापपुर लवइया, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के खिलाफ किसानों के खेतों पर जबरदस्ती कब्जा करके श्रमदान की सड़क बनाने के बारे में पिछले २ वर्षों से कितनी दरख्वास्तें पंचायत राज अधिकारी या जिलाधीश फैजाबाद के पास आई हैं और उन पर आज तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जिला फैजाबाद की तहसील अकबरपुर में प्रतापपुर-लवइया नाम की कोई गांव सभा नहीं है। अपितु गांव सभा परानपुर के प्रधान के विरुद्ध इस विषय पर दो दरख्वास्तें जिला पंचायत अधिकारी के पास आई थीं और एक दरख्वास्त जिला धीश के पास आई थी। इन पर उचित कार्यवाही कर दी गई है।

*१०८—**श्री देवीप्रसाद मिश्र**—क्या फैजाबाद पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ने भी एक ऐसी ही दरख्वास्त की जांच करके जिलाधीश फैजाबाद को इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिये सुझाव दिया था ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी नहीं। पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ने इस सम्बन्ध में एक दरख्वास्त पर अलग से जांच की और भारतीय दंड विधान संग्रह की धारा १०७/११७ के अधीन शान्ति की सुरक्षा के हेतु संबंधित थाने में आदेश दे दिये थे। यह मामला परगनाधीश अकबरपुर के विचाराधीन है।

बांदा जिले में ग्राम पंचायतों के टैक्स की वसूलयाबी

*१०९—**श्री गोपीकृष्ण आजाद** (जिला बांदा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा में जिला ग्राम पंचायतों का टैक्स १९५७ व १९५८ में अब तक तहसीलवार पृथक-पृथक कितना वसूल हुआ है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--बांदा जिले में ग्राम पंचायतों-का पंचायत-कर १ जनवरी, १९५७ से ३१ जनवरी, १९५८ तक कुल ३,१०,६३७ रुपये ६१ नये पैसे निम्न प्रकार तहसील-वार वसूल किया गया है ।

नाम तहसील				वसूली रु०
बांदा	..	..	..	७२,८४९.७७
नरैनी	..	..	..	७३,८९५.९८
बबेरू	..	..	..	६६,४४७.५१
करवी	..	..	..	५८,८०९.२१
मऊ	..	..	..	३८,६३५.१४
			योग ..	३,१०,६३७.६१

बाराबंकी नगरपालिका में जल-कल योजना चालू करने में विलम्ब

*११०--**श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाराबंकी नगरपालिका में वाटर वर्क्स की योजना संचालित करने का लक्ष्य कब तक का था ? यदि कार्यारम्भ अभी तक नहीं हुआ, तो क्या कारण है ? सरकार कब तक कार्यारम्भ कराने का विचार कर रही है तथा उसके लिये कितना धन स्वीकृत हुआ ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--इस योजना को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया था परन्तु कार्य न आरम्भ होने का कारण धनाभाव है । सरकार कार्यारम्भ कराने का विचार उस समय करेगी जब इस प्रकार की नई योजनाओं के लिए भारत सरकार से अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाय । इस समय इस योजना के लिए कोई धन की स्वीकृति नहीं हुई है ।

*१११-११२--**श्री लोकनाथ सिंह** (जिला वाराणसी)--[८ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

कानपुर नगरपालिका द्वारा विभिन्न कार्यों पर व्यय

*११३--**श्री मोतीलाल अवस्थी**--क्या स्वशासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगरपालिका में १९५५-५६ तथा सन् १९५६-५७ में निम्न कार्यों पर अलग-अलग क्या व्यय किया गया :

(अ) कलेक्टरगंज व कोपरगंज की गल्ला बाजार की सफाई ;

(ब) सब्जी मंडी की सफाई व मरम्मत ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--(अ) सन् १९५५-५६ तथा १९५६-५७ में कानपुर नगरपालिका ने कलेक्टरगंज व कोपरगंज गल्ला बाजार की सफाई पर क्रमशः ७,४५६ रुपया तथा ७,४६१ रुपया व्यय किया ।

(ब) १९५५-५६ में सब्जी मंडी की सफाई पर ४,९३५ रुपया तथा मरम्मत पर ५,०४३ रुपया व्यय किया गया । १९५६-५७ में उक्त मंडी की सफाई पर ४,५२० रुपया और मरम्मत पर ३,७५६ रुपया व्यय किया गया ।

*११४--श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या स्वशासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगरपालिका में १९५५-५६ तथा १९५६-५७ में निम्न कार्यों पर अलग-अलग कितना व्यय किया गया :

(अ) माल रोड (महात्मा गांधी रोड) में रोशनी वृद्धि;
(ब) माल रोड को अधिक चौड़ा करना ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---

	व्यय	
	१९५५-५६	१९५६-५७
(अ) ..	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(ब) ..	६०,२२९.३७ रु०	२,९९,८६५.९३ रु०

हरदोई जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत पुल निर्माण

*११५--श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में किन किन नदियों पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पुल बनाये जायेंगे ?

श्री गिरधारी लाल---हरदोई जिले में निम्नलिखित दो नदियों पर पुलों का निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है:

१--सई नदी पर, लखनऊ-हरदोई सड़क पर पुल।

२--लिलमई नदी पर, लमकान के निकट सांडी-हरपालपुर सड़क पर पुल।

*११६-११७--श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---[हटा दिये गये।]

सीमेंट व कोयले का कमिश्नरीवार वितरण

*११८--श्री धनुषधारी पाण्डेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५७ में प्रान्त के प्रत्येक कमिश्नरी को कितना सीमेंट तथा कोयला सरकार द्वारा एलाट किया गया था, और उसमें से कितना-कितना प्रत्येक कमिश्नरी को प्राप्त हुआ है ?

श्री सैयद अली जहीर---इसकी तालिका मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८९९ पर)

*११९--श्री धनुषधारी पाण्डेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त के प्रत्येक जिलों में कितने भट्ठे ईंटों के सन् १९५७ में चल रहे थे जिन्हें कोयला सरकार द्वारा मिला है ?

श्री सैयद अली जहीर---इसकी तालिका भी मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी च आगे पृष्ठ ९०० पर)

गोंडा जिलान्तर्गत मनकापुर-मसकन्वा सड़क के पेड़ों पर अधिकार का मामला

*१२०---श्री बलदेव सिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिला के अन्दर मनकापुर-मसकन्वा रोड पर जो पेड़ जिला बोर्ड की आज्ञा से काश्तकारों ने लगाये थे उन पर अब जब यह सड़क पी० डब्लू० डी० ने ले ली तो उन काश्तकारों के पेड़ों पर भी उसने कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारी लाल---काश्तकारों द्वारा लगाये गये पेड़ों पर उन्हीं का अधिकार है परन्तु सरकारी भूमि पर लगे होने के कारण विभागीय अधिकारियों की आज्ञा के बिना वह पेड़ काटे नहीं जा सकते हैं।

बस्ती जिले की मेंहदावल टाउन एरिया से ब्रह्मचारी जाने वाली सड़क की प्राप्ति के लिए कार्यवाही

*१२१---श्रीमती गेंदा देवी (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती के टाउन एरिया, मेंहदावल में परगनाधीश खलीलाबाद के पास कस्बा मेंहदावल के पश्चिम टोला से ब्रह्मचारी को जाने वाली सड़क के शेष भाग को एक्वायर करने के लिये गत वर्ष एवं इस वर्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी हां, इस वर्ष मेंहदावल टाउन एरिया ने मेंहदावल के पश्चिम टोला से ब्रह्मचारी को जाने वाली सड़क के शेष भाग को एक्वायर करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिलाधीश बस्ती द्वारा इन कागजातों में कुछ त्रुटियां पाई गयीं, अतः उन्हें कमेटी के पास शुद्धि करने के लिये भेजा गया है।

*१२२-१२४---श्री राजेन्द्र सिंह (जिला हरदोई)---[८ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किय गये।]

मुजफ्फरनगर जिले में ग्राम पंचायतों के प्रधानों के विरुद्ध चुनाव याचिकायें

*१२५---श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिसम्बर, १९५५ के ग्राम पंचायतों के चुनाव में निर्वाचित प्रधानों के विरुद्ध क्या अभी तक भी प्रदेश के किसी जिले में एस० डी० एम्स० के न्यायालय में पेटीशन चल रहे हैं? यदि हां, तो क्यों और किन-किन जिलों में?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी हां। निम्न जिलों में ऐसी चुनाव याचिकायें विचारा धीन हैं:

जिला आगरा, इलाहाबाद, आजमगढ़, बहराइच, बाराबंकी, बस्ती, बरेली, बिजनौर, बदायूं, बुलन्दशहर, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, जालौन, खीरी, लखनऊ, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, नैनीताल, प्रतापगढ़, पीलीभीत, सहारनपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर तथा उन्नाव।

इनमें से अधिकतर याचिकाएं जिले के न्यायालयों में निर्णीत हो चुकी थीं किन्तु उच्च न्यायालय ने निर्णय रद्द कर दिये तथा चुनाव याचिकायें पुनः निर्णय के लिये वापिस कर दीं। अब इनमें उचित कार्यवाही हो रही है। इनके अतिरिक्त कुछ याचिकायें ऐसी हैं जो प्रारम्भ से अब तक जिले में ही चल रही हैं। इनमें पर्याप्त कार्यवाही हो चुकी है और आशा है कि ये भी शीघ्र निर्णीत हो जायेंगी। इनमें अब-तक विलम्ब का मुख्य कारण संबंधित पक्षों में पूर्ण सतर्कता का अभाव है। कभी एक पक्ष नहीं आया कभी दूसरा और कभी गवाह ही अनुपस्थित रहे। कुछ याचिकायें तो इस प्रकार खारिज भी हो गईं। कभी कभी विलम्ब इस कारण भी हुआ कि परगनाधीश अन्य आवश्यक कार्यों के कारण याचिका के लिये आवश्यक समय न निकाल सके। क्षेत्राधिकार के प्रश्न ने भी इनमें काफी देर की है। प्रायः याचिकायें जुडीशियल अफसरों के यहां थीं किन्तु उच्च न्यायालय के यह निर्णय देने पर कि अतिरिक्त परगनाधीशों को चुनाव याचिका सुनने का अधिकार नहीं है, वे याचिकायें परगनाधीशों के यहां भेजनी पड़ीं।

*१२६—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या जिला मुजफ्फरनगर में अलग-अलग एस० डी० एम० के सन्मुख ऐसे कितने पेटीशन अभी तक विचाराधीन हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस जिले में दिसम्बर, १९५५ के चुनाव की केवल एक चुनाव याचिका अभी तक विचाराधीन है जो परगनाधीश कैराना के न्यायालय में है।

उप-चुनाव से संबंधित दो चुनाव याचिकायें इस जिले में और विचाराधीन हैं एक कैराना के परगनाधीश के न्यायालय में तथा दूसरी सदर के परगनाधीश के न्यायालय में।

अकबरपुर-टांडा रेलवे लाइन को पुनः चालू करने की मांग

*१२७—श्रीमती रामरती देवी (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५५ के जुलाई मास में सरकार द्वारा टांडा रेलवे लाइन के बारे में केंद्रीय सरकार को, जो सिफारिश भेजी गई थी, उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री गिरधारी लाल—अकबरपुर-टांडा उखाड़ी गई रेलवे लाइन को फिर से बिछाने के लिये भारत सरकार ने अपने १९५८-५९ के बजट में १० लाख रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया है।

श्री राज्यपाल को दिये गये मर्सी पिटीशन्स

*१२८—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी, १९५७ से १ फरवरी, १९५८ तक कितनी मरसी पिटीशन हुईं और राज्यपाल द्वारा कितनों को क्षमा प्रदान किया गया ? क्या सरकार इसका ब्यौरा नामवार तथा जिलावार सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री सैयद अलीजहीर—१ जनवरी, १९५७ से १ फरवरी, १९५८ तक ८१ मरसी पिटीशन हुई थीं और उनमें से उस काल में १२ व्यक्तियों को क्षमा प्रदान की गयी, जिसका ब्यौरा नामवार तथा जिलावार संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ९०१ पर)

द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत मुरादाबाद जिले में पक्की सड़कें

*१२९—श्री बुद्धि सिंह (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुरादाबाद जिले में कहां-कहां नई सड़क पक्की बनाने की योजना है ?

श्री गिरधारी लाल—कथित सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी सूची में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ९०२ पर)

आगरा में अल्प-आय-गृह योजनान्तर्गत दिये गये ऋण

*१३०—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी विभाग द्वारा आगरा में अल्प-आय-गृह योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को ऋण मंजूर किये गये, पर जिनको पहली किस्त अभी तक नहीं दी गई ?

श्री सैयद अलीजहीर—११७ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके प्रार्थना-पत्रों पर निम्न आय वर्ग गृह योजना के अन्तर्गत ऋण स्वीकृत किये जा चुके हैं पर प्रथम किस्त का रुपया अभी तक नहीं दिया गया है।

बुलन्दशहर जिले में सिकन्दराबाद-गुलावठी सड़क को पक्की करने की प्रार्थना

*१३१--श्रीमती सत्यवती देवी रावल (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला बुलन्दशहर में सिकन्दराबाद-गुलावठी कच्ची सड़क द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पक्की की जायगी ?

श्री गिरधारी लाल--जी नहीं ।

*१३२--**श्रीमती सत्यवती देवी रावल**--क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त सड़क कई स्थानों पर टूटने तथा पुल पुलियों के खराब होने के कारण सभी प्रकार के यातायात के लिये अयोग्य है ?

श्री गिरधारी लाल--यह कच्ची सड़क जिला बोर्ड के अधीन है । इसकी इस समय की हालत खराब होना तो संभव ही है ।

*१३३--**श्रीमती सत्यवती देवी रावल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसकी मरम्मत के लिये १९५७-५८ में कितना अनुदान देने का विचार है ?

श्री गिरधारी लाल--कच्ची सड़कों के रख-रखाव के लिये जिला बोर्डों को २०० रु० प्रति मील के हिसाब से हर साल अनुदान दिया जाता है । १९५७-५८ में जो अनुदान जिला बोर्ड, बुलन्दशहर को दिया गया उसमें इस सड़क के रखरखाव के लिये भी धन सम्मिलित था ।

बदायूं जिले में आनरैरी मैजिस्ट्रेटों के यहां पुलिस चालानी मुकदमें

*१३४--**श्री श्रीकृष्ण गोयल** (जिला बदायूं)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले में किस-किस दफा के पुलिस चालानी मुकदमें आनरैरी मैजिस्ट्रेटों के यहां भेजे जाते हैं ?

श्री सैयद अलीजहीर--बदायूं जिले में गैम्बलिंग ऐक्ट की धारा ३-४ व १३ के अन्तर्गत पुलिस चालानी मुकदमे आनरैरी मैजिस्ट्रेटों के यहां भेजे जाते हैं । लेकिन वैतनिक मैजिस्ट्रेटों की कमी के समय कुछ मामूली मुकदमे इंडियन पीनल कोड की धारा १४७, ३०७, ३२५, ३७९ तथा ३८० के अन्तर्गत और कुछ मुकदमे आर्म्स ऐक्ट की धारा १९ के अन्तर्गत भी आनरेरी स्पेशल मैजिस्ट्रेटों के यहां भेजे गये थे ।

*१३५--**श्री गनेशचन्द्र काछी**--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर बारहवें मंगलवार (१५ अप्रैल, १९५८) के लिये स्थगित किया गया ।]

*१३६-१३८--**श्री रूमसिंह**--[माल मंत्री से संबंधित तेरहवें वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १०५-१०७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

भट्ठा सहकारी संघ, घाता नगला, तहसील अलीगंज, जिला एटा के हिसाब की जांच करने की मांग

*१३९--**श्री भूप किशोर** (जिला एटा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या भट्ठा सहकारी संघ, घाता नगला, तहसील अलीगंज, जिला एटा में हिसाब का आडिट तीन साल सन् १९५५ व १९५६ व १९५७ से नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस संघ के भट्ठे के हिसाब को तुरन्त जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री मोहन लाल गौतम--जी हां । उक्त भट्ठे का आडिट अब किया जा रहा है ।

घाता नगला कोआपरेटिव सोसाइटी, तहसील अलीगंज, जिला एटा, में गबन

*१४०—**श्री भूपकिशोर**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि घाता नगला कोआपरेटिव सोसाइटी, तहसील अलीगंज, जिला एटा, में गबन के कारण कुछ व्यक्तियों पर गबन का मुकदमा चल रहा है ?

श्री मोहन लाल गौतम—जी हां।

बस्ती जिले में सड़कों और पुलों का निर्माण

*१४१—**श्री रणबहादुर सिंह**—क्या निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किन-किन सड़कों का निर्माण और किन-किन पुलों का निर्माण हुआ है ?

श्री गिरधारी लाल—वांछित सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी सूची में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ९०३-९०४ पर)

*१४२—**श्री रणबहादुर सिंह**—क्या निर्माण मंत्री बतायेंगे कि हरैया से बभनान रोड, जिला बस्ती पर कितने मील सड़क बन गयी है और कितनी बाकी है और कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री गिरधारी लाल—बभनान-हरैया ११ मील लम्बे मार्ग के ९ १/२ मील की लम्बाई में सी० सी० ट्रैक बन चुके हैं। शेष १ १/२ मील में सी० सी० ट्रैक बनने का कार्य अप्रैल सन् १९५८ के अन्त तक समाप्त हो जाने की संभावना है।

आजमगढ़ जिले में तमसा नदी पर पुल निर्माण

*१४३—**श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी**—आजमगढ़ नगर में तमसा पर जो पुल बन रहा है उसमें कुल कितना धन व्यय होगा तथा कितने दिन में बन कर तैयार हो जायगा ?

श्री गिरधारी लाल—प्रथम भाग—इस पुल के निर्माण में १०.५९ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है।

द्वितीय भाग—कथित पुल के अप्रैल, १९५९ तक तैयार हो जाने की संभावना है।

*१४४—**श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ में तमसा नदी पर जो पुल बन रहा है, उसके लिये सरकार को भूमि एक्वायर करने की जरूरत पड़ी थी ?

श्री गिरधारी लाल—जी हां, पुल की एप्रोच रोड के लिये ९०.०३ एकड़ अस्थायी भूमि तथा १६.१९ एकड़ स्थायी भूमि ली जा रही है।

*१४५—**श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी**—क्या सरकार उन लोगों को, जिनकी भूमि उपर्युक्त सड़क और पुल बनाने के लिये ले ली गई है, कहीं अन्य स्थान पर भूमि देने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं।

महाराजगंज-घुघली सड़क को सीमेंटेड करने में विलम्ब

*१४६—**श्री अमरनाथ**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महाराजगंज से घुघली जाने वाली सड़क को सीमेंट रोड बनाने के लिये गन्ना विकास विभाग घुघली और पंजाब शुगर मिल, घुघली द्वारा जो धन जमा है वह कितना है और इस सड़क के अब तक न बनने का कारण क्या है ?

श्री गिरधारी लाल---प्रथम भाग---कथित सड़क का केवल २ मील का भाग घुघली-शिकारपुर नाम से सीमेंट कांक्रीट ट्रैक बनाने के लिये स्वीकृत हुआ है जिसके लिये गन्ना विकास परिषद्, घुघली तथा पंजाब शुगर मिल, घुघली द्वारा कुल २५,३३४ रुपये जमा हुआ है।

द्वितीय भाग---यह कार्य सितम्बर, १९५६ में सरकार द्वारा स्वीकृत हुआ। उसके बाद इसका विस्तृत आगणन तैयार किया गया और उसकी स्वीकृति के पश्चात् निर्माण कार्य जनवरी, ५७ में आरम्भ किया गया। सड़क पर कार्य प्रगति में है।

झांसी जिले में सुखनई नदी के रपटा के जीर्णोद्धार की प्रार्थना

*१४७---**श्रीमती बेनीबाई** (जिला झांसी)---क्या सरकार झांसी जिले में स्थित नगरमऊ-रानीपुर रेलवे स्टेशन और निकटवर्ती अन्य गांवों के बीच का सुखनई नदी का रपटा जो बिलकुल जीर्ण हो गया है उसके पुनर्निर्माण के लिये धन स्वीकार करेगी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी नहीं।

तहसील महाराजगंज, जिला गोरखपुर में बंजर भूमि

*१४८---**श्री अमरनाथ**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महाराजगंज, तहसील, जिला गोरखपुर में बंजर भूमि कितनी है और इसमें से जंगलात में कितनी ली गई है? क्या सरकार बाकी भूमि, भूमिहीनों को देने का विचार कर रही है?

श्री सैयद अली जहीर---महाराजगंज तहसील, जिला गोरखपुर में कुल बंजर भूमि १४,०२१ एकड़ है जिसमें से ३,८०० एकड़ भूमि वन विभाग में ली गई है और बाकी भूमि में से १,०३० एकड़ भूमि को वितरण करने का विचार है।

गोरखपुर जिले में जंगली पशुओं द्वारा फसलों को क्षति

*१४९---**श्री अमरनाथ**---क्या सरकार को पता है कि जिला गोरखपुर के वनों के किनारे तार न लगे होने के कारण जंगली पशुओं के द्वारा समीप के खेतों की फसलों को क्षति पहुंचती है? यदि हां, तो क्या सरकार तार लगवाने की व्यवस्था करने की कृपा करेगी?

श्री सैयद अली जहीर---जिला गोरखपुर के वनों के किनारे तार बाढ़ करना संभव नहीं है क्योंकि इसमें केवल महाराजगंज तहसील में ही ५,००,००० रुपये से अधिक व्यय होगा।

गोरखपुर के पी० डब्ल्यू० डी० के अधिकारियों द्वारा कथित भ्रष्टाचार

*१५०---**श्री झारखंडे राय**---क्या मुख्य मंत्री को गोरखपुर क्रान्तिकारी सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री श्री जगदीश पाठक की ओर से पी० डब्ल्यू० डी० (गोरखपुर) के अधिकारियों के विरुद्ध ५०-६० हजार रुपयों के सरकारी सामान के भ्रष्टाचार आरोप सम्बन्धी कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है?

श्री गिरधारी लाल---जी हां। श्री जगदीश पाठक, मंत्री क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, गोरखपुर का पी० डब्ल्यू० डी०, गोरखपुर में भ्रष्टाचार एवं चोरी से माल बेचने का शिकायती पत्र सरकार को प्राप्त हुआ था।

*१५१---**श्री झारखंडे राय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर के पी० डब्ल्यू० डी० के अधिकारियों के विरुद्ध ५०-६० हजार रुपये के सरकारी सामान के गोलमाल की शिकायत गोरखपुर जिलाधीश को गत २२ जून, १९५७ को गोरखपुर क्रान्तिकारी सोशलिस्ट पार्टी के मन्त्री श्री जगदीश पाठक की ओर से प्राप्त हुई थी?

श्री गिरधारी लाल---जी हां।

*१५२--श्री झारखंडे राय--यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिलाधीश ने क्या कार्यवाही की ?

श्री गिरधारी लाल--जिलाधीश, गोरखपुर ने आरक्षा अधीक्षक से जांच कराई थी। प्रार्थना-पत्र में कोई वास्तविकता नहीं पाई गई और न आरोपों को पुष्टि में कोई प्रमाण ही मिल सके।

बरेली-शीशगढ़ मार्ग का वर्षा ऋतु में बन्द रहना

*१५३--श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली से शीशगढ़ जाने का मार्ग यातायात के लिये वर्षा ऋतु में कितने समय के लिये बन्द रहता है ?

श्री गिरधारी लाल--इस सड़क के बिथौड़ाशाही-शीशगढ़ भाग पर वर्षा ऋतु में शाही के निकट बैगुल नदी पर नाव का पुल टूट जाने के कारण यातायात लगभग ६ महीने बन्द रहता है ।

*१५४--श्री गंगा प्रसाद सिंह--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

खाद्य, कृषि, सिविल सप्लाईज तथा उद्योग विभागों को मिलाने के सम्बन्ध में जानकारी

*१५५--श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)--क्या यह सही है कि सरकार खाद्य विभाग को कृषि विभाग में तथा सिविल सप्लाईज विभाग को उद्योग में मिलाने जा रही है ?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं।

अतारांकित प्रश्न

१--श्री वंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--[मुख्य मंत्री से सम्बन्धित ग्यारहवें गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या ६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

खीरी जिले की सड़कें

२--श्री वंशीधर शुक्ल--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि खीरी जिले में कितनी सड़कें हैं, और उनमें कितनी पक्की सड़कें हैं और कितनी ऐसी हैं जो बरसात में बन्द हो जाती हैं ?

श्री गिरधारी लाल--खीरी जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग व जिला बोर्ड के अधीन सड़कें तथा उनमें से जो बरसात में बन्द हो जाती हैं उनका विवरण सदस्य महोदय की मेज पर रखी सूची में दिया हुआ है । वन विभाग के अधीन सड़कों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ९०५-९०७ पर)

आगरा जिले की पिछड़ी तथा परिगणित जाति के पंचायत सेक्रेटरी

३--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले में कितने पंचायत सेक्रटरी हैं ? उनमें क्रमशः कितने पिछड़ी तथा परिगणित जाति में से हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---आगरा जिले में १३९ पंचायत सेक्रेटरी हैं, जिनमें १२ पिछड़ी तथा ९ परिगणित जाति के हैं।

आगामी कार्य-क्रम के बारे में पूछताछ

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से करना चाहता हूं कि २८ मार्च तक का कार्यक्रम तो हम लोगों के सामने निर्धारित है। २८ के बाद अधिवेशन का कार्यक्रम क्या है, कब तक सदन बैठेगा, कब उठेगा, इसकी जानकारी चाहता था।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मैं व्योरे के साथ यह तो नहीं कह सकता कि क्या क्या काम होगा? लेकिन अभी तक मेरा ऐसा खयाल है कि सदन ४ अप्रैल तक बैठेगा।

श्री अध्यक्ष---४ को तो छुट्टी है, ५ को चुनाव है। तो ५ तारीख तक बैठेगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---५ तारीख को शायद रविवार पड़ता है।

श्री अध्यक्ष---४ को गुड फ्राइडे है, तो ३ को सदन बैठेगा और ४ को नहीं बैठेगा। ५ को चुनाव है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां।

श्री अध्यक्ष---तो चुनाव के दिन शनिवार को बैठने के लिये फिर आप को प्रस्ताव लाना पड़ेगा।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव के सम्बन्ध में जानकारी

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---माननीय मुख्य मंत्री और लोकल बाडीज के मंत्री भी यहां उपस्थित हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव सारे सूबे से संबंधित हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव इसी मई में होने वाले हैं। तमाम पोलिटिकल पार्टीज उसमें आयेंगी। उसके लिये तैयारियां होंगी। तमाम तैयारी करने के बाद फिर यह न कहा जाय कि मई में चुनाव नहीं होंगे, अक्तूबर या नवम्बर में होंगे। ऐसी बातों के लिये निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार और एक उसूल पर चलना चाहिये। अगर कुछ परिवर्तन हो तो शीघ्रातिशीघ्र घोषणा कर देनी चाहिए।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---जो कुछ भी होना होगा उसकी सूचना तो जरूर ही वक्त से मिल जायगी और एक नियत कार्यक्रम के अनुसार मैं समझता हूं जितने लोग यहां हैं सभी चलना चाहते हैं। फिर भी मैं ऐसी आशा करता हूं कि २ या ३ तारीख को जिस दिन सदन की बैठक खत्म होगी उस वक्त तक मैं निश्चित रूप से यह बात सदन के सामने रख सकूंगा।

आगामी कार्य-क्रम के सम्बन्ध में पूछताछ

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---मेरे पास जो कार्यक्रम की सूचना है उसके अनुसार २६ तारीख को विधायिका कार्य के लिये लिखा हुआ है। कौन सा विधेयक लिया जायगा इसकी कोई इत्तिला न होने से सदस्यों को बड़ी कठिनाई होती है तैयारी करने में।

श्री अध्यक्ष---ऐसा ज्ञात होता है, शायद आप बहुत पुरानी चीज पढ़ रहे हैं। बजट २७ तारीख तक चलेगा और २८ को असरकारी दिन है। पहली सूचना देने के पश्चात यह बात निश्चित हो गई है।

१९५८-५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ९--लेखा शीर्षक १७,१८ और १९ ख--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य, अनुदान संख्या १०--लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८--सिंचाई स्थापना पर व्यय तथा अनुदान संख्या ४४--लेखा शीर्षक ६८--सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण

श्री अध्यक्ष--अब वित्तीय वर्ष सन् १९५८-५९ के आय-व्ययक पर विचार होगा। अनुदान संख्या ९, १० तथा ४४ पर विवाद जारी रहेगा।

श्री शिवराज बली सिंह (जिला फतेहपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि १२ वर्ष पहले के जमाने से आज की तुलना की जाय तो उसमें कोई सन्देह नहीं कि सिंचाई विभाग ने काफी काम किया है। जिन सरकारी कर्मचारियों ने ईमानदारी से काम किया, जी तोड़ कर काम किया, अपने पैसे से अधिक मूल्य के पैसे को समझा है और अपने काम से अधिक देश के काम को समझा है वे बधाई के पात्र हैं। इसमें कोई शक नहीं कि देश का भविष्य इन्हीं लोगों पर निर्भर है। इसलिये मैं पुनः इन लोगों को बधाई देता हूं। यह भी अपनी जगह पर सत्य है कि काम काफी तादाद में हुआ।

कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर नहरें काफी तादाद में निकलीं, मजदूर काफी लगे, बांध और बंधियां बनीं और पानी पीने के लिये कुएं भी बने। लेकिन यह भी अपनी जगह पर सत्य बात है कि कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें न के बराबर काम हुआ है। मेरी प्रार्थना मंत्री जी से और मंत्रिमंडल से यह है कि जब बजट बने तो जो छोटे मोटे जिले हों, जिनकी कोई देखरेख नहीं करता है उनको भी अपने सामने रख कर वहां के लिये कुछ काम किया जाना चाहिये। मैं कुछ जिलों की बात कहता हूं, जैसे बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव और रायबरेली इत्यादि। ये ऐसे जिले हैं। या तो फिर वहां मेम्बर्स ऐसे नहीं हैं जो वहां के मुताल्लिक काम मंत्रिमंडल के सामने पेश करें।

मैं फतेहपुर के सम्बन्ध में आपको बतलाता हूं कि आप के सिंचाई विभाग की तरफ से जो पुस्तिका बंटी है उसमें एक जगह नोट है कि १९५२ के कार्यक्रम के अनुकूल भारत सरकार ने ९ जिलों में ३६० नलकूप की स्वीकृति दी है। लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि फतेहपुर जिले क लिये २ नलकूप दिये गये हैं। मुझे पता नहीं कि कायदे से ४० नलकूप आते हैं, लेकिन यह दुर्भाग्य है, या सम्भव है कि यह कहा जाय कि वहां पर नलकूप कामयाब नहीं होते। लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब पर्वतीय स्थानों पर और पत्थरों पर नलकूप कामयाब हो सकते हैं तो क्या वजह है कि मैदानी इलाके में नलकूप कामयाब न हों। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि नलकूप न कामयाब हों, तो मेरे लिये दूसरा रास्ता यही था कि मैं विभागीय कर्मचारियों से और मंत्री जी से मिलूं और मंत्री जी ने भी स्वयं जाकर उन इलाकों को देखा। फतेहपुर क्षेत्र में कुछ इलाका ऐसा है जहां पर न कुएं हैं, न तालाब हैं, न नहरें हैं। आप समझ सकते हैं कि जहां पानी की व्यवस्था नहीं है वहां पर अन्न की हालत कैसी होगी? क्योंकि अन्न के लिये सब से जरूरी चीज पानी है। इसके लिये सिर्फ एक उत्तर मिलता है कि केवल रामगंगा का बांध बनने पर

[श्री शिवराज बली सिंह]

पानी की व्यवस्था हो सकेगी। आजतक हम और हमारा जिला शान्ति और संतोष के साथ बैठा रहा। अगर हम समझते हैं कि साल, २ साल के अन्दर बांध बन जायगा और पानी की व्यवस्था हो जायगी तो हम इतने उतावले नहीं हैं, इतनी तेजी पर नहीं हैं कि यह कहें कि आज ही काम होना चाहिये। लेकिन १०-५ वर्ष तक कोई व्यवस्था होने की आशा नहीं है तो मेरी राय है कि आप कुएं बनवाना शुरू कर दें। जो लोग परिश्रमी होंगे वे अपना गल्ला उत्पादन कर लेंगे, सिंचाई कर लेंगे, अपनी व्यवस्था ठीक कर लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इस साल बरसात भादों के महीने से खत्म हो गयी तो खरीफ की फसल खराब गयी और रबी की भी खराब गयी। इसलिये बार-बार मेरी उनसे प्रार्थना है कि उस बांध की प्रतीक्षा न करें, कुएं बनवा दें या नलकूप बनवा दें, जो हमारे हिस्से में हों। मैं यह नहीं कहता कि ४० हों तो ४० ही बन जायं, ३०, ३५, २०, जो कुछ भी लगवा सकें वह लगवा दिये जायं।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि कभी-कभी सदन में यह शिकायत होती है कि विभाग के कर्मचारी बहुत कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यानी गबन कर रहे हैं। इसका अर्थ मैं यही समझता हूं कि क्या मंत्रिमंडल इन बातों से वाकिफ न होगा? यानी उनको अवश्य जानकारी होगी, यह चीज बढ़ती चली जा रही है। जब कि देश एक तरफ दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है, जनता से पैसा जमा कर के अन्न उत्पादन के लिये देश प्रयत्नशील है, उस समय अगर कोई भी कर्मचारी अपनी सुख सुविधा के लिये ऊंची-ऊंची अट्टालिकाएं महल या गगनचुम्बी बनवायें और अपने परिवार के लिये सुख साधन के सामान जोड़ें तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति के लिये कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिये। मुझे मंत्री महोदय से यह भी कहना है आपके द्वारा कि यदि इस सम्बन्ध में कानून में परिवर्तन की भी आवश्यकता हो तो वह लाना चाहिये, क्योंकि मर्ज बढ़ता जा रहा है और उचित समझें तो कानून में परिवर्तन कर के उनके लिए सजा यह रखनी चाहिये कि जो उच्च कर्मचारी हैं, जो कि यह समझता है कि मैं वैज्ञानिक हूं, इंजीनियर हूं, पढ़ा-लिखा हूं और जानकार हूं तो जितना ही ऊंचा एक व्यक्ति अपने को समझता हो उसके लिये उतनी ही अधिक सजा होनी चाहिये। इन लोगों के लिये उचित यह है कि कचहरी या कोर्ट के सामने तारीख और समय निश्चित कर के कोड़े की सजा दी जाय और जो छोटे कर्मचारी हैं उनको जेल में कड़ी सजा, यानी चक्की की सजा दी जाय।

मुझे इतना ही कहना है और अनुदान का समर्थन करते हुये पुनः यह चाहता हूं कि ऐसे टूटे-फूटे जिलों को याद रखें और वहां काम जारी किया जाय।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---मान्यवर, मैं आप के द्वारा मन्त्री महोदय का ध्यान इर्रीगेशन सब-कमेटी की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो कि प्रत्येक जिले में ३-४ वर्ष हुये बनीं। इनके कन्वीनर इन्जीनियर होते हैं और दुर्भाग्य है कि किसी भी जिले में इनकी बैठक तब तक नहीं बुलाई जाती जब तक वर्षा आरम्भ न हो जाय। वर्षा आरम्भ होने के उपरान्त कभी जुलाई और कभी अगस्त में इसकी बैठक बुलायी जाती है जब कि कतई उसकी जरूरत नहीं होती। ऐसे बहुत से जिले हैं। अगर माननीय मंत्री जी चाहें तो फैजाबाद जिले की प्रोसीडिंग्स मंगवा कर देख लें कि ये मीटिंग्स कब हुईं और यदि नहीं हुई तो क्यों नहीं हुईं। तो ऐसी कमेटियों से क्या लाभ जिनकी मीटिंग समय पर न हो। मेरा राय में अगर इंजीनियर्स की जगह ए० डी० एम० प्लानिंग या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर्स इनके कन्वीनर मुकर्रर किये जायं तो अच्छा हो क्योंकि इंजीनियर साहबान वक्त दे नहीं पाते है जिसकी वजह से ये मीटिंग्स कभी बुलायी नहीं जातीं।

दूसरी चीज यह है कि कच्चे कुंओं की जरूरत अभी बहुत जगह है और जब जनता द्वारा उनकी मांग की जाती है तो कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। जो पक्की

*वक्ता ने भाषण का पूनर्वीक्षण नहीं किया।

नालियां बनी हैं, थोड़े ही दिनों में उनकी सीमेंट गिरने लगती है और ईंटें बिखरने लगती हैं। हम अगर प्लानिंग पर रुपया खर्च करना चाहते हैं तो यह कोई दल का सवाल नहीं है। उधर बैठने वाले जनता की भलाई के उतने ही उत्सुक हैं जितने कि इधर के बैठने वाले। मैं उन्हीं पर यह निर्णय छोड़ देता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि इर्रीगेशन पर जितना रुपया सरकार खर्च कर रही है उसका दुरुपयोग हो रहा है और ठेकेदारों और इंजीनियरों की जेब में रुपया जा रहा है ? अगर उस रुपये का एक अच्छा हिस्सा हम तक पहुंचता तो हमें बहुत लाभ पहुंच सकता था। मैं इस विभाग की मजबूरियां समझ सकता हूं जब मंत्री जी यह कहेंगे कि मैं तो इसको नहीं बना सकता हूं । आप चाहें पी० डब्ल्यू० डी० को यह काम दीजिये या और निर्माण का कार्य जिन डिपार्टमेंट्स के जिम्मे है उनको दीजिये। होता यह है कि ७५ फ़ीसदी रुपया ठेकेदारों, इंजीनियरों और ओवरसियरों की जेबों में जाता है। आज ओवरसियरों की ऐसी आर्थिक स्थिति है जो जिले में डिप्टी कलेक्टर्स की भी नहीं है। वे खूब सिनेमा देख सकते हैं और स्काच भी पी सकते हैं और शैम्पेन का भी शौक कर सकते हैं। यही ओवरसियर और ठेकेदार हैं जिनके सुपुर्द आज निर्माण का कार्य किया गया है। जब कि ऐसी परिस्थिति में रुपया लिया जा रहा है, कोई भी चाहे इधर बैठें या उधर बैठें, टैक्स सभी को देना होता है तो सब को खल रहा है। अगर आप प्लानिंग का काम करना चाहते हैं, अगर दूसरे मुल्कों से ऋण लेना चाहते हैं और हम से त्याग करवाना चाहते हैं, बलिदान कराना चाहते हैं, न्योछावर कराना चाहते हैं हमारे सुखों का, तो आप को यह भी देखना होगा कि हमारे रुपये का थोड़े से मुट्ठी भर लोगों द्वारा सदुपयोग होता है, यह हम नहीं देख सकते हैं।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि फैजाबाद में सोहावल पावर स्टेशन से पावर दी जाती है । लेकिन वहां जब सिंचाई का वक्त होता है तो बिजली नहीं रहती है। जब पानी बरस जाता है तो बिजली काफी हो जाती है। जो रेट्स मौजूदा थे वे नहीं दे सकते थे। आपने आज १६,००० कर दिया है। लेकिन साथ ही साथ यह भी है कि जब पानी की जरूरत होती है तो उस समय नहीं मिलता है। ट्यूबवेल वाले कहते हैं कि हम क्या करें। हाइडिल की वजह से मजबूरी है क्योंकि सोहावल पावर नहीं देता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस पर ध्यान दें और दोनों विभागों का कोआर्डिनेशन वास्तविक रूप में होना चाहिये अन्यथा आपका यह काम कभी भी सफल नहीं हो सकता है।

श्रीमन्, झांसी डिवीजन में एक बंदियों की स्कीम है। वहां ट्यूबवेल काम नहीं दे सकेंगे। इसलिये प्लानिंग कमेटी ने इस स्कीम को अपनाया है। अगर इसको तत्काल कार्यान्वित कर दिया जाय तो मैं समझता हूं कि वहां के लोगों को लाभ पहुंच सकता है। श्रीमन्, आज सिंचाई पर बहुत धन व्यय किया जा रहा है। इसके रेट्स बहुत ज्यादा हैं और जहां तक खेती का सवाल है हम इसको बरदाश्त नहीं कर सकते हैं। लक्जरी की और चीजों पर आप टैक्स लगा दीजिये लेकिन अन्न उपजाओ का नारा बहुत दिनों से आप बुलन्द कर रहे हैं और जब हम सहायता या सुविधा चाहते हैं तो हमारे सामने रेट्स रखे जाते हैं जिन्हें हम नहीं ले सकते हैं। इधर फसल तैयार खड़ी होती है उधर ठेकेदार गूल निकाल लेते हैं। हजरतगंज में आप चीजों के ढेर लगा दें, लेकिन जब रुपया नहीं होगा तो लोग कैसे खरीदेंगे। लोग इससे भी भागने लगेंगे।

श्री शिवशरण लाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)---अध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि थोड़े

[श्री शिवशरण लाल श्रीवास्तव]

समय के अन्दर सिंचाई के संबंध में जो व्यवस्था की गई है हमारे प्रदेश में, वह सराहनीय है और माननीय मंत्री जी को क्रियाशील देखने का मुझे भी अवसर मिला है। मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ। जिस तरह से वे घोड़े पर चढ़ कर गये और नदियों में नावों द्वारा सफर किया और उन क्षेत्रों को हमने देखा जहां पर सिंचाई और बाढ़ में रक्षा करने की व्यवस्था करने की ज्यादा आवश्यकता थी।

एक पुस्तिका सिंचाई के सम्बन्ध में इस सदन में बांटी गई है। उसमें एक बहुत बड़ी फेहरिस्त है जिसमें जो सिंचाई के काम १० वर्षों में हमारे प्रदेश के अन्दर हुये हैं, उनको बतलाया गया है। मुझे भी, श्रीमन्, कुछ ऐसी योजनाओं को देखने का अवसर मिला है जैसा कि माताटोला बांध, अर्जुन बांध इत्यादि। मैं स्वयं वहां गया और देखा कि किस तरह के बड़े काम हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त जब मैं इस पुस्तिका को देखकर अपने अनुभव की कसौटी पर कसता हूं तो मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि हमारे सिंचाई मन्त्री वास्तव में बधाई के पात्र हैं।

कल से इस सम्बन्ध में विवाद चल रहा है। काफी सुझाव दिये गये और काफी बातें प्रदेश के सभी अंचलों के बारे में कही गईं, लेकिन इत्तफाक से एक ऐसा अंचल है जिसके सम्बन्ध म कोई चर्चा अभी तक नहीं हुई। तो, श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से आज माननीय मन्त्री जी का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वह अंचल है आपके नेपाल की तराई का इलाका जहां पर आज सूखा पड़ा हुआ है और लाखों रुपया सरकार टेस्ट वर्क और अन्य तरीके से उनकी सुविधा के लिये वहां पर व्यय कर रही है। यह वह क्षेत्र है जहां पर करीब ७ साल से मुतवातिर जनता सूखे से पीड़ित है। यह सही है कि वहां भी कुछ सिंचाई के साधन उपलब्ध किये गये हैं। जैसे कि बहराइच में रामपुर सरोवर और बनघुघवा सरोवर बनाये गये हैं और ट्यूबवेल की व्यवस्था की गई है, लेकिन उस क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुये यह करीब करीब नहीं के बराबर है। ऐसी अवस्था में जब कि वहां पर ७ साल से मुतवातिर सूखे से जनता शिकार हो रही है तो वहां पर ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। अगर बहराइच जिले के जुगराफिये पर नजर डाली जाय तो मालूम होगा कि वहां पर काफी दरियायें हैं। यह जाहिर है कि वह ऐसा जिला है जहां पर काफी दरिया बहते हैं और वहां पर बाढ़ की समस्या जटिल है। इसके साथ-साथ कुछ और भी कारण हैं जिनका कि मैंने अभी जिक्र किया है, जिसकी वजह से वहां पर सिंचाई की व्यवस्था करने की अधिक से अधिक जरूरत है।

वहां पर जो तराई का इलाका है वहां पर पहाड़ों से आकर कूल्हे बहते हैं। हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वहां पर ९ सरोवर बनने थे जिसमें से २ बन चुके हैं। अगर माननीय मन्त्री जी उस तरफ ध्यान दें और ४, ५ और भी बना दें तो यह हर साल जो सरकार को वहां पर सहायता पहुंचानी पड़ती है और लाखों की तादाद में जो रुपया सर्फा करना पड़ता है उसकी बचत हो जायगी। यही नहीं, आपको अधिक अन्न उपजाओ योजना में भी सहायता मिल सकती है। वहां पर जो पिछड़ा हुआ इलाका है अगर उस पिछड़े हुये इलाके में सिंचाई की व्यवस्था हो जाय तो इससे अन्न की उपज में बढ़ोत्तरी हो सकती है।

इसके अतिरिक्त वहां पर जैसा कि हमारे इंजीनियरों की रिपोर्ट है कि वहां पर ट्यूबवेल नहीं लग सकते हैं। तो हमने स्वयं २ प्राइवेट ट्यूबवेल लगाकर अनुभव किया है। हम समझते हैं कि वहां पर ट्यूबवेल लग सकते हैं। दो की बोरिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक इंजिन नहीं लगे हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में ट्यूबवेल लग सकते हैं। तराई के पास एक क्षेत्र है जिसको भिनगा कहते हैं। वहां पर बाढ़ की समस्या जटिल है। वहां पर राप्ती और मटला नदी हैं जो बरसात के दिनों में अपना भयानक रूप धारण कर लेती हैं जिससे काफी एरिया को हानि पहुंचती है। वहां से राप्ती जिन जिलों में आगे बहती जाती है वहां इसके

किनारे-किनारे बांध बनते चले जाते हैं। उसका नतीजा यह है कि वहां जो पानी नंग होकर निकलता है जिससे बहराइच जिले के अन्दर कोई बांध न मिलने पर पानी बराबर फैलता रहता है। न मालूम कितने गांव कट कर बह गये हैं। अगर एक सर्वे का इन्तजाम हमारे इंजीनियर महोदय कर लें और देखें कि वहां पर वह समस्या किस तरह से हल की जा सकती है तो काफी फायदा हो सकता है।

मैं, श्रीमन्, इस सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहता हूं और वह यह है कि सबसे बड़ी चीज तो यह है कि इस राप्ती और मतला को और गहरा किया जाय अन्यथा यह बहुत बड़ा अनर्थ कर देंगी। न मालूम इनके कारण कितने गांव बह जायंगे। इसके बाद एक उपरहार का इलाका है जिसको हम अपर स्ट्रेटा कहते हैं। उसमें ट्यूबवेल लगाये गये हैं, लेकिन वह इंटीरियर में नहीं हैं। वहां का किसान इरिगेशन माइन्डेड है और वह छोटे-छोटे कुएं बनाकर सिंचाई की व्यवस्था करते हैं। लेकिन यह उनकी व्यवस्था नाकाफी है और इससे उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। तो इस लिये यदि माननीय मंत्री जी वहां अधिक ट्यूबवेल लगवा दें तो मैं कह सकता हूं कि बहराइच जिला जो कि अपने सूबे में एक सरप्लस डिस्ट्रिक्ट है वह २, ४ या ६ जिलों को और खाना पहुंचा सकता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस ओर अधिक ध्यान दें ताकि हम अधिक अन्न उपजाओ योजना में अधिक से अधिक सहयोग दे कर एक बड़ी समस्या को हल कर सकें जो कि हमारे प्रदेश में सरकार के लिये एक दर्द सर हो रही है। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)––मैं, अध्यक्ष महोदय, इस कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में कुछ कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने इस अनुदान के द्वारा जो रुपया हमसे मांगा है और जो पुस्तिका उन्होंने कल वितरित की है उसको देख कर मुझे बड़ा आश्चर्य और बड़ी चिन्ता हो रही है। हम देखें कि जो रुपया प्रत्येक साल हम मंत्री महोदय को देते हैं उसके अनुपात में हमको मिलता क्या है? श्रीमन्, हमारे प्रदेश की खाद्य समस्या कभी भी ठीक से हल नहीं हो सकती जब तक कि सरकार किसानों को, जनता को सस्ती दर पर सिंचाई के साधन उपलब्ध न करावे। जब तक ऐसा न होगा अधिक अन्न उपजाओ का नारा बेकार ही रहेगा।

श्रीमन्, इस प्रदेश में क्या सिंचित एरिया है और सरकारी साधनों से कितनी सिंचाई होती है इसके कुछ आंकड़े मैं १९५५–५६ की ऋतु और उपज की रिपोर्ट से पढ़ देना चाहता हूं। इस प्रदेश में कुओं द्वारा सिंचित ४८.८ प्रतिशत सरकारी नहरों द्वारा ३५.२, निजी नहरों द्वारा ०.१ प्रतिशत, तालाबों द्वारा १०.१ और अन्य साधनों द्वारा ५.८ प्रतिशत एरिया है। यानी प्रदेश के कुल एरिया का ३५.२ प्रतिशत एरिया सरकारी साधनों द्वारा सिंचित होता है। यही नहीं, सिंचित एरिया जो है वह १९५५–५६ के मुकाबिले में १९५६–५७ में कम हुआ है। पहले के मुकाबले में यह ०.८ प्रतिशत कम रहा है। तो सिंचाई का क्षेत्र बजाय बढ़ने के कम होता जा रहा है सरकारी साधनों से और ३५.२ कुछ प्रतिशत की सिंचाई हो रही है, फूड ग्रेन इंक्वायरी कमेटी जो माननीय अशोक मेहता साहब के तत्वावधान में बैठा था, उसने पूर्वी जिलों के बारे में लिखी, है और उन्होंने अपनी सिफारिशों में

[श्री उग्रसेन]

अपनी रिपोर्ट के पेज १२९ पर जो लिखा है उसे मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं:—

"But it must be pointed out that the larger part of the irrigation is accounted for by masonary wells and other minor irrigation works. State work play a less important role in these districts than in the State a a whole".

सारे प्रदेश में जो सिंचाई हो रही है उसमें ट्यूबवेल का ज्यादा महत्व है। तालाबों से भी अच्छी सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है और पूर्वी जिलों में तो सरकारी साधनों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था बहुत ही कम है। श्रीमन्, मैं गोरखपुर की बात बता सकता हूं कि वहां .३० प्रतिशत सरकारी नहरों और सरकारी साधनों से कल्टीवेटेड एरिया की सिंचाई होती है। अगर पूरे फैजाबाद डिवीजन को मिला लिया जाय तो ४.२३ प्रतिशत एरिया को सिंचाई सरकारी साधनों से होती है। तो सरकारी साधनों से सिंचित एरिया पूरे प्रदेश में कम है और पूर्वी जिलों में तो बहुत ही कम है, अन्न उपजे कहां से? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसका क्या होगा। आपके ट्यूववेल्स में ६० हजार रुपया लगता है। पश्चिमी जिलों में बहुत से किसान २०—२५ हजार रुपये में ट्यूबवल्स लगाते हैं, लेकिन सिंचाई विभाग उन पर खर्च कर रहा है ६० हजार। ट्यूबवेल्स के टेंडर्स में ही लाखों रुपयों का गबन कर लिया गया। एकाउन्टेंट जनरल ने इसके ऊपर एतराज किया है। अगर सरकार वाकई किसानों की मदद करना चाहती है तो जिस क्षेत्र में वह ट्यूबवेल्स लगाना चाहती है उस क्षेत्र में कोआपरेटिव सोसाइटी बनाये, उनको ट्यूबवेल के लिये अनुदान दे और जिस रेट पर व ट्यूबवेल डिवीजन को इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बिजली देता है, उसी रेट पर कोआपरेटिव सोसाइटी को दे ताकि किसानों को सीधा फायदा हो सके। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे और ट्यूबवेल्स का विकेंद्रीकरण करेंगे। इस प्रकार से सारी जिम्मेदारी किसानों की हो जायगी। देवरिया में ऐसे ऐसे ट्यूबवेल्स हैं जो २१ एकड़ सिंचाई करते हैं। गये साल १५ ट्यूववेल्स ऐसे थे। माननीय माल मंत्री जी ने कहा था कि ऐसे स्थानों पर जहां कमांड एरिया ५००—१,००० एकड़ हो, वहां पर अगर १५—२० एकड़ को सिंचाई होती है तो उस जगह रहट लगवा देना चाहिये अथवा किन्हीं दूसरे साधनों से सिंचाई करनी चाहिये। उसमें खर्चा भी कम होगा और सिंचाई भी ज्यादा होगी तथा रेट भी कम आयेगा।

श्रीमन्, सिंचाई की दरें बढ़ती जा रही हैं इन्हीं दरों को कम करने के लिये सोशलिस्ट पार्टी ने आन्दोलन चलाया था। आज भी चंदौली में आन्दोलन चल रहा है। लोगों से ३—३ गुना रुपया वसूल किया जा रहा है। गेहूं की सिंचाई होती है तो गन्ने की भर दी जाती है।

पारसाल भी मैंने कहा था और इस साल भी कहता हूं कि सन् ५७—५८ में बाढ़ विभाग का पूर्वी जिलों में कोई काम नहीं हुआ है। एक गांव को भी ऊंचा नहीं किया गया और न कटाव से बचाने का ही कोई काम हुआ है जब कि बलिया और देवरिया में भीषण कटाव हुये हैं। ५२ गांव कट चुके हैं और २० हजार व्यक्ति होमलेस हो चुके हैं। अगर आपने राप्ती, गंडक और सरजू के कटावों की योजना चालू न की तो लाखों एकड़ जमीन बालू हो जायगी और रेवेन्यू में कमी होगी। इसलिये कटाव योजना को आप लागू करें।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे जिले गोंडा में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ७० ट्यूबवेल्स रखे गये थे लेकिन २ वर्ष बीते जाते हैं वहां

पर एक भी ट्यूबवेल नहीं लगाया गया और इस साल भी बजट में बिलकुल शून्य है। पता नहीं किस तरह से चीफ इंजीनियर साहब ने इस योजना को बनाया है। इससे तो मालूम होता है कि इस योजना में गोंडा का नाम ही न रहेगा।

हमारे जिला गोंडा के प्राकृतिक ३ विभाग हैं तराई, उपरहार और तरहर। तराई के खेतों में धान अधिक पैदा होता है। वहां पर २ बांध बनाये जाने थे लेकिन वे भी अभी तक पूरे नहीं हो पाये हैं। मेरी प्रार्थना है कि सरकार इन बांधों को पूरा कराने के बाद सिचाई के साधनों को मुहैया कर दें। अगर गूजों को ठीक न किया जायगा तो सिचाई अच्छी नहीं हो सकती। उपरहार का हिस्सा एक ऐसा हिस्सा है जहां दोनों फसलें हमारे यहां पैदा होती हैं। इस वर्ष जब सूखा पड़ा तो वहां काफी खेत पड़े रह गये और इस सूखे जमाने में सरकार ने सड़कों के किनारे तो कुछ ट्यूबवेल्स बनाने का प्रयत्न किया, लेकिन कुछ भाग ऐसे हैं जहां अभी सरकार का कदम नहीं गया है और शायद सर्वे भी नहीं हुआ है। आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वहां सर्वे कराया जाय। परसना महादेवा, नवाबगंज, बखनीपार, बूढ़ापार सादुल्ला नगर, मनकापुर, पहाड़ापुर, कौड़िया का टप्पा, धानेपुर, के क्षेत्र ऐसे हैं, जहां सिचाई के साधन पूरे तौर पर नहीं हैं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि हमारे जिले में छोटे-छोटे नलकूप लगाने के लिये किसानों की तरफ से नियोजन विभाग के पास १२ हजार प्रार्थना-पत्र आये हैं। वहां बोरिंग के लिये जो मशीन हैं, जिससे बोरिंग की जाती है, १० ही हैं, इस सम्बन्ध में हमारे यहां की प्लानिंग कमेटी ने सरकार को कई बार लिखा, लेकिन वहां एक मशीन भी नहीं गयी। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे शीघ्र से शीघ्र कम से कम २० मशीनें और दें जिससे वहां जल्दी बोरिंग का काम शुरू हो जाय और छोटे-छोटे नलकूप लगा दिये जायं।

सबसे बड़ी चीज यह है कि वहां नलकूप के लिये कुछ अनुदान दिया जाय जिससे छोटे-छोटे किसान अपने खेतों में नलकूप लगा सकें। यदि सिचाई के साधन उपलब्ध हों तो जो देश के अन्दर अन्न की कमी है, उसको हम पूरी कर सकते हैं। साथ ही साथ पक्के कुओं के लिये भी किसानों की बहुत सी दरख्वास्तें हैं, लेकिन सरकार उनके लिये कोई अनुदान नहीं देती है, अगर सरकार पक्के कुएं बनवाने के लिये भी कुछ अनुदान दे तो वहां की समस्या हल हो सकती है।

सिचाई विभाग के सम्बन्ध में सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि इसके लिये २ डिवीजन्स हैं, गोंडा और बहराइच। अगर महादेवा, नवाबगंज में कोई चीज खराब होती है, या कोई दरख्वास्त देनी होती है तो उसकी कोई सुनवाई वहां बहराइच में नहीं होती है। इसलिये आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि गोंडा और बहराइच जो २ डिवीजन्स हैं, उनसे बहराइच को अलग कर दिया जाय और गोंडा डिवीजन को भी उसी जिले का सम्पूर्ण काम करने दिया जाय क्योंकि इससे गोंडा जिले के लोगों की दिक्कतें दूर हो जायंगी।

तीसरी चीज यह है कि सरजू से धरौरा बंध जो बना है उससे हमारे तरहर क्षेत्र में काफी लाभ हुआ और वह यह कि इस वर्ष बाढ़ नहीं आयी, जिससे काफी मक्का पैदा हुई। जो जगह-जगह

[श्री गंगा प्रसाद]

पुल बनाने की बात थी, माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि शीघ्र से शीघ्र पुल बनाये जायं जिससे पानी जो ज्यादा आता है, वह बन्द हो, इससे काफी लाभ उठाया जा सकता है ।

इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि गूलें जो निकली हैं, उनके लिये किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है और जो गूलें बनी हैं उनमें सीमेंट और बालू १/१६ के हिसाब से लगाया गया है, गारे से जुड़ाई हुई है, जिससे सब के सब गूल टूट गये हैं। आपक द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट एक कमेटी बनावे, एक कमीशन नियुक्त करे, जिससे ये तमाम चीजें जो भ्रष्टाचार आदि नलकूप विभाग में हो रही ह, उनकी वह जांच करे और जिस अधिकारी की गलती पायी जाय उसको गवर्नमेन्ट निकाल दे। हमारे यहां एक स्टार्टर की चोरी हुई, लेकिन किसानों को अभी तक दूसरा स्टार्टर नहीं गया, और जो आपरेटर उसके लिये जिम्मेदार था उसको निकालना तो दूर रहा बल्कि उसको तरक्की दे दी गयी । जब विभाग की यह हालत है तो वहां के अधिकारियों की क्या हालत होगी, आप सोच सकते हैं। हमारे यहां गोंडा के कौड़िया क्षेत्र में गेहूं की फसल बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वहां सिंचाई के लिये सरकार ने कोई साधन नहीं दिया है। बहराइच को जो सड़क जाती है उसके किनारे काफी नलकूप लगे हैं, यह तो बड़ी अच्छी बात है। इस सम्बन्ध में भूतपूर्व सिंचाई मंत्री माननीय कमलापति त्रिपाठी जी ने आश्वासन दिया था कि खिरिया में नलकूप लगाया जायगा और श्री बी० पी० सक्सेना ने भी लिख कर दिया था, लकिन इस साल भी उसका आयोजन नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वहां पर नलकूप शीघ्र ही लगवाने का प्रबंध करें ताकि वहां पर सिंचाई का साधन उपलब्ध हो ।

श्री रघुवीर सिंह (जिला एटा)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान में एक रुपये की कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने अपने सुन्दर भाषण में बताया कि उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाओं को कार्यान्वित कर के देश को लाभ पहुंचाया। इस में सन्देह नहीं कि इस तरह की कुछ योजनायें बनीं और उनसे कुछ लाभ भी हुआ, परन्तु जितनी आशा की जाती थी उतना लाभ देखने में नहीं आया। इसके कुछ कारण मैं माननीय मंत्री जी को बताऊंगा । हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है, यहां पर करीब ८८ प्रतिशत किसान हैं जो अपना जीवन यापन कृषि से ही करते हैं, खेती ही उनकी जीविका का मुख्य साधन है। इसलिये ऐसे प्रदेश में तो सिंचाई विभाग में और भी सचेत होकर काम करना चाहिये और किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का ध्येय रखना चाहिये। जैसा कि मैंने अभी कहा कि उससे पूरा लाभ नहीं पहुंचा है उसका कारण मैं बताता हूं। एक कारण तो यह है कि विभागीय अधिकारियों ने किसानों से अभी तक अपना सम्पर्क स्थापित नहीं किया, अच्छा तो यह था कि मंत्री महोदय से लेकर नीचे पतरौल और आपरेटर तक सब को किसानों से सम्पर्क स्थापित करना चाहिये था और उनसे मिलकर मालूम करना चाहिये कि तुम्हारी क्या जरूरत है और कैसे लाभ पहुंच सकता है ? मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि किस तरह से जिले के अधिकारी, जिलाधीश, नियोजन अधिकारी आदि जनता से सम्पर्क स्थापित करते हैं, उस तरह से यह विभाग सम्पर्क नहीं स्थापित करता। मैं नहीं कह सकता कि वे संकुचित विचार के हैं या अपने को बड़ा समझते हैं या वे स्वयं समझ ही नहीं पाते कि किस वक्त किस चीज की किस को जरूरत है और इसका नतीजा यह होता है कि जनता को ठीक से लाभ नहीं पहुंच पाता। वह लोग डी० पी० सी० की मीटिंग में भी नहीं आते जब कि जिले के कोने-कोने से लोग आते हैं, यदि वे वहां आयें तब उनको जिले का पूरा नकशा और तरह तरह की बातें मालूम हो जाया करें कि किस जगह क्या काम होना चाहिये, परन्तु वे न जाने क्यों वहां जाना अपना कर्त्तव्य ही नहीं समझते और नहीं जाते ।

मैं अपने जिले के बारे में बता दूं कि हमारा जिला एटा एक ऐसा जिला है कि जिसका कुछ भाग अलीगढ़ डिवीजन में है, कुछ मैनपुरी डिवीजन में है और कुछ आगरा डिवीजन में है।

एटा में कोई भी एग्जिक्यूटिव इंजीनियर नहीं रहते हैं और इस कारण से हमारे यहां कोई भी सिंचाई विभाग का आदमी डी० पी० सी० की मीटिंग में नहीं आता। हमारे जिले में ऐसी छोटी-छोटी नदियां हैं जिनको लोअर गेंजेज केनाल के नीचे होकर निकाला गया है, इनके साइफन छोटे (तंग) बनाये गये हैं। वे नदियां हैं अरिन्द, ईसन और सिरसा, जब बरसात आती है तो ये नदियां बड़ा भीषण रूप धारण कर लेती हैं और उनका पानी ऊंचा उठकर मीलों में फैल जाता है और खेती को नुकसान पहुंचाता है। उसके विषय में मैंने सुझाव भी दिये, दरख्वास्त भी दी और जनता की ओर से भी प्रार्थना-पत्र दिये गये, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, विभिन्न स्थानों पर नालों द्वारा जो पानी नदियों में डाल दिया गया है उस की वजह से उन को पहले से कई गुना पानी ले जाना पड़ता है जो उनकी सामर्थ्य के बाहर है। भीषण बाढ़ आती है और फसल नष्ट हो जाती है, यदि ठीक से इंतजाम न हुआ तो ये नदियां दिन प्रति दिन ऊंची होती जायंगी। क्योंकि पानी स्थिर होकर ऊंचा उठ जाता है और ऊंचा उठने के कारण उसकी तह में मिट्टी जमती जाती है। इससे नदियों का फैलाव बढ़ता जा रहा है।

इसके पश्चात् मैं आपके सामने एक बात और रख देना चाहता हूं कि रजबहे से लेकर खेतों तक ले जाने वाली जो नालियां होती हैं उनसे जो खेत वहां पड़ते हैं किसानों के उनकी सिंचाई होती है। ऐसी नालियों को सरकार खुद अपने कब्जे में ले ले तो ज्यादा अच्छा हो क्योंकि जब तक सब किसान इकट्ठा नहीं हो जाते तब तक कोई उनकी सफाई नहीं करता। अगर सरकार द्वारा उनकी सफाई कर दी जाय तो सिंचाई में आसानी हो सकती है।

इसके अतिरिक्त बहुत सी नदियां भी ऐसी हैं जिनकी सरकार आबपाशी लेती है लेकिन ऐसी नदियों की सफाई आदि के लिये कोई पैसा सरकार खर्च नहीं करती है। मेरा यह भी सुझाव है कि जिन नदियों की सरकार आबपाशी लेती है उनकी सफाई का भी प्रबंध वह करे और उन नदियों की आबपाशी आधी ली जाय। निर्माण कार्यों के रेट में यथासम्भव कमी की जाय क्योंकि यह देखा गया है और सुना गया है, बहुत से ठेकेदार साहबान हम लोगों से इस बात को कहा करते हैं कि रेट इतने बढ़ हुये हैं कि हमको उसका बहुत बड़ा हिस्सा इधर-उधर देना पड़ता है।

अधिक न कह कर मैं इतना कहना मुनासिब समझता हूं कि मंत्री महोदय को यथासम्भव रेटों को कम कर देने के लिये सोचना चाहिये और उनको यथासम्भव कम किया जाय। ट्यूबवेल की बाबत मुझे यह कहना है कि बहुत से ट्यूबवेल ऐसे स्थानों पर बनाये गये हैं जहां उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रायः ऐसा देखा गया है कि जहां छोटे-छोटे किसान हैं जो खुद अपने परिश्रम से ही अपने खेतों को सींचा करते थे वे ट्यूबवेल का पानी नहीं लेना चाहते क्योंकि उनको इस तरह से बहुत-सा रुपया बेकार खर्च करना पड़ता है। इसलिये ये ट्यूबवेल ऐसी जगहों पर ही बनाये जायं जहां उनकी आवश्यकता हो।

*श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई के सम्बन्ध में जो अनुदान सदन के सामने प्रस्तुत हैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आप जानते हैं कि इस देश की गरीबी और बेकारी को दूर करने के लिये मेरा दृष्टिकोण यह रहा है कि इस देश का औद्योगीकरण होना आवश्यक है और इस प्रदेश का औद्योगीकरण अच्छी कृषि पर ही हो सकता है। तो मैं यह समझता हूं कि यहां की कृषि का उत्पादन बढ़ाने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवकीनन्दन विभव]

के लिये सिंचाई का विशेष महत्व है और इसीलिये इस प्रदेश की प्रथम पंचवर्षीय योजना में काफी धनराशि इसकी सिंचाई और पावर के ऊपर व्यय की गई है। आज जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आंकड़े हमारे सामने हैं उसमें सिंचाई पर और उसके साथ ही अकाल के सम्बन्ध में और बाढ़ इत्यादि के सम्बन्ध मे जो योजनायें हैं, उन पर हम ९०,००,००,००० से भी ज्यादा धनराशि इस प्रदेश में खर्च करने जा रहे हैं। तो इस दृष्टि से इस सिंचाई विभाग का एक विशेष महत्व है और विशेषकर जब कि हम देखते हैं कि आज से बहुत पुराने वक्त में १९०३ में जो प्लानिंग कमीशन बनी उसने इस बात की सिफारिश की थी कि अकाल से इस प्रदेश को बचाने के लिये यह आवश्यक है कि कम से कम ४० प्रतिशत जो सिंचाई है प्रदेश के निर्माण के साधनों से उसकी व्यवस्था की जानी चाहिये। मुझे खेद है कि आज भी हम उस परिस्थिति को नहीं पहुंच सके हैं। मैं जब आंकड़े देखता हूं, जो सरकारी विभाग के द्वारा प्राप्त हुए हैं, तो उनसे मुझे यह प्रतीत होता है कि १९४६ में जब कि सिंचित भूमि और बोई हुई भूमि का अनुपात ३० परसेंट था तब १९५० में वह २९.७ रह गया और १९५४-५५ में २९.४ रह गया। इसका कारण क्या है? इतना अधिक व्यय किया, इतनी योजनाएं सफलता पूर्वक प्रदेश में स्थापित की गईं इस पर भी हमारा अनुपात गिरा। उसका कारण यह है कि जो नई भूमि जोत के अन्तर्गत ली गई उसके अनुपात में हमारे इर्रीगेशन के साधनों का समुचित विकास प्रदेश में नहीं हो सका। इसलिए मैं समझता हूं कि प्रदेश में खाद्य समस्या को हल करने के लिये और औद्योगीकरण की पृष्ठभूमि को स्थापित करने के लिये, यहां की कमर्शियल क्राप को उठाने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम अपने इर्रीगेशन के साधनों को अधिक बलवान और प्रगतिशील बनायें और खासतौर से मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारी प्लानिंग का कितनी ही चीजों में तालमेल नहीं बैठता है। कहीं न कहीं प्लानिंग में कुछ न कुछ डिफैक्ट है। क्यों? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमारा इर्रीगेटेड एरिया २८,००,००० बढ़ा है तब उसका आफ टेक ऐक्चुअल ११,००,००० से ज्यादा नहीं हुआ। उसका कारण यह है कि हमारे यहां चैनल्स की कमी है। इससे यह प्रतीत होता है कि प्लानिंग में जहां चैनल्स का जितना स्थान होना चाहिये था उतना नहीं दिया गया, उसका प्रयोग नहीं किया। मेरा समय थोड़ा है। इसलिये मैं अपने जिले की बात एक, दो मिनट में कहना चाहता हूं।

मेरा जिला आगरा और मथुरा जिसे ब्रजभूमि कहते हैं आज पानी से पीड़ित है, वहां की भूमि पानी की प्यास से पीड़ित है, पानी के लिये चिल्ला रही है। लेकिन आज तक मुझे अत्यन्त खेद है कि इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं के बाद भी उस जिले के सिंचित एरिया में एक एकड़ का भी वृद्धि नहीं हुई। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उस ब्रजभूमि का और भी ध्यान दें और उसके लिये भी कोई रास्ता, वहां की समस्या को हल करने के लिये निकालें जिससे उसका निराकरण हो।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, सिंचाई मंत्री जी ने अपने भाषण के समय सिंचाई विभाग की काफी सराहना की है कि काफी तरक्की इस विभाग ने की है। मान्यवर, उनको और सदन को यह देखना है कि सिंचाई विभाग सचमुच में कितनी तरक्की की है। जहां तक हम इस बात को देखते हैं कि सन् १९४५-४६ में ५९,५३,००० एकड़ भूमि में सिंचाई होती थी वहां अब १९५५-५६ में सिर्फ ६३,८३,००० एकड़ भूमि में सिंचाई होती है और दूसरी तरफ सिंचाई का टैक्स १९४४-४५ में १४२ लाख रुपये था वह १९५७-५८ में ८२१ लाख हो गया। सिंचाई का टैक्स ५ गुना बढ़ गया और सिंचाई के साधनों में प्रगति ड्योढ़ी भी नहीं हुई। इसलिये मैं यह समझता हूं कि माननीय सिंचाई मंत्री जी का जो यह दावा है कि सिंचाई विभाग ने काफी तरक्की की है गलत है, वह तरक्की उतनी नहीं हुई है।

मान्यवर, सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला हो गया है जिसकी कोई हद नहीं है। सरकार तो यह कहती है कि भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार कहने की लोगों को

आदत पड़ गयी है, लेकिन हमारी ट्रेजरी बेंचेज के बहुत से माननीय सदस्यों ने भी इस बात को कहा कि जहां जहां ट्यूबवेल्स बने हैं वहां एक भी नाली आज मौजूद नहीं मिलेगी। ठेकेदारों ने रुपया खा लिया और जहां नाली बनायी गयी वहां सीमेंट का हिस्सा १ और बालू १० के अनुपात से लगा दिया गया जिसमें बाद में नाली और जमीन सब मिल कर एक हो गयी। इसलिये लोगों को काफी कठिनाई होती है।

माननीय मंत्री ने १५ करोड़ का अनुदान मांगा है। हमें देने में कोई विशेष कठिनाई नहीं है लेकिन इस रुपये को इस तरीके से खर्च करना चाहिये ताकि उसका सदुपयोग हो सके। हम देखते हैं कि इन १५ करोड़ में से ५ करोड़ के करीब तनख्वाहों में और इधर-उधर चला जायगा। उसमें कुछ रुपया बड़ी बड़ी आलीशान इमारतों के लिये रखा गया है। जब आप मानते हैं कि हमारा सूबा गरीब है, किसान रात दिन मेहनत करने के बाद भी रोटी और कपड़ा नहीं पाता तब बड़ी बड़ी आलीशान इमारतों के बनाने की क्या जरूरत है? माननीय मंत्री जो कहते हैं कि इस तरह की आलोचना नहीं होनी चाहिये, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप सचमुच किसानों की तरक्की चाहते हैं, किसान सींचे और पैदावार बढ़ायें तो सिंचाई योजना में उस रुपये को ज्यादा से ज्यादा खर्च करें ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। हम अभी आलीशान इमारतों के लायक नहीं हैं कि हम उनको बना कर उनमें रहें।

सिंचाई योजना के सम्बन्ध में माननीय मंत्री को कुओं पर भी ध्यान देना चाहिये। बड़ी बड़ी योजनाओं से किसानों को उतना लाभ नहीं हो सकता जितना कि कुओं और रहट से होता है। मेरी राय तो यही है कि चाहे पूर्वी जिले हों या पश्चिमी जिले पक्के कुएं व रहट बनाकर किसानों को दिये जायं ताकि किसानों की पैदावार बढ़ सके।

कुओं की बोरिंग के लिये जो मजदूर रखे जाते हैं वे रात दिन काम करते हैं उन्हें स्थायी नहीं किया गया है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इन कर्मचारियों को स्थायी किया जाय।

सन् १९४६ से जो बड़े बड़े तालाब थे उनसे सिंचाई और पीने के काम में पानी आता था। लेकिन बहुत से लोगों ने उनको जोत लिया। उन तालाबों को सिंचाई योजना में ले लिया जाना चाहिये। चन्दौली तहसील में एक पचोखर ताल है। उस तालाब से पहले सिंचाई के लिये पानी लिया जाता था। नियमताबाद गांव सभा का वह तालाब था। सरकार की तरफ से एक छलका बनाकर उस पर टैक्स लगा दिया गया, पहले टैक्स नहीं था जिससे लोगों ने पानी लेना बन्द कर दिया। इसलिये माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस तरफ भी ध्यान दें।

श्री मुकिन्नाथ राय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं लेकिन आपके द्वारा, यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जिले आजमगढ़ में इस वर्ष नलकूप बहुत कम रखे गये हैं और सिंचाई के लिये जिले की स्थिति अभी बहुत अनिश्चित है। जो नलकूप बने हैं उनका कमांडिंग एरिया बहुत कम है। जितना कमांडिंग एरिया है उस हिसाब से सिंचाई नहीं हो पायी। गत वर्ष की बात है, नलकूप से पानी देते समय बिजली फेल हो जाया करती थी और गूलें बड़ी खराब बनी हुई थीं। मेरा निवेदन है कि नलकूप होने चाहिये, क्योंकि यह बिलकुल असिंचित एरिया है और सूखा और अधिक वर्षा से त्रस्त है। लेकिन जब नलकूप बने तो वहां की जनता से राय अवश्य ले ली जाय, क्योंकि जो बने हैं उनका अनुभव है कि उनका लेविल लो है, पानी ठीक से चढ़ता नहीं है।

दूसरी चीज मुझे नहरों के बारे में कहनी है। मेरे क्षेत्र में टांडा पम्प कैनाल की एक कपसा माइनर है, एक मदुरी ग्राम के पास आकर रोक दी गयी है और एक कम्हवड

[श्री मुक्तिनाथ राय]

के पास आयी है। जो नहर मदुरी से आगे जाने वाली है उसके सम्बन्ध में मैंने इस विधान सभा में प्रश्न किया था तो मालूम हुआ कि ५ मील ४ फर्लांग बनने के बाद यह नहर नहीं बनेगी। लेकिन जो दूसरी कपसा माइनर के नाम से है वह बनने वाली है। मैं निवेदन करूं कि जिन गांवों से यह कपसा माइनर जायगी जैसे बछ आपार, तेरही, कप्तानगंज, गोपलापुर, भितेहरा, रौसड़, सेमरा तिवारी, कादीपुर तिवारी, चैवता इत्यादि वहां की जनता ने एक प्रार्थनापत्र एक साल पहले दिया था जोकि सरकार के पास होगा। मेरा इसके बारे में निवेदन यह है कि हमारे अधिकारी जो नहरों का निर्माण करते हैं गांव में जाकर वे किसानों के फायदे से ज्यादा कुछ अपनी सहूलियत का खयाल करते हैं। यह नहर जो कपसा माइनर जाने वाली है वह बिलकुल बढ़िया रबी के एरिया से जाने वाली है और आखिर में एक गांव कपसा है जहां धान का क्षेत्र है वह वहां पहुंचेंगी, लेकिन बीच में १२-१३ मौजे ऐसे हैं जिनकी मिट्टी नर्म है और वह रबी का एरिया है जहां नलकूप चाहिये और मदुरी के पास जो नहर रोक दी गयी है बिलकुल ऊसर जमीन में है। बीच में ५ मील का इलाका जो अच्छी मिट्टी का था और जहां के किसानों ने एतराज भी किया था, उस इलाके को पार करने के बाद जब वह ऊसर में आ गयी तो काम रोक दिया गया है। इसलिये अगर कोई नहर बनाना भी आवश्यक है, तो जो कपसा माइनर नहर बनाने में दिलचस्पी ली जा रही है, उसको इस वक्त स्थगित कर दिया जाय, एक साल, दो साल बाद बनायें लेकिन जो मदुरी के पास और कुमहैवट के पास जो नहर आयी हैं ये धान के क्षेत्र में जायंगी, इनका निर्माण जरूरी है।

एक निवेदन यह है कि नहरों के निर्माण कार्य में ज्यादा पैसा प्राइवेट पाकेट्स में जाता है। पता नहीं ये ठेकेदार कहां के होते हैं? गांव सभा या अन्य लोगों को ठेके नहीं दिये जाते हैं। मेरे पास कई एक दरख्वास्तें हैं। मेरे पास ये शिकायतें आयी हैं कि यह जो वर्क आर्डर होता है वह पहले होना चाहिये, उसके बाद काम दिया जाना चाहिये, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक आदमी से जबानी कह दिया जाता है कि तुम काम करो। काम वह कर लेता है, फिर उसके बाद दूसरे आदमी को पटा लिया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम काम करो। तो यह समझ में नहीं आता कि वर्क आर्डर होता नहीं है, एक आदमी से आधा काम करा लिया जाता है और दूसरे आदमी से बाद को पूरा करा कर वर्क आर्डर किया जाता है। इस प्रकार की बहुत शिकायतें आ रही हैं और इस प्रकार जो पैसा निर्माण कार्य में लगना चाहिये वह प्राइवेट पाकेट्स में जाता है, इसको सरकार को रोकना चाहिये या तो कोई कमेटी बना करके या दूसरे तरीके से। इसमें कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिये।

एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि हमारे यहां कुछ गांव की पटायी की गयी, कुछ फ्लड शेल्टर्स बनाये गये।

मैं दो मिनट और चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष---जो नहीं।

श्री मुक्तिनाथ राय---उसमें मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। बापू हायर सेकेंडरी स्कूल, कोपागंज, आजमगढ़ जिले में है। वहां फ्लड शेल्टर के लिये जो रुपया रखा गया था उसमें कहा गया कि केवल दो कमरे और एक गुसलखाना बन सकता है, लेकिन अध्यापक लोगों ने वर्क आर्डर अपने नाम करवा लिया। किसी प्रकार डी० एम० से कहकर और उसी में ३ कमरे वैसे ही बनवा दिये जैसे कि वे दो कमरे और गुसलखाना बनवाना चाहते थे। लेकिन हुआ यह कि वे मास्टर लोग ३ महीने तक दौड़े, ४०० रुपया उनका निजी खर्च हुआ। पता नहीं कि आज क्या हो रहा है, उन्हें पेमेन्ट हुआ कि नहीं? तो जो बड़े-बड़े काम होते हैं उनमें भ्रष्टाचार ज्यादा होता है। हमें दुःख होता है जब हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार होता है, लेकिन यह असलियत है। अतः सरकार जब चाहती है कि निर्माण कार्य हो और जनता

की गाढ़ी कमाई का पैसा प्राइवेट पाकेट में न जाय तो उसे इस तरफ ध्यान देना चाहिये और बाबू हायर सेकेंडरी स्कूल, कोपागंज के मामले को भी सरकार देखे।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी के अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती के विवाद में करीब २६ सदस्यों ने भाग लिया और अधिकांश सदस्यों ने अपने यहां की स्थानीय समस्याओं के सम्बन्ध में सदन में प्रकाश डाला जिसको मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी हर एक के बारे में समाधान करेंगे।

कुछ जरूरी समस्यायें भी लोगों ने रखी हैं, जैसे माननीय मदन पांडेय जी ने पूर्वी जिलों में नदी घाटी योजना के बारे में कहा। वह मामला बहुत दिनों से विचाराधीन है और मुझे उम्मीद है कि उस समस्या को हल करने के लिये मंत्री जी ध्यान देंगे और सेन्ट्रल गवर्नमेंट से रुपया लेकर इस कार्य को करने का प्रयत्न करेंगे।

दूसरी चीज पूर्वी यमुना नहर की कैपेसिटी बढ़ाने के बारे में कही गयी। उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

तीसरी बात माननीय गोविन्द नारायण तिवारी जी ने कही कि बुन्देलखंड में सिंचाई की बड़ी कमी है। माताटीला बांध की योजना बहुत दिनों से खटाई में पड़ी है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

इसके अलावा मुझे सबसे जरूरी चीज यह कहनी है कि नदियों से कटाव बहुत तेजी से हो रहा है। माननीय रामनाथ जी पाठक ने इस ओर ध्यान दिलाया कि बिहार और बलिया की सीमा का बहुत दिनों से निर्धारण नहीं हो रहा है और हर साल बहुत से गांव इधर के उधर हो जाया करते हैं। इसी प्रकार आजमगढ़, गोरखपुर और बरहज के पास घाघरा से बहुत कटाव हो रहा है। हमारे जिले में मूसाडोही और नक्कीहादी का इलाका है। वहां के आदमी भी कभी इस पार जायंगे, कभी उस पार जायेंगे। वहां हर साल रेवेन्यू विभाग की ओर से सर्वे होता है, लेकिन कभी कोई बात तय नहीं होती। तो इस पर ध्यान दिया जाय, इसमें काफ़ी रुपया खर्च करने की जरूरत है।

इसके अलावा अधिकांश सदस्यों ने रेट कम करने की बात कही। चकिया में सोशलिस्ट पार्टी का सत्याग्रह हो रहा है। नहर रेट को कम करने की जरूरत है। अगर सरकार चाहती है कि अधिक अन्न उपजे और इस देश की अन्न समस्या हल हो और किसान दिलचस्पी, सुविधा और उत्साह के साथ पानी का इस्तेमाल करे तो इस बात की जरूरत है कि नहरों और ट्यूबवेल्स के रेट कम किये जायं।

अगली चीज मुझे अपने यहां के बारे में कहनी है कि हमारे जिले में भी शारदा नहर का विस्तार हो रहा है। लालगंज तहसील में मेंहनगर में अधिकारियों के बंगले बन रहे हैं। पहले उनके लिये और जगह तय हुई थी लेकिन वह स्थान बदलवा दिया गया। अब हरिजनों की जमीन उन बंगलों के लिये ली जा रही है। नहर बनने के लिये होता तब तो कुछ कहा भी जा सकता था, लेकिन बंगले बनवाने के लिये हरिजनों की जमीन ली जाय यह बहुत ही बेजा बात है। इसलिये सरकार को इधर भी ध्यान देना चाहिये।

इसके अलावा मुझे यह कहना है कि वाटर की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिये। बहुत से सदस्यों ने इसका समर्थन किया कि केवल कमांड एरिया बढ़ाने से काम नहीं चलेगा बल्कि वाटर की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिये।

[श्री विश्रामराय]

अन्तिम चीज यह कहनी है कि जो छोटे छोटे सिंचाई के साधन हैं उनको बढ़ाने की ओर ध्यान देना चाहिये क्योंकि फारेन एक्सचेंज नहीं मिल रहा है जिसके कारण टांडा, दोहरीघाट नहर, रिहन्द डैम आदि का काम पिछड़ रहा है। बामोदर घाटी योजना के बारे में भी अखबारों में पढ़ा कि जितनी जल्दी काम होना चाहिये था उतनी जल्दी नहीं हो रहा है। इसलिये बेहात के जो साधन हैं उनको बढ़ाने की ओर ध्यान देना चाहिये और अधिक से अधिक रुपया किसानों को दिया जाय ताकि कुओं के जरिये सिंचाई हो सके। यह मुख्य समस्या है और जो सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार है और जिसकी ओर कई माननीय सदस्यों ने भी ध्यान दिलाया है, उसको दूर करने के लिये कोई ठोस कदम उठाया जाय तभी यह समस्या दूर हो सकती है। मैं इन शब्दों के साथ अपने कटौती के प्रस्ताव को रखता हूं और जिन माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया है उनको मैं धन्यवाद देता हूं और सभी लोगों ने अपने यहां की समस्याओं को रखा है और सिंचाई के रेट की ओर संकेत किया है।

(सिंचाई राज्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)—अध्यक्ष महोदय, अब तो अगर आप इजाजत दें तो बाद में रखा जाय।

श्री अध्यक्ष—अच्छा तो इसको बाद में रखेंगे और आप बैठकर बोलेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामम्मूर्ति—उपाध्यक्ष महोदय, इस आदरणीय सदन ने सिंचाई विभाग से सम्बन्धित तीनों अनुदानों पर कल से बहस की है। मुझे इस बात की खुशी है कि २९ महानुभावों ने इसमें भाग लिया। क्योंकि समय की कमी थी अन्यथा और भी माननीय सदस्यों को मौका मिलता। मैंने सभी भाइयों के जो भाषण हुये हैं उनको बड़े गौर और ध्यान से सुना और साथ ही साथ करीब-करीब हर विषय का जो उन्होंने जिक्र किया, उसको नोट भी किया और मेरे विभाग के जो लोग यहां पर उपस्थित हैं उन्होंने भी उन सब बातों को नोट किया। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है और मैं अपने साथियों का बड़ा कृतज्ञ हूं कि उन्होंने सिंचाई विभाग की बहुत सी बातों को पसन्द किया जिसके जरिये से हमारे प्रदेश में आज इतना गल्ले का उत्पादन बढ़ रहा है। इसके जरिये से लोगों की समृद्धि बढ़ रही है। हमारे प्रदेश की नाना प्रकार की समस्यायें इसके जरिये से हल हुई हैं। मैं उन भाइयों का बड़ा कृतज्ञ हूं जिन्होंने हमारे लिये कुछ रचनात्मक सुझाव भी उपस्थित किये हैं। उस से भी हमको फायदा होगा और हम अपनी आगे की कार्यवाहियों में सुधार कर सकेंगे। मैं उन भाइयों का भी बड़ा कृतज्ञ हूं जिन्होंने डिपार्टमेंट की कमियों की आलोचना की क्योंकि यह जानना भी जरूरी है। इससे हम सबको एक तरह से तम्बीह होती है और हम अपने कामों को सम्भाल कर बनाने की कोशिश करते हैं।

मेरी यह ख्वाहिश थी कि लगभग अपने सभी साथियों का जिन्होंने जिन चीजों का जिक्र किया है, जवाब दूं, लेकिन इतने थोड़े समय में यह मुमकिन नहीं है कि मैं सब बातों का जवाब दे सकूं किन्तु यह जरूर मैं अपने सभी साथियों को आश्वासन देता हूं कि जितनी बातों का यहां पर जिक्र हुआ है उनमें से जितना भी काम हम सहूलियत के साथ जितनी हमारे पास पूंजी काम करने के लिये है, उसमें अगर शामिल कर सकेंगे तो जरूर शामिल करेंगे। जिन बातों को तकलीफ हमारे विभाग के काम करने से कहीं-कहीं होती है उनमें भी हम इस बात की कोशिश करेंगे कि जहां पर लोगों को उसका अनुभव न हो वहां पर हमारे लोग सजग और सचेत रहें, लेकिन इसके बावजूद हमको यह भी मानना चाहिये कि इस विभाग का सम्बन्ध हमारे प्रदेश के जनसमूह से है। प्रत्येक जिले के अन्दर जैसा कि मैंने कल कहा था लगभग २६–२७ हजार आदमी काम कर रहे हैं। हमारी अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी हमारे कामों में कुछ कमियां रह जाती

हैं जिसकी चर्चा इस सदन में हुई है और हर साल उसकी चर्चा होती है। करप्शन की चर्चा होती है और फिजूलखर्ची की चर्चा होती है और हम इस बात की कोशिश भी करते रहते हैं कि ये शिकायतें दोबारा न दोहराई जायं, लेकिन उसके बावजूद भी वे शिकायतें होती रहती हैं। हमारी यह भी कोशिश रहती है कि हम गवर्नमेंट आफ इंडिया से ज्यादा से ज्यादा रुपया पायें और आपने देखा भी होगा। यद्यपि इसमें कोई शुबहा नहीं कि हम अपने प्रदेश में भाखड़ा नांगल या हीराकुड जैसी कोई योजना नहीं चला पाये, लेकिन इस बात की हमें खुशी है कि हमने अपनी योजना में प्रदेश के सारे जिलों को शामिल किया है और हर जिले में कुछ न कुछ सिंचाई का काम हुआ है और इसको हमारे माननीय सदस्यों ने पसंद भी किया है। इन पिछले १५ सालों में जो काम हुआ है, उसको हम चाहे मानें या न मानें, लेकिन उसके आंकड़े हैं और जब हम काम को देखते हैं तो वह ऐसा नहीं है कि जिससे हमें संतोष न हो सके। यह जरूर है कि जो हमारा लक्ष्य है, जो लोगों की जरूरत है, उसको देखते हुये हमारे सामने अभी काफी काम है और हमको और ज्यादा कोशिश करनी है। हमें और रुपया फराहम करना है, हमारे इंजीनियर्स को और ज्यादा मेहनत करनी है और इसके लिये मुझे आशा है कि आप सब लोगों का अगर हमें सहयोग प्राप्त होता रहा तो उससे हमारा काम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा।

चौधरी खजान सिंह (जिला उन्नाव)--उन्नाव में क्या हुआ ?

श्री राममूर्ति---यह ठीक नहीं है कि उन्नाव में बहुत काम नहीं हुआ। उन्नाव का जिला नहरों से भरा पड़ा है। आप नक्शे में देख सकते हैं। उन्नाव में जितनी नहरें हैं उसके अनुपात में हमारे पूर्वी जिलों में बहुत कम हैं। इस लिहाज से वहां काम कम नहीं हुआ, और शारदा नहर में जो पानी बढ़ा है उस से भी वहां काफी पानी दिया गया है।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)---लखीमपुर खीरी में क्या हुआ ?

(व्यवधान)

श्री राममूर्ति---अब थोड़ी देर मेरी बात सुन ली जाय तो अच्छा हो। अभी हमारे बहुत से सदस्यों ने ट्यूबवेल का चर्चा किया। कुछ ने कहा कि ट्यूबवेल बनाने की जरूरत नहीं है, उनकी जगह मेसनरी वेल्स बनाये जायं। कुछ ने कहा कि ट्यूबवेल्स का इंतजाम ठीक नहीं है। यह भी जिक्र हुआ कि कोआपरेटिव के जरिये से ट्यूबवेल्स बनवाये जायं और इसका भी जिक्र किया गया कि उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है और रेट्स बहुत अधिक हैं। इन तमाम बातों का जिक्र यहां किया गया। मुझे इन बातों को मानने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सारी बातों को पूरा करने के लिये कोई एक सुझाव काफी नहीं होता। यह सही है कि कुछ जिलों में हम ट्यूबवेल्स के बजाय मेसनरी वेल्स को ज्यादा अच्छा समझते हैं। मैं पश्चिम के जिलों की बात कहता हूं। वहां लोग मुकाबलतन पूर्वी जिलों के ज्यादा खुशहाल हैं। पिछले दिनों में मैं दौरे में गया था, वहां के गांवों में जाने का मौका हुआ। लोगों ने रोक रोक कर बतलाया कि हमारे यहां ट्यूबवेल बनवाइये, हमारे ८,९ सौ रुपये के बैल साल भर पानी खींचते-खींचते मर जाते हैं। फलां-फलां गांव में बड़ी खुशहाली है, इसलिये कि वहां ट्यूबवेल हैं और यह सही है। पश्चिम के जिलों में ४, ६ और ७ हजार घंटे ट्यूबवेल चला करते हैं और वहां कुछ फायदा भी होता है। क्योंकि जब तक ट्यूबवेल ४,००० घंटे नहीं चलता, उस से कोई फायदा नहीं होता। ऐसे जिलों में अगर हम मेसनरी वेल्स बनायें तो कोई फायदा न होगा। बरखिलाफ इस के पूर्वी जिले हैं। वहां अगर हम बजाय ट्यूबवेल के मेसनरी वेल्स बनायें तो ज्यादा मुनासिब हो सकता है। और इस बार हमने

[श्री राममूर्ति]
इरादा भी किया है और गवर्नमेंट ने तय किया है कि पहले हम बस्ती जिले को लें और वहां इस तरह से मेसनरी वेल्स बनायेंगे कि सारी जमीन उनसे सेचुरेट हो जाय । मसलन १,००० एकड़ जमीन में कम से कम १०० मेसनरी वेल्स बन जायं, ताकि हर १० एकड़ पर एक कुआं हो और उस क्षेत्र के जितने रहने वाले हैं उनको हम उसका खर्च बता देंगे । अगर वहां के लोग इस बात पर तैयार होंगे कि वे खुद बनाना चाहते हैं तो उसमें हम उनको मदद करेंगे । अगर हम बनवायेंगे तो जो खर्च होगा वह ५,७ या १० किस्तों में, जैसा उचित होगा ,ले लिया जायगा और बाद में वह मेसनरी वेल्स उनकी जायदाद हो जायंगे और वे हमेशा उनको अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करें । हम ऐसा एक एक्सपेरीमेंट करने जा रहे हैं, लेकिन चूंकि एक्सपेरीमेंट के तौर पर है इसलिये यह एक ही जिले तक महदूद रहेगा । इसमें भी कमियां और खामियां हो सकती हैं, इसलिये हम पहले एक ही जिला लेना चाहते हैं । अगर उसमें मुनासिब तरीके से काम हो गया और लोगों को फायदा हुआ तो उस स्कीम को आगे बढ़ाया जा सकता है ।

यह सही है कि पूरब के व मध्यवर्ती इलाकों के लोग पश्चिम के लोगों के मुकाबले में ग़रीब हैं । अब हम १६,६०० गैलन पानी १ रुपये में देते हैं । हमारे चीफ़ इंजीनियर ने एक स्कीम बनाई है जिसके जरिये हम ट्यूबवेलों का रेट कुछ और सस्ता करना चाहते हैं । वह योजना वित्त विभाग से जांची जायगी और मुझे आशा है कि वह उसे स्वीकार कर देंगे और थोड़े दिनों के बाद उसे मैं यहां सदन में और बाहर अखबारों के जरिये घोषणा कर सकूंगा ताकि यह मालूम हो जाय कि रबी की और धान की फसल के लिये भी, जिसके लिये ज्यादा पानी की जरूरत होती है, पानी सस्ता किया गया है ।

एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि ट्यूबवेल्स का प्रबन्ध बजाय सरकार के करने के लोगों के सुपुर्द कर दिया जाय । इस बात का भी हमने एक बार तजुर्बा किया । जिला बदायूं में शहर से मिले हुये ६,१० ट्यूबवेलों को हमने, कई साल हुये, लोगों को दिया । उनसे कहा कि पानी का बटवारा कीजिये । लेकिन २ साल के बाद उन्होंने फिर सरकार से दरख्वास्त की कि उसके इन्तजाम में दिक्कत होती है, इसलिये सरकार फिर अपने हाथ में ले ले । आज भी, अब भी सरकार की ओर से पानी नहीं बांटा जाता है बल्कि हर ट्यूबवेल के जितने भी कमांड के लोग होते हैं उनकी मीटिन्ग होती है और वे अपने तरीके से एक थोकदार बनाते हैं जो सबका ओसरा बांध दे और उससे पानी दिया जाय । यह सही है कि कुछ ट्यूबवेल्स आपरेटर कभी-कभी ग़लत काम कर देते हैं । इसलिये हमने यह रूल बना रखा है कि एक खेत के बाद जिसका दूसरा खेत है उसे पानी दिया जायगा । हमारे पानी के बटवारे का तरीका ऐसा नहीं है जिसमें लोगों को कठिनाई हो । अभी ट्यूबवेल्स ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते हैं, इसलिये कुछ दिक्कत पैदा होती है । पिछली गर्मी के मौके पर जब कि गन्ने की फसल थी, हमको उम्मीद दिलायी गयी थी कि काफी बिजली सोहावल, मऊ और गोरखपुर से मिल जायगी, इसलिये हमने कुछ डीज़ेल सेट्स हटा दिये । उपाध्यक्ष जी, आपको और माननीय सदस्यों को मालूम है कि स्वेज कैनाल का झगड़ा हुआ और मशीनरी आने में देर हुई । इसकी वजह से बिजली नहीं मिल सकी और रोस्टर करना पड़ा । पानी कम होने से हानि हुई और फ़सल कुछ मारी भी गई । लेकिन अब सोहावल, मऊ और गोरखपुर से काफी बिजली मिल रही है और जितने ट्यूबवेल्स एनरजाइज हो गये हैं वे पूरे चलाये जायंगे । रबी के मौके पर हम आशा नहीं करते थे कि २,००,००० एकड़ से ज्यादा आबपाशी होगी, लेकिन उस से कहीं ज्यादा हुई । मैं आपके जरिये से माननीय सदस्यों से विनय करना चाहता हूं कि जो गलती हुई सो तो हुई, वह कोई जानबूझ कर नहीं की गई, मगर अब इस में फायदा है कि हमारे आगे के इन्तजाम को कबूल करें और मैं उम्मीद दिलाता हूं कि फायदा अवश्य पहुंचेगा ।

एक सदस्य--रहट के लिये क्या है ?

श्री राममूर्ति--जहां हम मेसनरी वेल्स बनायेंगे उनमें रहट भी लगाये जायंगे। लेकिन उसका सम्बन्ध प्लानिंग कमेटी से है। इसलिये उसके बारे में कुछ ज्यादा कहना मुनासिब नहीं समझता। हर प्लानिंग कमेटी को हर वर्ष रुपया दिया जाता है। चूंकि सभी सदस्य अपने-अपने यहां की कमेटीज के मेम्बर हैं, तो उसके जरिये से रुपया ले सकते हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--बैठक ही नहीं होती। अल्मोड़ा में दो साल से नहीं हुई।

श्री राममूर्ति--जगह दूर-दूर हैं, मुमकिन है कि माननीय सदस्य पहुंच ही न पाये हों।

उपाध्यक्ष जी, मैं एक बात सूचना के तौर पर कहना चाहता हूं। मेरे पास एक चार्ट बना हुआ है जिसमें हमने ३१ जिलों में ट्यूबवेल्स बना रखे हैं। इनमें ७ जिले ऐसे हैं जहां पर पुराने ट्यूबवेल्स बने हुये हैं, मेरठ, बदायूं, बुलन्दशहर, मुरादाबाद इत्यादि। इन जगहों में ७,७ हजार और ६, ६ हजार घंटे ट्यूबवेल्स चलते हैं। बाकी जिले जितने हैं उनमें कोई जिला ऐसा नहीं है जिसमें ३ या ४ हजार रुपया से कम नुकसान न हुआ हो। बरेली में ३,०४६ रुपये, शाहजहांपुर में ३,८०० रुपये, सीतापुर में ३,८१९ रुपये, खीरी में ४,०३४ रुपये, लखनऊ में ३,२१३ रु०, पीलीभीत में ५,२२८ रु० गर्जे कि जितने भी जिले हैं उन सबमें ३,०००-४,००० रुपये से कम नुकसान नहीं होता।

सिंचाई विभाग जो भी काम करता है वह नफ़ा के खयाल से होता है, ऐसा कहना मुनासिब नहीं है। वह तो एक बहुत पुरानी नीति थी, जो अंग्रेजों के वक्त में हुआ करती थी। जब से स्वराज्य हुआ तब से हमारी इस बात की कोशिश रहती है कि अपने प्रान्त के प्रत्येक जिले में इस प्रकार का इन्तजाम करें, चाहे उसमें ज्यादा खर्चा हो जाय, जिस से ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंच सके। हमारे विभाग को उससे कुछ नुकसान भी होता है पर लोगों को उस से फायदा पहुंचता है, दूसरे सेल्स टैक्स में फायदा होता है, रेलवे को फायदा होता है, इस प्रकार से अनेक तरह से इनडायरेक्टली फायदा पहुंच जाता है।

ट्यूबवेल्स के बाद, पूर्वी जिलों में बाढ़ के सम्बन्ध में हमने जो कार्य किये हैं, उनके बारे में जिक्र किया गया। सबसे बड़ा एक चार्ज यह लगाया गया, मुझे दुख है कि बावजूद इसके कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसका उत्तर पहले ही दे दिया था, अब उसके जिक्र की जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि यह प्रश्न फिर से दोहराया गया है इसलिये दुबारा उत्तर देता हूं। कहा गया कि जो गांव उठाये गये हैं, उनमें न जाने कितने गांव ऐसे हैं जिनमें कोई काम ही नहीं हुआ, और कागजों में वह खत्म होकर उनका पेमेंट भी कर दिया गया है। मेरे कहने से माननीय सदस्यों को इत्मीनान नहीं होता, इसलिये मैंने इसका एक दूसरा तरीका निकाला है। आज इत्तफाक से वह सूची मेरे पास नहीं है। मैं हर एक माननीय सदस्य की मेज पर एक लिस्ट रख दूंगा कि कितने गांव अब तक उठाये जा चुके हैं। अब हर माननीय सदस्य को अख्तियार होगा कि वे जाकर एक-एक गांव को जाकर देख लें। यह हो सकता है कि कोई गांव स्कीम में हो, लेकिन उसको किसी वजह से न उठाया गया हो और उसकी जगह दूसरा गांव उठा दिया गया हो। लेकिन यह नहीं हो सकता कि १०० गांवों के लिये ठेका दिया गया हो, और उठाये गये हैं केवल ९५ गांव तथा पेमेंट १०० का हो गया हो। अगर ऐसा हो तो मैं माननीय मित्रों से कहूंगा कि वे मुझे सूचना दें। ओवरसियर से लेकर बड़े इंजीनियर तक कड़ी कार्यवाही होगी।

श्री उग्रसेन--जमानिया के ४० गांव के बारे में माननीय मंत्री जी का क्या कहना है? क्या आप उसकी जांच करायेंगे?

श्री राममूर्ति--एक साथ सब भाई बोलेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। एक बार उसको आप चेक कर लें और फिर आप अगर कहेंगे तो मैं चलूंगा और एक-एक गांव को देख लूंगा।

मैं इसी संबंध में यह भी अर्ज कर देना चाहता हूं कि बाढ़ का काम २-३ सालों के अन्दर ही हुआ है जिस पर करीब ८ करोड़ रुपये के खर्चा हुआ है। इसमें बहुत तेजी से काम हुआ है। जो काम तेजी से किया जाता है उसमें उतनी एहतियात नहीं हो सकती जितनी कि साधारण किये हुये काम में हो सकती है। लोगों का यह इसरार था, और गवर्नमेंट आफ इंडिया का भी यह कहना था, कि इस कार्य को जल्दी से किया जाय ताकि लोगों को समय पर पूरा पूरा फायदा पहुंच सके। माननीय सदस्यों को विदित होगा कि हमारे पास पर्सोनल भी नहीं था और उसके लिये हमने एक सब-ओवर-सियर नाम की जगह निकाली, जिसकी ट्रेनिंग केवल एक साल की थी। तो चाहे इन लिमिटेशन्स की वजह से या चाहे काम के तेजी से होने की वजह से यह स्वाभाविक था कि काम में कुछ कमियां हुईं। मैं यह मान सकता हूं कि ठेकेदार के जरिये से, अथवा ओवरसियर या किसी और के जरिये से, कुछ रुपये का ठीक से इस्तेमाल न हुआ हो, लेकिन फिर भी जो शिकायतें मेरी नजर में आती रहीं, उनकी मैंने जांच करायी। माननीय सदस्यों से मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि यह अकबर बादशाह का राज्य तो है नहीं, यह पंचायती राज्य है। इसमें जो न्याय का तरीका रखा गया है उससे ही लोगों को सजा दी जा सकती है। चाहे आंखों के सामने कत्ल हुआ हो, लेकिन अगर उसका कोई सबूत नहीं है तो उसको सजा नहीं हो सकती। मेरे विभाग में भी नियम हैं। आप शिकायत करें तो उनकी जांच हो सकती है, लेकिन अगर सबूत नहीं है तो सजा नहीं हो सकती क्योंकि उसके प्रोटेक्शन के लिये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। इन हालतों में जो शिकायतें आगे होंगी उनकी जांच करायी जायगी और उच्चाधिकारियों से जो गांव अधूरे रह गये हैं, अभी पूरे नहीं हुए हैं, उनके लिये मैंने कल ही हिदायत दे दी है कि उनको पूरा कर दिया जाय।

एक दूसरी बात यह भी कही गयी कि हमारे डिपार्टमेंट के इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा है। मैंने इस सम्बन्ध में एक चार्ट बनवाने की कोशिश की और पिछले तीन, चार महीने से मैंने इस बात की कोशिश की और हिन्दुस्तान के करीब-करीब सभी स्टेटों को खत लिखवाया कि वहां के इर्रीगेशन रेट्स मिल जायं, वहां के लैंड रेवेन्यू भी मालूम हो जायं और साथ ही साथ जो इस्टैब्लिशमेंट पर खर्चा हुआ करता है, वह भी मालूम हो जाय, लेकिन बदकिस्मती से एक स्टेट से भी जवाब आज तक नहीं आया है, जिससे मेरी मजबूरी है। अगर मौका मिला और हो सका तो मैं इस काम के लिये अपने किसी अफसर को भी भेजूंगा ताकि सारी जानकारी हो सके। मेरे पास कंस्ट्रक्शन के सम्बन्ध में कुछ फीगर्स हैं, जो मैंने सेंट्रल पावर कमीशन के जरिये पाये हैं, उनको देखने से मालूम होता है कि हमारा प्रति एकड़ ऐवरेज खर्च कंसट्रक्शन पर और प्रदेशों की अपेक्षा सब से कम है। आंध्र में प्रति एकड़ ६५२ रुपये खर्च है, बिहार के अन्दर ५७० रुपये प्रति एकड़ खर्च है, बाम्बे में ६०६ रुपये, मद्रास में ७२२ रुपये, उड़ीसा में २१२ रुपये प्रति एकड़ खर्चा है, लेकिन उसमें होराकुड योजना का कोई खर्चा शामिल नहीं है, पंजाब में १५९ रुपये, लेकिन उसमें भाखड़ा नांगल का कोई खर्चा शामिल नहीं है, उत्तर प्रदेश में में २३० रुपये प्रति एकड़ है, हैदराबाद में ३८८ रुपये, मध्य प्रदेश में ६२२ रुपये, मैसूर में ८७९ रुपये, राजस्थान में १२४ रुपये है, लेकिन भाखड़ा नांगल से जो पानी उसको मिलने वाला है, वह खर्चा उसमें नहीं शामिल है।

इस्टैब्लिशमेंट के सिलसिले में जो ज्यादा खर्च का जिक्र किया गया है, कुल खर्चा ३,७८,८३,६०० रुपये है जिसके अन्दर ८४,१९,९०० रुपये रेवेन्यू का भी शामिल है जो कलेक्टर आदि को उसकी वसूलयाबी के सिलसिले में देते हैं। आपरेटिंग स्टाफ का भी जिक्र किया गया, जिसके लिये ३९,४२,६०० रुपये रखा गया है, वर्कशाप स्टाफ के लिये ७,४७,४०० रुपये है, इर्रीगेशन रिसर्च के लिये ८,६९,००० रुपये हैं। इस तरह से उस कुल रकम में से और सब

खर्चा निकाल दिया जाय तो इस्टैब्लिशमेंट पर बहुत कम खर्चा होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि २२,१०,००,००० रु० का काम हमारे इंजीनियरिंग विभाग द्वारा होता है। इसके माने यह है कि १०.४ प्रतिशत हमारा खर्चा इस्टैब्लिशमेंट के ऊपर होता है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हिन्दुस्तान में किसी भी सूबे में इतना कम खर्च नहीं होता है। इस सम्बन्ध में मैं आपको और फीगर्स देता लेकिन मुझे अफसोस है कि समय बहुत कम है।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है, मुझे अफसोस है कि मेरे माननीय दोस्त श्री गोविन्द नारायण तिवारी जी यहां मौजूद नहीं है, वे बड़े क्वालिफाइड सदस्य हैं, लेकिन अफसोस है कि कभी कभी बड़े क्वालिफाइड लोग भी गलतफहमी में बहुत सी बातें कह दिया करते हैं। उन्होंने कह दिया कि माताटीला डैम का काम बन्द कर दिया गया है। पिछले साल १,३६,००,००० रुपया इस पर खर्च हुआ और इस साल भी उसके लिये ३०,००,००० रुपया रखा गया है, फिर ऐसी बात कैसे कही जाती है, समझ में नहीं आता।

दूसरी बात उन्होंने आल्हा ऊदल की कही और महोबा का जिक्र करते हुये कहा कि वहां जो तालाब था उसको बन्द कर दिया गया है। यह बात सही नहीं है, वहां पर कीरतसागर के जरिये किसानों को पानी देने का इन्तजाम किया गया है।

तीसरे, यह भी जिक्र किया गया है कि जो स्टेट्स हमारे यहां मर्ज हुई हैं उनमें पानी का प्रबन्ध नहीं किया गया है। यह भी गलत है। चरखारी में इंतजाम किया गया है और दतिया जो हमारे यहां है भी नहीं, वहां भी हम पानी का प्रबन्ध कर रहे हैं। जब इस तरह के लोग ऐसी बात कर देते है तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। हर समय खराबियां बताने की जगह अगर कुछ थोड़ी अच्छी बातों का भी जिक्र कर दिया करें तो जरा विभाग के लोगों की हिम्मतअफजाई हो जाया करे। मैं तो एक राजनीतिक आदमी हूं कोई तारीफ करे या न करे लेकिन जो माननीय सदस्य यहां बैठे हैं उस तरफ, अगर उन्हें इस सूबे में पचासों करोड़ के काम होने के बाद भी कोई काम अच्छी लगा हो तो उसकी भी चर्चा होनी चाहिये। इससे कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलता है। अपना काम करने में रुचि बढ़ती है।

गन्डक कैनाल के बारे में भी कुछ बातें कही गयीं। वह कैनाल २४ करोड़ की लागत से बनेगी, लेकिन चूंकि वह स्कीम बिहार गवर्नमेंट से बनने वाली है इसलिये हम तो केवल अपने इंजीनियर्स से उसमें सहयोग ही दिला सकते हैं, बिहार सरकार ही बनाने वाली है, उन्हीं को रुपया मिलेगा और हम उनको किसी तरह से मजबूर नहीं कर सकते।

जलकुन्डी योजना की बात भी कही गयी, वह नेपाल में बनेगी, नैपाल का हमेशा हमारे लिये सहयोग रहता है और वह हमेशा हमारी मदद करते हैं और कोई रुकावट उनकी तरफ से नहीं डाली जाती है। हम बराबर कोशिश में हैं कि जैसे ही इजाजत मिल जाय और एप्रूवल हो जाय उसका काम शुरू कर दिया जायगा। हमारी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं है। यह जरूर है कि पूर्व के जिलों में राप्ती नदी बहुत तकलीफ देती है लेकिन अगर यह योजना कार्यान्वित हो जायगी तो उसी दरिया से उतना ही आराम भी मिलने लगेगा। गोरखपुर के इलाके में जो यह बांध बनने वाला है उसके लिये रुपया है, लेकिन अभी उसकी इजाजत नहीं मिली है। जैसे ही वह मिल जायगी वह काम शुरू करके पूरा किया जायगा।

जमुना नहर का भी बार बार जिक्र किया गया। आचार्य दीपंकर जी यहां इस वक्त नहीं हैं। उन्होंने पहले तो उसकी बड़ी तारीफ की कि ऐसी नहर दुनिया में और कोई नहीं है और आखिर में वह यह भी कह गये कि उससे पानी बिलकुल नहीं मिलता। पानी के मामले में यह महीने मार्च और अप्रैल के ऐसे होते हैं कि जब पानी सब से कम हो जाता है, एक तो नदी

[श्री राममूर्ति]

में पानी की कमी हो जाती है और दूसरे तमाम इलाके में गन्ने की खेती बढ़ रही है तो जाहिर है कि इतना पानी नहीं मिल सकता; तो फिर शिकायत का मौका क्या है ? जमुना हेड वर्क्स के बारे में एक्सपेरीमेंट हो रहा है, पंजाब की सरकार तैयार है, खराबी को ठीक करने की कोशिश हम कर रहे हैं, जैसे ही कार्य किया जाना सम्भव होगा हम करेंगे ।

जहां तक सहारनपुर के उस इलाके का जिक्र हुआजहां पीने के पानी की कमी है, हमारे विभाग ने वहां के लिये पीने के पानी का इंतजाम किया है और हमने तय किया है कि वहां पीने के पानी के लिये ५०,००,००० रुपया दिया जाय सबसिडी के तौर पर ताकि वहां कुयें आदि का इंतजाम लोग कर सकें । एक स्कीम ३६ लाख की वहां के लिये और भी है, लेकिन उसके बारे में अभी मैं नहीं कह सकता कि वह कब तक कार्यान्वित हो सकेगी ।

डाकपत्थर योजना के विषय में भी कहा गया । वह योजना अभी खत्म नहीं हुई है । गवर्नमेंट आफ इंडिया ने हमारे लिये एक थर्मल स्टेशन हरदुआगंज में दिया है । वहां डैम बनने वाला है और दूसरे स्टेज के लिये सर्वे हो रहा है, जैसे ही सर्वे समाप्त हो और केन्द्रीय सरकार से मंजूरी हो, रुपया आये, काम शुरू कर दिया जायगा ।

वैसे कहने के लिये तो बहुत सी बाते थीं क्योंकि माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातों का जिक्र किया है, लेकिन मेरी दिक्कत यह है कि समय बहुत कम है । इस कारण सब बातों का जवाब नहीं दिया जा सकता ।

जहां तक ठेकेदारों का ताल्लुक है, उनके विषय में बहुत सी बातें हुईं और हमेशा होती हैं । मुझे बड़ी खुशी है कि दिल्ली में कुछ काम भारत सेवक समाज के द्वारा हुआ है । हम चाहते हैं कि इस तरह की कोआपरेटिव सोसाइटियां (Registered Societies) कायम हों और हम उनके जरिये से काम करायें । मैं चाहता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय, आप दो चार मिनट और मुझे दे दें तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं ।

मैं चाहता हूं कि पूरब के जिलों में और पश्चिम के जिलों में भी, जहां मुमकिन हो, माननीय सदस्य कुछ कोआपरेटिव ऐसी बना लें और उनको रजिस्टर्ड करा लें, क्योंकि जब तक रजिस्टर्ड बाडी नहीं होंगी तब तक हम काम नहीं दे सकते और मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह की कोआपरेटिव आप बना लें तो हम ऐडवांस के तौर पर भी रुपया देने को तैयार हैं । हम हर तरीके से उनकी मदद करने को तैयार हैं जो इस काम में हाथ बटायें या भारत सेवक समाज के जरिये से काम करने को तैयार हों । इससे जो यहां बार बार भ्रष्टाचार वगैरह की चर्चा होती है उसका खात्मा हो जायगा । इस बात की भी मैंने विभाग को हिदायत की है कि जहां तक मुमकिन हो बाहर के ठेकेदारों को न दिया जाय । लेकिन फिर भी किसी स्थानीय आदमी के नाम से ठेका लिया जा सकता है और बाहर का आदमी बुलाया जा सकता है । इसके बारे में अगर कोई माननीय सदस्य कोई सुझाव दें कि किसी खास तरह की व्यवस्था कर दी जाय तो उसके ऊपर हम विचार करने को तैयार हैं ।

कल इस बात का भी जिक्र किया गया कि जो शारदा सागर बन रहा है उसमें हजारों बोरे रेती के डाल दिये गये या कंक्रीट डाल दिया गया । मैं आपको बताना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, और आपके जरिये सदन के माननीय सदस्यों को कि यह बिलकुल गलत बात है । शारदा सागर का पहला स्टेज बन गया है । चूंकि वहां पर वाटर लेविल बहुत ऊंचा है इसलिए वहां पर फिल्टर तो बना दिया गया है । सिल्टिंग की वजह से इंजीनियरों ने अब उस प्रोग्राम को बदल दिया है पहले वह बड़ी भारी स्कीम थी, लेकिन अब ५, ६ लाख रुपये में उस काम को करना चाहते हैं और हमारे इंजीनियर्स को आशा है कि दो-तीन साल की सिल्टिंग के बाद अब उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा ।

एक सदस्य—धारुओं के बारे में भी कुछ कह दीजिए ।

श्री राममूर्ति---शारदा सागर का जो पहला स्टेज हुआ उसमें १०० फैमिली वहां से हटीं । उनको हमने अपनी ट्रक्स के जरिये से ले जाकर के दूसरी जगह बसाया । उनके लिए ७८० एकड़ जमीन डिप्टी कमिश्नर नैनीताल ने दी । ३,००,००० एकड़ जमीन का इन्तजाम उनके लिए है जिसमें से १,२०० एकड़ जमीन तो ट्रैक्टराइज कर दी और बाकी और का प्रबन्ध कर रहे हैं । कम्पेंसेशन के लिए कागजात बने हैं । जो कागजात बन गए हैं उनको कम्पेंसेशन बांट दिया गया है । आगे चलकर जो फैमिली उठायी जायंगी और नानक सागर से जो १८ फैमिली उठी हैं उनका भी इसी तरह से इन्तजाम किया है । उनकी जमीनों को ट्रैक्टराइज किया है और उनके रहने का बन्दोबस्त किया है । कुछ और भी छोटी-छोटी बातों का जिक्र किया गया । मैंने निवेदन किया कि उन सब सुझावों को हमने नोट कर लिया है और मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि जहां तक मुमकिन हो उनको पूरा कर दिया जाय ।

माननीय फतेहसिंह राणा जो ऐसे स्थान से आते हैं जहां पर कि आबपाशी का काम बहुत विस्तारपूर्वक है । उन्होंने इस बात की चर्चा की कि जो नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐक्ट है उसमें कुछ तब्दीली कर दी जाय या उसको बदला जाय । मुझे बड़ी खुशी होगी अगर वह अपने सुझाव उसके बारे में हमें बता दें तो हम उनको देख लें । जहां तक मैनुअल का सवाल है, वह तो अभी सन् ५४ में बदला गया था, लेकिन उसको भी देख लेंगे । अगर उसको भी बदलने की जरूरत होगी तो बदल देंगे ।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---माननीय मंत्री जी एक बात बताने की कृपा करें ।

श्री राममूर्ति---अब दो मिनट और रह गये हैं । हमारी आपकी बात तो कमरे में रोज ही होती है, हमेशा होती है ।

श्री बंशीधर शुक्ल---सीतापुर जिले में जो मनमोहन सक्सेना ने ४०,००० रुपये का लोहा बेंच दिया.....

श्री राममूर्ति---अगर कोई ऐसी चीज है, उपाध्यक्ष महोदय, अगर शुक्ल जी को इत्मीनान नहीं हुआ हो, तो मेरे पास लिखकर भेज दें । अगर वह चाहेंगे तो अपने विभाग के जरिये से उसकी जांच करा दूंगा या अगर वह कहेंगे तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के जरिये से उसकी जांच करा दूंगा । जो तरीका वह अच्छा समझेंगे उसी तरीके से जांच करा दूंगा । मुझे या किसी को भी कोई खुशी नहीं होगी अगर भ्रष्टाचार कहीं बढ़ता है । मैं इस बात को भी जानता हूं कि हममें से कोई भी नहीं चाहता है कि प्रदेश के अन्दर भ्रष्टाचार बढ़े, दिक्कतें बढ़ें । हम लोग यहां चुन कर आये हैं और लाखों, करोड़ों आदमियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं । हम सब की ख्वाहिश है कि हर महकमे के अन्दर और खास कर सिंचाई विभाग के अन्दर ईमानदारी और मेहनत के साथ काम हो जिससे लोगों को सिंचाई की सुविधा अधिक से अधिक मिल सके । मेरा खयाल यह है कि हमारा काम उत्तरोत्तर बढ़ेगा जिससे प्रदेश की पैदावार बढ़ेगी, चार पैसे की आमदनी हो, लोगों की बेकारी दूर हो और प्रदेश के लोग खुशहाल हों और हमारा लक्ष्य पूरा हो यानी देश के अन्दर और प्रदेश के अन्दर समाजवादी समाज की स्थापना हो ।

[श्री राममूर्ति]

मैं अन्त में अपने सेक्रेटेरियट को और अपने विभाग के तमाम अफसरों को, जिनमें हो सकते है कि कुछ लोग खराब भी हों, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी इंटेग्रिटी और काम इस प्रदेश के अन्दर नहीं बल्कि सारे देश के अन्दर बड़ी सराहना के साथ देखे जाते हैं, बधाई देता हूं। चीफ इंजीनियर हमारे ऐसे हैं जिनके मुकाबले के इंजीनियर प्रदेश में क्या, हिन्दुस्तान भर में एक, दो ही हैं। जब ऐसे-ऐसे लोग हमारे पास हैं तो कोई वजह नहीं है कि हमारा महकमा दिन प्रति दिन अपने कार्य में क्यों न सफल हो।

उपाध्यक्ष महोदय, ५ मिनट और भी ले चुका हूं। मैं अब ज्यादा न कह कर अपने मित्र माननीय विश्राम राय जी से प्रार्थना करूंगा कि मेरे इस आश्वासन के बाद वे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करेंगे और जो अनुदान मैंने सदन के सामने रखें हैं उनको आदरणीय सदन स्वीकार करेगा।

श्री उग्रसेन---माननीय मंत्री जी जरूर इस पर प्रकाश डालें कि घाघरा, गंडक और राप्ती नदियों का जो भीषण कटाव है कई वर्षों से, देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़ इत्यादि जिलों में, उसको रोकने के लिये कोई योजना अब तक बना पाये हैं या नहीं।

श्री राममूर्ति---इसके बारे में, मान्यवर, कई मर्तबा सवाल किये गये, इसी सदन में किये जा चुके हैं और मैंने बतलाया है कि अगर हम कटाव से बचने का इंतजाम करें तो हमारे लिये १०० करोड़ रुपये भी कम हैं और यह इतनी बड़ी धनराशि है तो न हमारे पास है और न फिलहाल निकट भविष्य में केन्द्रीय सरकार से मिलने की ही आशा है। इसलिये इतने बड़े-बड़े दरियाओं जैसे घाघरा, गंडक वगैरह को रोकना आसान नहीं है। पिछले दिनों सुरेमनपुर बांध जो बलिया में बनने वाला है घाघरा का कटाव है। रुपये की कमी होते हुए भी हमने उसके लिये ६,००,००० रुपये तुरन्त दिये। छोटा काम कोई हो और बहुत जरूरी हो हम ले सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी स्कीम हमारी ताकत के बाहर है। अभी यही हमारी मजबूरी है।

श्री उपाध्यक्ष---(श्री विश्राम राय से) आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस तो नहीं ले रहे हैं?

श्री विश्राम राय---जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९---राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य (स्थापना-व्यय सम्मिलित नहीं है)---लेखा शीर्षक १७, १८ और १९-ख के अन्तर्गत १ रुपये की कटौती की जाय।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०---सिंचाई स्थापना पर व्यय---लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८---के अन्दर १ रुपये की कटौती की जाय।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४---राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण-कार्यों का सम्पादन (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है)---लेखा शीर्षक ६८ के अन्तर्गत १ रुपये की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ।

पक्ष में---४०,
विपक्ष में---८३।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९---राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य (स्थापना-व्यय सम्मिलित नहीं है)---लेखा शीर्षक १७, १८, और १९-ख के अन्तर्गत ४,१८,६९,१०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९५८-५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ९--लेखा शीर्षक १७, १८ और १९-ख--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य, अनुदान संख्या १०--लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८--सिंचाई स्थापना पर व्यय तथा अनुदान संख्या ४४--लेखा शीर्षक ६८ सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०--सिंचाई स्थापना पर व्यय--लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८--के अन्तर्गत ३,७८,८३,६०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४--राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण-कार्यों का सम्पादन (स्थापना-व्यय सम्मिलित नहीं है) --लेखा शीर्षक ६८--सिंचाई नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों के निर्माण के अन्तर्गत ७,८०,०१,६०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

विरोधी दलों के लिए ऊपर मंजिल पर कमरों की व्यवस्था के लिये प्रार्थना

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन विरोधी पार्टियों को कमरे नीचे मिले हुए हैं उनको नीचे से ऊपर आने में विलम्ब लगता है । या तो उनके लिये समय कुछ और बढ़ा दिया जाय या उनको भी कमरे ऊपर ही दे दिये जायं क्योंकि जिनके कमरे ऊपर हैं वे तो खट से चले आते हैं और जिनके नीचे हैं उनको आने में विलम्ब होता है ।

श्री उपाध्यक्ष--यह सारा प्रश्न माननीय अध्यक्ष के विचाराधीन है और इस पर गौर हो रहा है ।

१९५८-५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या २७--लेखा शीर्षक ४३--उद्योग

उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २७--लेखा शीर्षक ४३--उद्योग के अन्तर्गत ५,५७,७४,००० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, हमारा प्रदेश जो है उसकी आबादी ६,३२००,००० है और हमारे यहां पापूलेशन की डेंसिटी ५८८ फी मील है जब कि हिन्दुस्तान की आबादी का रेश्यो ३०३ आता है । इस वजह से यह जाहिर है कि जो काम होता है और जितने आदमी उसमें लगते हैं उससे हमारी नान एग्रीकल्चरल पापुलेशन बहुत जल्दी तरक्की नहीं कर पाती । हमारे प्रदेश के अन्दर जो लोग नान-एग्रीकल्चरल पेशों में लगे हुये हैं उनका मुकाबला अगर दूसरे प्रदेशों से किया जाय जो इस प्रदेश से आगे बढ़े हुये हैं तो परसेंटेज कम पड़ता है। हमारे प्रदेश में ८ परसेंट के करीब लोग नान-एग्रीकल्चरल पेशों में लगे हुये हैं, जबकि बंगाल में १३.४६, मद्रास में १२·३, बाम्बे में १३·८ जो हैं वह दूसरे पेशों में काम करते हैं । लेकिन महज इस रेश्यो से, इस परसेंटेज से नतीजा जो निकाला जाता है वह सही नहीं होगा । इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे यहां अभी बहुत ज्यादा औद्योगीकरण की जरूरत है और वह होना चाहिये, इसलिये कि मुख्यमंत्री जी अपनी स्पीच में कह चुके हैं और मुझे भी एतराज है कि जितनी हमारी ख्वाहिश है और जिस कदर तेजी के साथ हम अपने यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं वह हम नहीं कर पाये हैं । अपनी मजबूरियों की वजह से नहीं कर पायें हैं, धनराशि की कमी की वजह से नहीं कर पायें हैं, और दूसरी बातें हैं जिनकी वजह से नहीं कर पायें हैं । मगर इससे यह नतीजा

[श्री रऊफ जाफरी]

निकालना सही नहीं होगा कि पिछले चन्द सालों के अन्दर हमारे यहां इंडस्ट्रीज की तरफ काफी तरक्की नहीं हुई है। यह गलत है। इस वक्त हमारे प्रदेश के अन्दर जो रजिस्टर्ड फर्म्स हैं उनकी तादाद १,८०० से कुछ ऊपर है और पिछले चन्द सालों के अन्दर ११७ नये उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेंस इश्यू किये गये हैं। उनमें कई काफी अहम और महत्वपूर्ण कारखाने हैं, मसलन रेलवे वैगन्स के बनाने के चार खुले हैं, १ टेक्सटाइल मैशीनरी बनाने का कारखाना है, १ टेक्स टाइल मिल खुली है, ४ या ५ उम्मीद की जाती है कि शुगर मिल इस प्लान के अन्दर खुल जायंगी।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)---महज उम्मीद ?

श्री रऊफ जाफरी---उम्मीद ही है जब तक कि वह पूरी न हो जाय। वाकया तो तभी होता है जब एक चीज सामने तैयार हो जाती है क्योंकि बहुत सी दिक्कतें आती रहती हैं। कभी मशीन लगाने में, कभी मशीन आने में देर हो जाती है, कभी फारेन एक्सचेंज में। बहर सूरत, हम उम्मीद करते हैं कि इस प्लान के अन्दर ४ कोआपरेटिव फैक्टरीज और एक ज्वाइंट स्टाक शुगर फैक्टरी जरूर बन जायगी और मुमकिन है, मुमकिन नहीं बल्कि यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि पलिया के लिये वह शुगर फैक्टरी हो।

बहरसूरत, जैसा कि मैंने कहा, जितना हम चाहते हैं उस लिहाज से चाहे तरक्की न हुई हो, लेकिन हमारा सूबा इस सिलसिले में बहुत पिछड़ा हुआ भी नहीं कहा जा सकता। मैं चन्द आंकड़े सदन के सामने रखना चाहता हूं, उनसे सही अन्दाजा इसका हो जायगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---पिछड़ा हुआ कहिये, तो कुछ मिल जायगा।

श्री रऊफ जाफरी---लेकिन हम लोगों की कुछ जिम्मेदारी है, जो फैक्ट है उसको न हम बढ़ा कर कह सकते हैं, न घटाकर कह सकते हैं। इन मजबूरियों से हमें वही कहना पड़ता है जो कि असलियत है।

श्री गेंदासिंह---हम भी असलियत बतलावेंगे।

श्री रऊफ जाफरी---यही मौका है असलियत बतलाने का। आप भी बतलाइये और हम भी बतलावेंगे।

जहां तक पावर अल्कोहल का ताल्लुक है, हम ८०·८७ परसेंट पूरे देश के अन्दर सप्लाई करते हैं। ६६·१ परसेंट हारनेस और सैडलरी लैदर; ६५·२९ सोल लैदर; ५८·२ शुगर; ५२·२० रेप सीड आयल; ४८·९ अपर लैदर क्रोम टैन्ड; ३०·३८ परसेंट स्ट्रा बोर्ड; २५ परसेंट ग्लास; २०·१ सिगरेट; १५·१ वनस्पति आयल; १४·२५ मैचेज; ११·९३ ऊनी सामान; ७·०५ काटन यार्न; ६·८५ सूती कपड़ा; ५·३७ कागज; ४·०९ सीमेंट; ३·७२ फिनिश्ड स्टील। इस सूरत से आप देखेंगे कि यह तो जाहिर है कि हमारी जरूरत इससे बहुत ज्यादा है। मैं माननीय गेंदासिंह से इस बात में इत्तफाक करता हूं कि बावजूद इसके हमारी जो आबादी है और जितनी बेकारी है उस लिहाज से हमको और ज्यादा मिलना चाहिये और जो हम कर रहे हैं वह हमारी आबादी और जरूरतों के लिहाज से बिलकुल नाकाफी है। हम बराबर केन्द्रीय सरकार पर इस बात को इम्प्रेस करते रहे हैं और जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनको प्रोत्साहन देते रहते हैं ताकि वे अपना रुपया हमारे यहां लगायें। लेकिन जाहिर है कि हम एक प्लान्ड एकोनामी में रह रहे हैं, उसमें जब तक सही आंकड़े प्लानिंग कमीशन के सामने न रखे जायं तब तक वह ठीक से प्लान नहीं कर सकता। यही वजह है कि घटा बढ़ा कर तो कहा नहीं जा सकता लेकिन अपनी फिजिकल नीड्स पर हम हमेशा इसरार करते रहते हैं और कहते रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, हम यह भी कोशिश करते रहते हैं कि नयी इंडस्ट्रीज कायम हों, उनके लिये जो जरूरतें होती हैं उनको भी पूरा करने की कोशिश में हम रहते हैं। मसलन, इलेक्ट्रिसिटी पर हमने २५

परसेंट रिबेट दिया, ड्यूटी बजाय २५ परसेंट के २० परसेंट कर दी । तो इस तरह से पावर के सिलसिले में हमने किया ।

जहां तक फाइनेंस का ताल्लुक है, हमने स्टेट इंडस्ट्रियल फाईनेन्शल कारपोरेशन के जरिये से कोई ८८,००,००० रुपये के करीब दिये हैं । इसके अलावा जो हमारी लोन और ग्रांट की स्कीम है उसके मातहत ३,०४,००,००० रुपया सन् १९५६-५७ में दिया गया, १९५७-५८ में २८,००,००० रुपया दिया गया और इस साल के बजट में भी २८,००,००० रुपया आपकी मंजूरी के लिये रखा गया है । हमारी यह भी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा तादाद में बिजली पैदा करें ताकि नयी इंडस्ट्री हमारे यहां लगें ।

हमारे प्रदेश को जहां कुछ दिक्कतें हैं वहां कुछ सहूलियतें भी हैं ; मसलन, हमारे प्रदेश का सेन्ट्रल लोकेशन, इसकी फारेस्ट वेल्थ , कच्चे माल का यहां मिलना । तो इसके साथ-साथ अगर हमारे पास पावर हो जाय और फाइनेन्स का भी इन्तजाम हम कर लें तो हमारी दिक्कतें बहुत कुछ दूर हो सकती हैं ।

बड़े कल कारखानों के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ने और सूबे की सरकारों के मुकाबले में सबसे पहले इस तरफ कदम उठाया । हमने यहां २ फैक्टरियां कायम कीं, एक चुर्क सीमेंट फैक्टरी और दूसरी प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट्स फैक्टरी । इनके ऊपर शुरू में काफी एतराज रहा, लेकिन एतराज करने में थोड़ी जल्दी की गयी थी क्योंकि जब काम शुरू किया जाता है तो शुरू में कुछ गड़बड़ियां होती हैं । मगर हमें खुशी है कि अब हमारे ये दोनों कारखाने काफी तरक्की कर रहे हैं और आगे और तरक्की करने के लिये उनको गुंजायश है । प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट्स फैक्टरी के बारे में मैं अर्ज करूंगा कि यह २५,००० वाटर मीटर्स हैं और १०० माइक्रोस्कोप्स साल में तैयार करती है लेकिन जो हम एक्सपैन्शन करने जा रहे हैं, जिस पर २०,५४,००० रुपया कुल खर्च होगा और जिसमें से २,५४,००० हजार रुपया इस साल के बजट में शामिल है, जब हम यह कर लेंगे तो २५,००० की बजाय ३०,००० वाटर मीटर्स और १०० की जगह ३०० माइक्रोस्कोप और १२,००० प्रेशर गाजेज इस फैक्टरी में बनने लगेंगे । वाटर मीटर बनाने का काम बहुत अहम है और इसमें बहुत होशियारी की जरूरत है । यह काम हमारे देश के अन्दर तनहा यह फैक्टरी कर रही है और प्रेशर गाजेज जो बन रहे हैं यह इस किस्म के हैं और यह दो ही कारखाने हैं । इनमें से एक तो आपका है । जहां तक इसके मुनाफे का सवाल है, इसमें भी काफी प्रगति हुई है । १९५४-५५ में इसका मुनाफा ३१·८१६ रुपये का हुआ था जो १९५६-५७ में बढ़कर ९१·६०१ रुपया हो गया और इसके अलावा आप यह भी समझें कि जो फारेन एक्सचेंज बचा वह अलग से रहा और हमें उम्मीद है कि हम जो नये काम प्रेशर गाजेज के और इंडस्ट्रियल ज्वैल्स के लेने जा रहे हैं, जब यह काम शुरू हो जायंगे तो काफी फारेन एक्सचेंज बचेगा ।

इसी तरह से हमारे यहां एक चुर्क में सीमेंट फैक्टरी है, उसमें भी काफी तरक्की हुई है । जब यह फैक्टरी कायम हुई थी तो इसकी कैपेसिटी २,३१,००० टन थी और शुरू में हम पूरी कैपेसिटी पैदा नहीं कर सके । लेकिन अब हमें उम्मीद है कि हम ९८ परसेंट प्रोडक्शन कर लेंगे । एक बात और कह देना चाहता हूं कि हमारी इस फैक्टरी में, जो अब तक फारेन मैनेजमेंट था, वह खत्म कर दिया गया है । अब इसका हिन्दुस्तान के ही आदमी इंतजाम कर रहे हैं और इस बात को माननीय सदस्यों को खुशी होगी कि जब से इंतजाम अपने हाथों में लिया गया है तब से प्रोडक्शन बराबर बढ़ रहा है । हमारा काम ज्यादा अच्छी तरह से चल रहा है । इसके लिये जो इनचार्ज हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं । प्रोडक्शन इस वक्त ९८ परसेंट बढ़ा है और भी आगे बढ़ने की उम्मीद है । हम इसका एक्सटेंशन करना चाहते हैं इसके लिये २,७५,००,००० रुपया रखा गया है और इस बजट में ६५,६८,००० रुपये की मांग रखी गई है । जब इसका एक्सटेंशन हो जायगा तो हमारी पैदावार और भी बढ़ जायगी ।। मैंने धन्यवाद इसलिये दिया कि जिस वक्त यह काम

[श्री रऊफ जाफरी]

लिया गया तो लोगों में एक तरह नरवसनैस सी थी कि यह काम चल जायगा या नहीं । लेकिन यह हुआ कि जब फारेन आदमी चले गये और इंतजाम अपने देश के आदमियों ने लिया तो दोनों कारखानों ने तरक्की की है । जहां तक मुनाफे का ताल्लुक है, उसमें भी काफी फायदा हुआ है । १९५४–५५ में साढ़े आठ लाख रुपये का फायदा हुआ था जो बढ़कर १३,२६,००० रुपया हो गया है और जैसा कि गेंदासिंह जी ने कहा कि बढ़ेगा और जरूर बढ़ेगा ।

यहां पर मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि इस फैक्टरी में हमने ६०,००,००० रुपया लेबर और स्टाफ के ऊपर खर्च किया है उनकी मुख्तलिफ एमेनिटीज में और १०,००० रुपये सालाना लेबर वेलफेयर पर खर्च करते हैं । यह तो मैं हैवी इंडस्ट्रीज के सिलसिले में कह रहा हूं ।

जहां तक और इंडस्ट्रीज का ताल्लुक है, माननीय सदस्यों को मालूम है कि बनारस में रेलवे के पार्ट्स बनाने के लिये एक फैक्टरी खुलने जा रही है । इसके अलावा एक सिंथेटिक रबर फैक्टरी भी खुलने जा रही है । उसके लिये अभी साइट तय नहीं हुई है लेकिन यह समझा जाता है कि वह बरेली में होगी । जिस वक्त हमारी यह फैक्टरी खुल जायगी तो हमारे मोलेसेज की जो आज-कल कैपेसिटी बहुत कम है और कुल दो तिहाई वर्क आउट हो रही है क्योंकि वह पावर अल्कोहल में इस्तेमाल होता है, यह बढ़कर १६ मिलियन टन पैदा होना शुरू होगा क्योंकि १२ मिलियन टन तो इसी सिंथेटिक रबर फैक्टरी में इस्तेमाल हो जायगी । इसके अलावा अल्युमीनियम फैक्टरी की बात भी करीब–करीब तय है जो कि मिर्जापुर में खुलने जा रही है । इस सूरत से प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर को लेकर कई बड़े–बड़े कारखाने हमारे यहां हैवी इंडस्ट्री के कायम हो रहे हैं । मीडियम स्केल और काटेज इंडस्ट्रीज के सिलसिले में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह बड़े-बड़े कारखाने खुलते तो हैं, इनमें बहुत रुपया लगता है लेकिन इनकी इम्पलायमेंट पोटेन्शियल बहुत ज्यादा होती है । इनके जरिये से जितने आदमियों को काम मिलता है वह काफी ज्यादा होता है । जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि हमारे प्रदेश में सब से बड़ी समस्या यही है कि यहां जो बेकारों की तादाद ज्यादा है उनके लिये किसी तरह से काम मुहैया किया जाय । बड़े कार-खानों से काम तो ज्यादा मिलता है लेकिन वह भी इस समस्या को हल नहीं करते हैं । इसलिये हमारे प्रदेश के लिये यह बहुत जरूरी है कि हम मीडियम स्केल और स्माल स्केल काटेज इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दें ।

जहां तक इन चीजों का ताल्लुक है, उसकी तरफ सरकार ने काफी कोशिश की है । माननीय सदस्यों को यह मालूम है कि २ इंडस्ट्रियल इस्टेट कानपुर और आगरा में खोली गई हैं । इनमें हम सड़क बना कर बिजली और फैक्टरी भी बनाकर लोगों को हायर परचेज सिस्टम पर, या लीज पर या रेन्ट पर देते हैं । इसके लिये उन लोगों को फाइनेन्शियल कारपोरेशन से कर्जा लेने की सुविधा भी हासिल है । तो इस तरह से यह २ बड़ी–बड़ी इंडस्ट्री की इस्टेट हमने कायम की हैं । ३ और छोटी छोटी भी हम कायम करने जा रहे हैं जो बनारस में, देवबन्द में और लोनी जिला मेरठ में खुलेंगी । इनके लिये १८,००,००० रुपये का प्राविजन इस बजट में किया गया है ।

स्माल स्केल काटेज इंडस्ट्री के बारे में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ५,००० नई मीडियम स्केल यूनिट्स पिछले ३ साल के अन्दर हमारे यहां कायम हुये हैं जिसके जरिये से करीब ५०,००० आदमियों को काम मिला है । यह कारखाने मुस्तकिल किस्म के हैं जो खासतौर से बिजली का सामान पैदा करते हैं, छोटे–छोटे टूल्स यानी खेती वगैरह के औजार भी उनसे बनते हैं । इसी तरह से चमड़े का सामान है, साइकिल का सामान है जिसकी जरूरत प्रदेश में होती है । इस किस्म के कारखाने हमारे यहां कायम हुये हैं । इनके जरिये से काफी प्रगति हमारे प्रदेश में हुई है ।

जहां तक कुटीर उद्योग का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि गालिबन माननीय सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे कि जितने किस्म की और जितनी चीजें हमारे प्रदेश में कुटीर उद्योग की बनती

हैं दूसरा सूबा उसका मुकाबला नहीं कर सकता । इस वक्त ५१ स्कीमें गवर्नमेंट की चल रही हैं जो इस तरह का काम करती हैं । वे मुस्तकिल किस्म की हैं । जो खूबसूरत वस्तुयें उनसे निकलती हैं उनकी मांग न सिर्फ हमारे देश के अन्दर है बल्कि हमारे देश के बाहर भी उनकी मांग बढ़ती जाती है । इन बातों पर ध्यान रखते हुये इसकी तरफ सरकार ने काफी तवज्जह दी है और इसको बढ़ाने की कोशिश करती रही है । इस कुटीर उद्योग के लिये पैसे की सब से बड़ी जरूरत है । उस सिलसिले में हमारी लोन की स्कीम है । उनको १९४६-४७ से लेकर १९५६ तक ३,०४,००,००० रुपया दिया गया है। पिछले साल भी २८,००,००० दिया है । हम हर साल इस रकम को बढ़ाते चले जाते हैं । जितनी जरूरत होती है उसी लिहाज से हम उसको बढ़ाते जा रहे हैं । फाइनेंस का यह सवाल है ।

दूसरा सवाल उनका यह था कि जो चीजें बनें उनकी बिक्री ठीक से होनी चाहिये । बिक्री के लिये भी हमने काफी महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं । हमने अपने यहां चीजों को पापुलर बनाने के लिये जगह-जगह पर शो-रूम बनाये हैं । प्रदेश में लखनऊ, इलाहाबाद और आगरा में शो-रूम हैं और प्रदेश के बाहर हैदराबाद, नागपुर और कलकत्ता में हमारे शो-रूम हैं। इनकी वजह से देश में हमारी चीजों की मांग बढ़ी है। हमारा एक्सपोर्ट डिवीजन जो है वह इस बात की कोशिश करता है कि हमारा माल देश के बाहर भी बिके । देश के बाहर के बाजारों का क्या ट्रेन्ड है, किस किस्म की उनकी मांग है, इस सब को समझते हुए उसी तरह की चीजें तैयार करा कर उनको बाहर भिजवाने का यह डिवीजन काम करता है । इसके अलावा जो प्रदर्शनियां होती हैं उनमें भी हम जाते हैं और हमारे यहां का डिस्प्ले काफी अच्छा रहा है। इसके बाद कुटीर उद्योग के सिलसिले में सब से जरूरी चीज उस के स्टैंडर्डाइजेशन की है । हमारा माल एक खास क्वालिटी का होना चाहिये ताकि खरीदार को इतमिनान हो कि जो चीज हम ले रहे हैं यह उसी किस्म की है जैसा कि हम से कहा गया है। इसके लिये हमारे यहां क्वालिटी मार्किंग स्कीम है और उसमें हमें काफी सफलता मिली है । जिन-जिन चीजों में हम यह स्कीम लागू कर पाये हैं उनकी खपत बढ़ती जा रही है और इसका इतना एप्रिसियेशन हुआ कि दूसरे प्रदेशों के अफसरों को यहां ट्रेनिंग के लिये भेजा गया ताकि दूसरे प्रदेश अपने यहां भी इसको चला सकें ।

फाइनेन्स के सिलसिले में एक बात मैं और कह दूं । जहां तक होता है हम इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव्ज बनाते हैं ताकि उनके जरिये से हम ज्यादा अच्छी तरह से उनकी मदद कर सकें और उनकी देखभाल कर सकें । इन सूरतों के अलावा टेक्निक को बढ़ाने की जरूरत है ताकि चीजें खूबसूरत बनें और वह ऐसी हों कि बाजार में मुनासिब दामों पर बिक सकें। इस सिलसिले में हम बहुत से ट्रेनिंग, ट्यूशनल क्लासेज चला रहे हैं। हमारे पालीटेक्निक्स हैं और अगले साल हम और इसमें तरक्की करने जा रहे हैं और उसको और बढ़ाने जा रहे हैं। इस समय हमारे २० इंस्टीट्यूशन्स हैं कि जो ट्रेनिंग दे रहे हैं। उन में से ८ को हम जूनियर टेक्निकल स्कूल्स में तब्दील करने जा रहे हैं; उनसे पास होने वाले को नेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा जो सारे देश में हर जगह माना जाता है। इस सिलसिले में २१,२०,००० रुपया खर्च होगा। ३,००,००० रुपया हमने ग्रान्ट्स इन एड के लिये रखा है, गैरसरकारी स्कूलों की मदद करने के लिये। लखनऊ में अभी तक ४० और गोरखपुर में ३५ आदमी लिये जा रहे हैं,यह बढ़ा कर २१० और २०० के करीब कर दिये जायंगे। इसके अलावा एक डिप्लोमा कोर्स हम सिविल इंजीनियरिंग में करने जा रहे हैं। इस वक्त हमारी एनुअल ट्रेनिंग कैपेसिटी १,५२८ की है लेकिन हमें उम्मीद है कि जो बढ़ोत्तरी हम करने जा रहे हैं, उसके बाद यह बढ़ ,कर १,६९५ हो जायगी।

जो कुछ मैंने अर्ज किया उससे यह जाहिर है कि कुटीर उद्योग, मीडियम और हैवी इंडस्ट्रीज, इन सब के लिये उद्योग विभाग काम कर रहा है और जैसा कि मैंने बतलाया कि इस पर जितना खर्चा हम कर रहे हैं, उससे हमें इत्मीनान है । हमारी सीलिंग को प्लानिंग कमीशन ने कम दिया है, ८,००,००,००० से कम करके ४,००,००,००० कर दी गयी है । इस वजह से पिछले दो वर्षों में हमारे पास सिर्फ १,१२,००,००० रुपया रह जायगा। हम प्लानिंग कमीशन

[श्री रऊफ जाफरी]

से कोशिश कर रहे हैं कि इस रुपये को बढ़ा दिया जाय। क्योंकि पहले हमें जो दिया गया था उसके मुताबिक हम खर्च कर रहे थे तो जो कमी इस वक्त हो रही है, उसमें अगर बढ़ोत्तरी न की गयी तो जो काम हमारे चल रहे हैं उनमें भी दिक्कत पेश आ सकती है। हमें इसके बारे में वायदा भी किया गया है कि कुछ दिनों के बाद इस पर गौर किया जायगा।

माननीय सदस्यों को अक्सर यह एतराज रहता है कि कोई बड़ा भारी नया काम नहीं किया गया। लेकिन हम प्लान्ड एकोनामी में चल रहे हैं। हमारे काम, हमारी सीलिन्ग, हमारा एक-एक पैसा बंधा हुआ है, उसी के मुताबिक हमें चलना होता है लेकिन हमें वह बहुत कम मालूम होता है, इसलिये कि हमारी जरूरियात बहुत हैं। हमारे यहां बहुत गरीबी है, बेरोजगारी है और बहुत बेचैनी है कि हम अपनी इस बेरोजगारी को दूर करें। बहरसूरत जो काम होगा, अपने पास जो कुछ है उसके मुताबिक ही होगा, जितनी चादर है उसको देखकर ही पैर हम फैला सकेंगे।

इसके अलावा उद्योग विभाग को ज्यादा एफीशियेंट बनाने के लिये उसके रिआर्गनाइजेशन की स्कीम्स हमारे सामने हैं। हमें उम्मीद है कि जब यह काम पूरा हो जायगा, तो थोड़ी बहुत लूजनेस है, उसको हम पूरा कर सकेंगे। जो अनुदान मैंने पेश किया है, उसके बहुत से आइटम के बारे में मैंने बतला दिया, बाकी बजट लिटरेचर में दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्यों ने उसको अच्छी तरह से देख लिया होगा। अब मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता, बल्कि माननीय सदस्य जो सुझाव देंगे, उनके बारे में मैं यह यकीन दिलाता हूं कि उन पर पूरी हमदर्दी से विचार किया जायगा और अगर मुमकिन होगा तो अमल भी किया जायगा। इन अल्फाज के साथ मैं इस अनुदान को सदन के सामने रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसको स्वीकार किया जायगा।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की आबादी लगभग साढ़े ६ करोड़ है और प्रस्तुत अनुदान के लिये माननीय मंत्री जी ने ५,५७,७४,००० रुपये की मांग प्रस्तुत की है। इस प्रदेश की आबादी ६,३२,००,००० से ज्यादा है, इसको देखते हुये माननीय मंत्री जी का और इस सरकार का कितना खयाल इस प्रदेश के औद्योगीकरण की तरफ है यह जाहिर होता है।

औद्योगीकरण वर्तमान युग में किसी भी देश, प्रदेश या राज्य के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण चीज है, जिसके बिना न तो वह राज्य खुशहाल हो सकता है और न अपने निवासियों के लिये भरपूर खाने-पीने, कपड़े और अन्य आवश्यकीय चीजों का बन्दोबस्त कर सकता है। जहां तक इस राज्य का ताल्लुक है, हम सभी लोगों को मालूम है कि इसके लगभग १५,१६ जिले तो नितान्त अभाव से वर्षों से पीड़ित हैं और उनकी अभाव ग्रस्तता के अन्य कारणों के अलावा एक कारण यह भी है कि यहां का औद्योगीकरण जिस हद तक होना चाहिये, उस हद तक नहीं हुआ है। औद्योगीकरण के सम्बन्ध में निवेदन करते समय हम लोगों का ध्यान दो, तीन बातों की तरफ जाता है। औद्योगीकरण की पालिसी किस प्रकार से कार्यान्वित की जाय, उसके लिये वर्तमान युग में एक नियोजन की आवश्यकता होती है और उसके मुताबिक जिस हिस्से में जितना औद्योगीकरण होना चाहिये, बड़े, छोटे और गृह उद्योग धंधों के अनुसार उस हिस्से में उतना ही होना चाहिये और जिस प्रकार से पूंजी औद्योगीकरण में चाहिये, उसका वितरण अगर ठीक से न हुआ, उसे ठीक से नहीं बैलंस किया गया, तो जो फायदा हम पहुंचाना चाहते हैं वह नहीं पहुंचा सकेंगे। जिस प्रकार से शरीर के एक ही स्थान पर रक्त पहुंचता रहे तो इसमें कोई शक नहीं कि उस हिस्से का डेवलपमेन्ट तो होगा लेकिन दूसरा हिस्सा जहां रक्त नहीं पहुंचेगा वह सूख सकता है। अंग्रेजी जमाने में भी औद्योगीकरण की जो नीति रही, और जिस प्रकार से वे लोग उसका संचालन करते रहे, उसके मुताबिक कुछ जगहों पर तो उद्योगों का केन्द्रीयकरण हुआ, इसके अतिरिक्त कुछ स्थान ऐसे ही बच गये, जसे शरीर के एक हिस्से में ही रक्त

पहुंचता रहा और दूसरे हिस्से उसके बिना सूख गये। इस प्रदेश की आबादी को देखते हुये, जनसंख्या के अनुपात से उद्योग के लिये जो कुछ लिया गया है, उसका प्रमाण बार-बार इस सदन के सामने रखा गया है और भूमि का औसत प्रति व्यक्ति जोड़ा गया है तो वह पूर्वी जिले में आधा एकड़ प्रति व्यक्ति आता है, जो हमारे यहां की आबादी के लिये खूराक का मुख्य आधार है। अगर यहां पर औद्योगीकरण का ठीक से संचालन किया जाय तो इस अनुपात में कुछ और घटा बढ़ी की जा सकती है और भूमि का भार हल्का हो सकता है और इस प्रदेश में जो दरिद्रता का तांडव नृत्य दिखलायी पड़ रहा है वह कम हो सकता है।

इतना निवेदन करने के बाद मैं कुछ और चीजों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस प्रदेश में जो बड़े-बड़े उद्योग, छोटे-छोटे उद्योग व गृह-उद्योग धंधे खोले गये हैं वे इस पुस्तिका में जो उद्योग विभाग की तरफ से बांटी गयी है, दिये गये हैं। इसको देखने के बाद हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि पिछले दिनों में यहां बड़े उद्योग भी खोलने की व्यवस्था की गयी है। चुर्क की सीमेंट फैक्टरी खुली है, इसी प्रकार से आयन्दा आने वाले साल में सोडा ऐश फैक्टरी और अल्युमीनियम फैक्टरी भी खुलने वाली है। कुछ उद्योग तो प्राइवेट सेक्टर और कुछ पब्लिक सेक्टर में खोले गये हैं। पब्लिक सेक्टर में भी कुछ उद्योग खोले गये हैं, इसमें कोई शक नहीं कि प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि जो बड़े उद्योग खोले जायं वे पब्लिक सेक्टर में ही खोले जायं ताकि इसमें जो शोषण होता है वह निकल जाय और कुछ पूंजीपतियों के हाथ में यहां की अर्थ व्यवस्था का सन्तुलन न दिया जाय। लेकिन जिस तरह से पब्लिक सेक्टर का इन्तजाम किया गया है उससे यह आशा नहीं मालूम पड़ती है कि पब्लिक सेक्टर को बढ़ने दिया जायगा और तरह-तरह की चीजें जो देखने में आती हैं उससे यह प्रतीत होता है कि इस प्रयोग पर या तो हम लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा या कोई दूसरी तरह की स्कीम लानी पड़ेगी। इस तरह से पब्लिक सेक्टर को बदनाम किया जाता है ताकि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हर चीज जा पड़े। अभी कानपुर में बिजली कम्पनी का नेशनलाइजेशन हुआ और चुर्क सीमेंट फैक्टरी की जो बातें आये दिन अखबारों में निकलती हैं उन से जाहिर है कि जो राजकीय व्यवस्था है वह ज्यादा खर्चीली है और अभी उसे बहुत कुछ प्राइवेट सेक्टर वालों से सीखना होगा। मेरा सुझाव है कि प्राइवेट सेक्टर वालों से अगर अधिक सहायता नहीं मिलती तो कम से कम उन में से जो प्रगतिशील और देशप्रेमी लोग हैं उनका सहयोग लिया जाय और उनसे कहा जाय कि वह पब्लिक फैक्टरी और कारखानों का निरीक्षण करें और हमें सुझाव दें ताकि कम खर्च में अधिक से अधिक उत्पादन हो और उनका उपयोग करने की क्षमता भी बढ़े।

बड़े उद्योगों में प्रिसीशन इन्स्ट्रूमेंट फैक्टरी का नाम लिया गया है हालांकि वह बहुत से और उद्योगों का नाम लेना भी भूल गये हैं लेकिन इस प्रिसीशन फैक्टरी में भी लोगों को मालूम है कि जितना रुपया खर्च हो रहा है उसके अनुपात से आउटपुट या उत्पादन नहीं हो रहा है इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। प्राइवेट सेक्टर में हमारे यहां चीनी मिलें और सूती मिलें हैं और कांच का उद्योग है और कई और भी उद्योग हैं, ऊन का भी एक उद्योग है और भिन्न-भिन्न प्रकार के कल कारखाने हमारे यहां हैं। इन उद्योगों में जैसा कि मैंने बताया सरकार की स्थायी अर्थ नीति न होने के कारण जो कैपिटल लगा है वह बढ़ नहीं रहा है। हमारे यहां की चीनी मिलों की संख्या निरन्तर घट रही है, पहले हमारे यहां जहां ७४-७५ कारखाने थे वे अब घट कर ६५-६६ रह गये हैं और इस तरह से बेकारी भी अधिक बढ़ रही है। यह हमारी उद्योग नीति की सफलता का द्योतक नहीं है, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार अपनी चीनी उद्योग के प्रति जो नीति है उसको स्पष्ट करे, उस में एक स्थायित्व लाये और जो मौजूदा फैक्टरीज हैं उनको ठीक किया जाय और उनको बाहर न जाने दिया जाय।

सूती मिलों का जहां तक सम्बन्ध है, उनके विषय में हमारे यहां आये दिन बड़ी हड़तालों की खबरें आती रहती हैं। अभी हाल में लक्ष्मी रतन काटन मिल में भी हड़ताल होने की

[श्री मदन पांडेय]

खबर है जिसका फल यह होगा कि हजारों मजदूर बेकार हो जायंगे। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सूती वस्त्रों के सम्बन्ध में जो उस की अस्थायी नीति की अस्थिरता है उसको वह समाप्त करे और साफ जाहिर करे कि उसकी नीति इस सम्बन्ध में क्या है? क्या वह मिल मालिकों के फायदे के लिये, उन की मुनाफाखोरी के लिये, देश के लाभ की योजनाओं को कार्यान्वित न होने देने के लिये उन्हें खुली छूट देना चाहती है एक तरफ तो सरकार लक्ष्मी रतन काटन मिल के मालिकों को मिल न बन्द होने पावे उस हेतु औजारों का कारखाना खोलने के लिये कई लाख रुपया देती है और दूसरी तरफ पूंजीवादी कैपिटल की कमी के बहाने से अपनी फैक्टरी बन्द करते हैं और बेकारी बढ़ाते हैं और देश के सामने जो आर्थिक संकट है उस में वे वृद्धि करते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार अपनी इस तरह की नीति को रिवाइज करे और इस तरह के दिवालिया लोग अगर अपनी मिलों को नहीं चला सकते हैं तो उन को ऋण देकर जनता का पैसा बेकार न किया जाय और इस नीति को समाप्त किया जाय।

अभी कुछ बातें सोडा ऐश फैक्टरी और एल्मुनियम फैक्टरी के बारे में भी अखबारों में आई हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन को पब्लिक सेक्टर में न खोल कर प्राइवेट सेक्टर में खोला जा रहा है और यह भी सुनने में आ रहा है कि रिहन्ड डैम पर बनने वाली बिजली कम रेट पर अल्युमीनियम फैक्ट्री को दी जा रही है और इस प्रकार का कोई समझौता बिड़ला बन्धुओं से हो चुका है। माननीय हाफिज जी गर्दन हिला रहे हैं। अगर नहीं हुआ है तो बड़ी खुशी की बात है; अगर हुआ है तो उसे समाप्त किया जाना चाहिये। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी अगर इस आशय की कोई घोषणा यहां पर की जायगी।

अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे उद्योग और गृह उद्योगों की तरफ सरकार का कितना ध्यान है। मैंने ठीक से गौर नहीं किया है कि इस साढ़े पांच करोड़ के बजट में से कितना परसेंटेज गृह उद्योगों के लिये खर्च किया जा रहा है लेकिन जो चीजें आये दिन सामने आ रही हैं उनके देखने से मालूम पड़ता है कि जितना इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है उतना ध्यान नहीं दिया गया है। गोरखपुर, आजमगढ़, बनारस और उधर के और कई जिले ऐसे हैं जहां हैंडलूम की इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पर है और अगर उसमें सरकार का सहयोग मिले तो वह उद्योग बहुत उन्नति कर सकता है। यहां के बने हुये कपड़े के कपड़े बहुत दूर-दूर तक जाते हैं और जहां तक मालूमात हैं कुछ विदेशों में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। बनारस का सिल्क का उद्योग अपना सानी नहीं रखता है और उसको अगर सहारा मिले, उसको अगर ठीक ढंग से संचालित करने में सरकार भी दिलचस्पी ले तो मैं समझता हूं कि वह हमारे लिये फारेन एक्सचेंज की अर्निंग का एक साधन बन सकता है। अभी भदोही के कालीन के मजदूरों की हड़ताल की बात सदन के सामने आयी थी। उसमें मालूम हुआ कि इस सदन के भी माननीय सदस्यों को दिलचस्पी है इधर के भी और उधर के भी जिनके खिलाफ हड़ताल चल रही है। मैं उन सबसे चाहूंगा कि साठ-साठ हजार मजदूरों की हड़ताल उस उद्योग को बरबादी की तरफ ले जायगी और इसलिये मजदूरों की उचित मांगों को जल्द से जल्द पूरा करके उनके असन्तोष को समाप्त करना चाहिये। कालीन और गलीचे और इस प्रकार के जो और उद्योग हैं जिनसे कि हमें फौरन एक्सचेंज मिलता है, जो हमारे यहां की उन प्राडक्ट्स में से हैं जो कि विदेशों में जाती है, वहां लोकप्रिय हैं, उनके लिये सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। विश्व स्कीम इसके बारे में उसी हिस्से के लोग आपके सामने रखेंगे।

जो तालिका माननीय मंत्री जी ने बनायी है कि हमारे यहां जो उद्योग धंधे हैं उनसे हमारी कितनी आवश्यकता की पूर्ति होती है उससे यह मालूम हुआ है कि दियासलाई की आवश्यकता हमारे यहां के प्रोडक्ट से, हमारे यहां की पैदावार से, लगभग ६० प्रतिशत पूरी हो जाती है। लेकिन फिर भी ४० प्रतिशत हमको दक्षिण भारत से या अन्य जगहों से दियासलाई मंगानी पड़ती है। सेमल की लकड़ी एक ऐसी चीज है जो दियासलाई बनाने

के काम में आती है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि गोरखपुर, गोंडा, बस्ती इन जिलों में जो जंगल हैं उनमें सेमल की लकड़ी बहुतायत से पायी जाती है। हम शायद विमको फैक्टरी के लिये भी इधर से ही सेमल की लकड़ी ले जाते हैं। क्या ही अच्छा होता अगर उस तरफ भी सरकार का ध्यान जाता और वहां पर कोई दियासलाई की फैक्टरी खोल दी जाती! तो उससे यह जो ४० परसेंट की पूर्ति बाहर से करनी पड़ती है वह न करनी पड़ती।

कागज के कारखानों के लिये भी उस हिस्से में जहां पर कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की सब से अधिक आवश्यकता है वहां बहुत काफी सुविधा हो सकती है। गोरखपुर, देवरिया, गोंडा आदि जिलों में बांस बहुतायत से पैदा होता है और ऐसी चीजें जो कागज की लुगदी बनाने के काम में आ सकती हैं वहां काफी संख्या में पैदा होती हैं। मैं किसी रीजनलिज्म की बात नहीं करता, किसी क्षेत्रीयता के नाम पर नहीं, बल्कि उद्योगीकरण के नाम पर निवेदन करना चाहता हूं कि वहां उसकी फैक्टरी खोल दी जाय। कोच फैक्टरी खोलने के लिये क्या गोंडा, गोरखपुर आदि उपयुक्त स्थान नहीं? इंडस्ट्रियल इस्टेट के लिये गोरखपुर, गोंडा, देवरिया आदि जिलों में से किसी को भी नहीं चुना जा सका। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों यह सरकार अपनी औद्योगीकरण की नीति को एकांगी बनाना चाहती है। मैं मांग करता हूं कि आने वाले साल में इंडस्ट्रियल इस्टेट्स की संख्या बढ़ाई जाय और उसमें उन जिलों की तरफ भी ध्यान दिया जाय जिनकी तरफ अब तक ध्यान नहीं दिया गया है।

चीनी का उद्योग हमारे गन्ने की उपज का ४० परसेंट खपत करता है। अभी भी ६० परसेंट गन्ना गुड़ और खांड़सारी बनाने के काम में आता है। यह ऐसा धंधा है जो कम से कम लागत पर अधिक से अधिक व्यक्तियों को बारोजगार बनाता है। इस धंधे में १२,००,००० व्यक्तियों को रोजगार मिलता है लेकिन साढ़े ८ लाख की रकम बजट में रखी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रमुख उद्योग को नष्ट करने के लिये सरकार क्यों तुली हुई है? अगर यह धंधा आज नष्ट हो जायगा तो १२,००,००० आदमी तो बेकार होंगे ही लेकिन साथ ही साथ ६० प्रतिशत गन्ने की खपत के लिये भी कोई स्थान नहीं रहेगा। इसलिये मैं कहता हूं कि गुड़ और खंडसारी योजना को प्रोत्साहन दीजिये। गुड़ की लदनी उस समय खुलवाने की चेष्टा कीजिये जिस समय उसकी दूसरे सूबों में मांग होती है।

(लाल बत्ती जलने पर)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ५ मिनट का मौका और चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--१८ मिनट हो गये। २० मिनट से ज्यादा समय नहीं मिलेगा।

श्री मदन पांडेय--छोटे उद्योग-धंधों की बात न करके अब दो, तीन चीजों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे औद्योगीकरण में माननीय मुख्य मंत्री जी भ्रष्टाचार का नाम सुनने से घबराते हैं। लेकिन मजबूरी यह है कि यह भूत हर विभाग पर सवार है। यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं। मैं कोई चार्ज अपनी तरफ से नहीं लगाना चाहता। लेकिन सरकारी कागजों और आंकड़ों तथा जो आडिटर के आबजेक्शन हैं उनके आधार पर इस सरकार से चन्द सवालात करना चाहता हूं।

लोक लेखा समिति की १९५२-५३ की जो रिपोर्ट है उसमें कुल देखने के बाद कुछ सिफारिशें की गई थीं और एक प्रमुख सिफारिश पेज नम्बर ९, दूसरे पैरे के (ख) में दी हुई है। समय कम है इसलिये मैं उस तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट थोड़े में ही कर रहा हूं:

"समिति को यह ज्ञात हुआ कि सामान के बड़े-बड़े स्टाक कई वर्षों से नहीं बेचे गये। ये स्टाक कितने अधिक थे इसका पता समिति के सदस्यों को अकस्मात् उस समय लगा जबकि वे हजरतगंज, लखनऊ के हैन्डीक्राफ्ट्स इम्पोरियम को देखने गये थे यद्यपि उनके पूछने पर भी

[श्री मदन पांडेय]

इम्पोरियम के प्राधिकारियों ने इन स्टाकों के बारे में उन्हें नहीं बताया था। समिति ने सुझाव दिया कि स्टोर में बहुत लम्बे समय से पड़े हुये अतिरिक्त स्टाक को बेचने के सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जानी चाहिये ।"

इसी तरह से यह सुझाव (छ) तक हैं। लेकिन समय कम होने के कारण मैं इनको छोड़े देता हूं। एक प्रमुख बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसी रिपोर्ट के पृष्ठ १२१ में लिखा है कि:

"समिति ने इस बात पर भी घोर असंतोष प्रकट किया कि यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स के अलाभप्रद तरीके पर चलाये जाने और आवर्तक हानियां होने की जांच करने के लिये वित्त विभाग, प्रशासकीय विभाग, कुटीर उद्योग विभाग के संचालक और आडिट के प्रतिनिधियों को एक समिति बैठाने की जो सिफारिश पिछली समिति ने की थी उसे अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया।"

मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि इस प्रकार पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने बार-बार जिस चीज पर जोर दिया और कई बार जांच कराने की मांग की उसे क्यों अस्वीकार किया गया ? और उसके बाद भी बिना कटौती के प्रस्ताव के और बिना विवाद के आशा की जाती है कि यह अनुदान मंजूर हो! मैं इसी यू०पी० हैन्डीक्राफ्ट्स के सम्बन्ध में एक तथ्य की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसी में १२२ पेज पर दूसरे नम्बर का जो सुझाव है वह इस प्रकार है :

"विभाग द्वारा प्रस्तुत की गयी अशोध ऋणों की सूची, नत्थी 'ख' में दी गयी है। उप-समिति ने ७ नवम्बर, १९५५ की बैठक में इस सूची पर विचार किया। समिति ने आश्चर्य प्रकट किया कि उन्नाव के संसद् सदस्य श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी के भाई श्री महेश्वर दयाल त्रिपाठी के नाम चढ़ी हुई ३६९ रुपये ६ आने ९ पाई की धनराशि अभी तक वसूल नहीं हो पायी है।" इस तरह से इन वसूलियों में क्यों ढिलाई की जाती है ? या तो सरकार इन ढिलाइयों को खत्म करे या स्वयं खत्म हो जाय ।

आगे इस समिति की रिपोर्ट में लिखा हुआ है—"१९४२–४३ से १९४८–४९ तक के ७ वर्षों में इस उपविभाग को मुनाफा हुआ है और कोई कारण ऐसा प्रतीत नहीं होता जिससे कि यह कहा जा सके कि विभाग को इस उपविभाग से अब कोई लाभ नहीं होगा।" ७ वर्ष तक जो कंसर्न मुनाफे में चले और उसके पश्चात् विशिष्ट मैनेजर के आने के बाद १९५२–५३ और १९५४–५५ में क्रमशः १,४२,८१४ रुपये और १,६१,८९३ रुपये की हानि हो जाय यह कहां तक उचित है, इस पर गौर करने की आवश्यकता है ।

इसके बाद कुछ और सुझाव पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने दिये हैं उनकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया गया—"उपसमिति की राय में यह क्रय समिति ठीक से काम नहीं कर रही है। इसलिये उपसमिति यह सिफारिश करती है कि क्रय समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ा कर ५ कर दी जाय और उसमें कुछ ऐसे गैर-सरकारी सदस्य सम्मिलित किये जाने चाहिये जिन्हें कारबार का भी कुछ अनुभव प्राप्त हो। क्रय समिति के सदस्यों का कार्यकाल ५ वर्ष से अधिक न होना चाहिये। उप समिति का यह भी विचार है कि स्पेशल मैनेजर को ५ वर्ष की अवधि के पश्चात् स्थानान्तरित कर देना चाहिये।" १९५५ पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में पेज ७ पर भी यही सुझाव दिया गया है कि स्पेशल मैनेजर को साधारणतया ५ वर्ष के बाद स्थानान्तरित कर दिया जाना चाहिये। मैं जानना चाहूंगा कि इतने वर्षों के पश्चात् भी, इतने एतराजात के बाद भी एक ही आदमी को क्यों मैनेजर रखा गया ? उसके बारे में सदन में बार-बार शिकायतें की गयीं। माननीय सदस्य श्री गेंदा सिंह व श्री गौरीशंकर राय ने लिख कर भेजा है। माननीय उद्योग मंत्री ने जवाब दिया है "मैं मजबूर हूं उनके लिये किसी दूसरे विभाग में काम नहीं है"। यह चिट्ठी मेरे पास है ।

श्री उपाध्यक्ष---आपको एक व्यक्ति को लेकर विस्तार से उसके सम्बन्ध में बयान करने की इजाजत मैं नहीं दे सकता । आप आगे बढ़ें ।

श्री मदन पांडेय---मैं इस सम्बन्ध में केवल दो तीन लाइनें पढ़ना चाहता हूं जो कि रेलेवेंट हैं । २६-९-५७ को यह पत्र लिखा गया था "आपने पहले ही यह इच्छा जाहिर की है और परसों टेलीफोन पर यू०पी० हैंडीक्राफ्ट्स के सम्बन्ध में बातचीत हुयी थी । आपने मजबूरी जाहिर की थी कि श्री बांधवानी यू०पी० हैन्डीक्राफ्ट्स से इसलिये नहीं हटाये जा सकते कि उनके लिये दूसरा काम नहीं है और नौकरी से अलहदा इसलिये नहीं किया जा सकता कि ऐसा कोई इलजाम उनके विरुद्ध सामने नहीं है ।" मैं इन शब्दों को उद्धृत करता हुआ माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी भ्रष्टाचार की ओर जानबूझ कर आंख मूंदी जाय तो माफ नहीं किया जा सकता । हो सकता है कि भ्रष्टाचार हो और आपकी और हमारी नोटिस में न हो लेकिन नोटिस में आने के बाद उसका नोटिस न लिया जाय···

श्री उपाध्यक्ष---एक ही मामले को ले कर आप ५ मिनट ले चुके हैं । उदाहरण हो चुका । अगर आगे कुछ कहना है तो कहिये ।

श्री मदन पांडेय---इस सम्बन्ध में उत्तर देते समय माननीय मंत्री जी इसका स्पष्टीकरण करेंगे ।

दूसरी चीज, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं बीड़ी उद्योग की तरफ । मुझे बड़ी खुशी है कि इस साल की पुस्तिका में बीड़ी उद्योग का नाम उद्योगों में गिन लिया गया है । उसमें ३७,००० मजदूर और ७२,००,००० रुपये की पूंजी की गणना बताई गई है । मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि इस गणना पर मेरा अब भी इत्मिनान यह है कि लगभग ५०,००० से कम व्यक्ति इस उद्योग में नहीं लगे हुये हैं और अगर ठीक से इस उद्योग को प्रोत्साहित किया जाय तो संख्या बढ़ सकती है । जहां बीड़ी बनायी जाती है और मिर्जापुर और बुंदेलखंड के जंगलों में इसके पत्ते के लिये डेवलपमेंट किया जाय और उनको विकसित कराया जाय तो यह उद्योग हमारे प्रदेश के लिये बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा । दूसरे उपकरणों की जो लम्बी सूची है उसमें काम करने के लिये इतनी कम पूंजी में दूसरा कोई उद्योग ऐसा नहीं है जो इसकी जगह ले सके और इतनी अधिक संख्या में लोगों को काम दे सके ।

लाल बत्ती हो गयी है । इन शब्दों के साथ इस कटौती के प्रस्ताव को, मैं आशा करता हूं यह सदन मंजूर करेगा और माननीय मंत्री जी मेरे सुझावों पर गौर करेंगे और जवाब देते समय इनके सम्बन्ध में भी कुछ कहेंगे ।

कुमारी कमलकुमारी गोइंदी (जिला इलाहाबाद)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या २७---लेखा शीर्षक ४३---उद्योग के अन्तर्गत ५,५७,७४,००० रुपये की मांग को स्वीकार करने के समर्थन में खड़ी हुई हूं । मान्यवर, मुझे कहते हुये यह जरा भी संदेह नहीं होता कि स्वतंत्रता के १० वर्ष के अन्दर इस प्रदेश ने उद्योग-धंधों में सराहनीय काम किया है और यहां के कर्मचारियों ने किस लगन और किस मेहनत के साथ इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है उनकी तारीफ में मैं अधिक न कह कर, क्योंकि इन उद्योगों की तारीफ में मैं किताबें लिख सकती हूं, मैं कुछ अपने सुझाव दूंगी और उसके अन्दर जो कठिनाइयां हैं वह मंत्रिमंडल के सामने रखूंगी ताकि उनका कुछ समाधान किया जा सके ।

इस प्रदेश में अनेक उद्योग धंधे हैं, जिनमें से निम्नलिखित मुख्य हैं:---खादी, गुड़, खंडसारी, चर्म, मुरादाबाद के बर्तन, आगरे के जूते, अलीगढ़ के ताले, मेरठ का स्पोर्ट्स का काम, इत्यादि । इनमें से ४-५ के ऊपर मैं अपना मत व्यक्त कर सकूंगी ।

सब से पहले आप खादी का उद्योग ले लीजिये । केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकार ने इसके लिये काफी धनराशि रखी है और एक एक्सपर्ट कमेटी भी केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त

[कुमारी कमलकुमारी गोइन्दी]

की गयी है और उसमें खादी के तपे तपाये वर्कर्स रखे गये हैं । इस प्रदेश के अन्दर भी उसी तरह के तपे तपाये खादी के कार्यकर्ताओं की एक कमेटी बना दी गई है और उसी के नीचे हजारों की संख्या में खादी वर्कर्स काम कर रहे हैं । किस ईमानदारी और किस लगन से वे कार्य करते हैं वह कहने से ऊपर हैं । दुनिया के अन्दर एक मिसाल है कि इतने बड़े स्तर के ऊपर इस कार्य को उतनी लगन और उतने स्नेह के साथ करने वाले इतने लोग हैं । हमारी सरकार भी उनकी मान्यता करती है और मान देती है । हमारे खादी उद्योग में से मुख्य कार्य कर्ता तो हमारे मंत्रिमंडल में रखा हुआ है जो अपनी ईमानदारी और कार्यदक्षता से खादी को पूरे प्रदेश में प्रोत्साहन देता है ।

निस्संदेह इस प्रदेश के अन्दर जितनी मेहनत हुई और जितने धन का व्यय हुआ उसमें जितना हम चाहते थे कि इतना लाभ हो, या जितना उसके अनुपात में लाभ की हमें आशा थी, उतना नहीं हो सका । सिर्फ यह चीज गौर से देखनी है कि उतना लाभ क्यों नहीं हो सका और उसको लाने के लिये क्या किया जाय । यह लाभ इस कारण नहीं हो सका क्योंकि इस क्षेत्र में जो हमारी रहनुमाई करने वाले नेता हैं उन्होंने एक खास दृष्टिकोण से खादी का काम किया है । वह दृष्टिकोण यह था कि बड़े-बड़े शहर जैसे बम्बई, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर आदि के लोगों के टेस्ट के मुताबिक खादी बनायी जाय ताकि उन शहरों में वह बिक सकें । खादी गरीब के लिये भी है; इस ओर उनका कोई खयाल नहीं था कि उन तक खादी किस तरह से पहुंचाई जाय । यह ठीक है कि हमारे रहनुमाओं ने बापूजी की सेल्फ सफिशेन्सी की बात को सुना है और उसको अपने जीवन में लागू भी किया है लेकिन एक-एक घर में खादी कैसे पहुंचाई जाय इसमें उनको कठिनाई पड़ रही है । इसके लिये मेरा एक सुझाव है कि गांवों में जो हमारे जुलाहे हैं उनको उस किस्म का भाड़ लगाना सिखाया जाय जिससे फ्लाइट शटल पर हाथ कता सूत आसानी से चल सके । आज दिक्कत यह है कि हाथ का कता हुआ सूत फ्लाइट शटल पर नहीं चल पाता । मैं इसलिये यह सुझाव दे रही हूं कि जो हम लोग वीवर्स को ट्रेनिंग देते हैं और जो अम्बर चर्खे की ट्रेनिंग देते हैं उसकी बजाय इसको कर दें तो खर्चा कम होगा और यह चीज ४--६ दिनों के अन्दर ही जुलाहे व बुनकर अपने-अपने स्थानों पर सीख सकते हैं और खादी को आगे बढ़ा सकते हैं ।

दूसरी आजकल बड़ी भारी अड़चन प्रमाणित होने में पड़ रही है । नये-नये केन्द्रों के बजाय उन लोगों को प्रमाणित कर दिया जाय जो खादी का काम करना चाहें । मैंने इस सम्बन्ध में भारत भर की सभी जगहों की स्त्रियों से चर्चा की है और एम० एल० ए० लोगों से भी चर्चा की है कि खादी के अन्दर उनको खास दिक्कत क्या पड़ती है । उनका कहना है कि प्रमाणित करने में बहुत दिक्कत पड़ती है । मुझे अपने यहां का तो अनुभव था ही, केरल की एक बहन ने भी इसको साफ कर दिया कि हमने ५ साल तक प्रयत्न किया लेकिन हमारा केन्द्र प्रमाणित नहीं हो पाया । जब केन्द्र प्रमाणित नहीं होता है तो जो सहूलियतें इन केन्द्रों पर मिलती हैं वे आम तौर पर नहीं मिल पाती हैं । अगर हम खादी को लोकप्रिय बनाना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि जो लोग भी करना चाहें उनको हम प्रमाण-पत्र दे दें । यह जरूर है कि उन पर बड़ी निगरानी रखी जाय और अगर कहीं भी मिलावट हो तो उनका प्रमाण-पत्र छीन लिया जाय ।

दूसरी चीज खादी को प्रिय बनाने की बात है । गांव-गांव में इसको प्रचलित करने के लिये जितने माननीय सदस्य यहां पर हैं उनके घरों में खादी का प्रयोग होना चाहिये और एक उदाहरण सबके सामने रखना चाहिये । दूसरे एक चीज और करें कि हम चर्खे को होल-टाइम बिजनेस न समझें बल्कि सिर्फ उस समय के लिये समझें जब दूसरा काम न मिलता हो या जिस समय के लिये अधूरा काम हमारे पास हो या स्त्रियां अपने घर में बैठे-बैठे इसको करें ।

हमारी सरकार इसके लिये धन्यवाद की पात्र है कि गुड़-खांडसारी की केवल १० ही वर्षों में इतनी बढ़िया क्वालिटी बनने लगी है । पहले बहुत घटिया क्वालिटी मिलती थी लेकिन आजकल बढ़िया से बढ़िया गुड़ मिल जाता है । इसके लिये मुझे सुझाव यह देना है कि जो अच्छे

अच्छे कोल्हू बनते हैं उनको हायर परचेज सिस्टम पर किसानों को दिया जाय और जो पैन तथा छोटी सेन्ट्रीफ्यूगल मशीन्स हैं उनको भी इसी सिस्टम पर दिया जाय। यह प्रथा चालू की जाय जिससे जो किसान खरीद नहीं सकते हैं उनको भी आसानी हो जाय।

दूसरी चीज हमें यह कहनी है कि यूनियन गवर्नमेंट से रेलवे का किराया गुड़ और खंडसारी के लिये मंडियों में पहुंचाने के लिये कम करवा दिया जाय। ताड़ का गुड़ बिलकुल बन्द कर दिया जाय क्योंकि वह ढाई तीन रुपये सेर पड़ता है, इसलिये बहुत महंगा पड़ता है। मैं माननीय गेंदासिंह जी से गुड़ के बारे में तो रोज सुनती हूं लेकिन यह सुनने में नहीं आता है कि इसका प्रयोग किस प्रकार से बढ़ाया जाय। इसी तरह से इसकी तरक्की हो सकती है। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगी कि जितनी लेजिस्लेचर की और पार्टियां होती हैं उनमें गुड़ और खंडसारी की बनी चीजें इस्तेमाल की जायं। तभी हम इस उद्योग को प्रोत्साहित कर सकते हैं। एक तो इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि गुड़ में काफी पौष्टक तत्व हैं और दूसरे मैं स्वयं खड़ी हुई हूं जिसने जन्म से चीनी नहीं खाई और मैं कोई दुबली पतली नहीं हूं। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे कोल्हू मिल रहे हैं जो ७० प्रतिशत से लेकर ८५ प्रतिशत तक रस निकाल देते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगी कि ऐसे कोल्हू मुझे दिखा दिये जायं।

इसके अलावा चर्म का उद्योग है। यह काफी तादाद में उत्तर प्रदेश में बनता है। खादी के बारे में तो मेरी काफी जानकारी थी लेकिन इस में मेरी जानकारी नहीं है। मैं अपने क्षेत्र कर्मा और करछना में जब पहुंची तो मैंने बिल्डिंग बनी पायी और मैंने पूछा कि काम इस में क्यों नहीं चलता। यह मंदिर है इसमें पुजारी क्यों नहीं आया है? क्या कारण है? लोगों ने बताया कि कर्जे की प्रथा ठीक नहीं है। इसमें इंडिविजुअली और कलेक्टिवली दोनों की जिम्मेदारी हैं, इसलिये इसमें रुकावट हो रही है। मैं चाहूंगी कि गवर्नमेंट इस कर्जे की नीति में कोई उचित सुधार करे जिससे वहां के लोगों को प्रोत्साहन मिल सके। आज हमारा कार्यकर्ता जिसकी ट्रेनिंग के ऊपर काफी रुपया खर्च हुआ है वह बेचारा दरवाजे-दरवाजे पर घूमता फिरता है नौकरी के लिये। इसी तरह से अनेक जगह बिल्डिंग बनी हुई हैं यानी मंदिर खड़े हैं लेकिन पुजारी नहीं है। इसलिये इस कर्जे की प्रथा में सुधार कर दिया जाय।

दूसरे, मेरी कम बुद्धि के कारण जो मैंने इस रिपोर्ट के १७० पृष्ठ पर पढ़ा है और इसमें मैंने देखा कि उत्पादन चमड़े का ११,१०,८१७ है और काम करने वाले १,११,३२४ हैं और प्रति दिन प्रति व्यक्ति मजदूरी ढाई तीन रुपये हैं। यह बात मेरी समझ मे नहीं आई, माननीय मंत्री जी इन आंकड़ों पर रोशनी डालने की कृपा करें।

इसके बाद मैं आपको एक जरूरी बात बतलाना चाहती हूं, जो स्पोर्ट के विषय में है। हिन्दुस्तान में स्पोर्ट का बिजनेस पहले स्यालकोट में केन्द्रित था जो सारी दुनिया को माल सप्लाई करता था। केवल स्यालकोट में एक लाख रुपया रोजाना इस बिजनेस से आता था। जिस वक्त यह पार्टीशन हुआ तो उस समय लोगों ने यह चाहा कि हम उत्तर प्रदेश में बस जायं। कारीगर तो वहीं रह गये लेकिन जो आर्गनाइजर थे वे यहां आये। उन्होंने कच्चे सामान की सुविधा और सेक्योरटी के लिहाज से यहां पर सैटिल होना मुनासिब समझा। हमारी सरकार ने जितना इसमें दखल दिया उतना ही उसको नुकसान पहुंचा। यह स्पोर्ट का बिजनेस पढ़े लिखे लोगों के हाथ में है। वह मेरठ में आकर बसे और वहां पर अपने काम को स्टैब्लिश किया और अब वहां से जा रहे हैं। इस वक्त इसकी पोजीशन यह है कि ४०, ५० लाख रुपया का माल जालन्धर से फारेन कंट्रीज को जा रहा है और केवल १,१।। लाख रुपये का सामान आपकी यू० पी० से बाहर जाता है। वे लोग पहले यहां यू० पी० में स्टैब्लिश होना चाहते थे लेकिन बाद में सहूलियत न मिलने के कारण वे जालन्धर में जाकर बस गये। अब क्या होता है? सरकार अपने कारखाने खोलती है इस बहाने से कि एक्सपर्ट गाइडेन्स देंगे। इसका काम करने वाले वर्ल्ड मार्केट स्टडी किये हुये हैं और करते हैं। उसी के मुताबिक क्वालिटी और कीमतों में

[कुमारी कमलकुमारी गोइन्दी]

दुनिया को लीड करते हैं । इनको हमारी सरकार के कार्यकर्ता क्या एक्सपर्ट गाइड्स देंगे । मेरा सुझाव यह है कि सरकार केवल अपनी factories में वह सामान बनाये जो आगे factories में नहीं बनता । यह बिजनेस बड़ा पेइंग है । तो इसके लिये मेरा सुझाव यह है कि गवर्नमेंट को यह करना चाहिये कि उन लोगों को सामान बनाने के लिये सहायता दे । जो सामान यहां पर आगे नहीं बनता था या अच्छा नहीं बनता था उसके लिये सरकार को मदद करनी चाहिये । सरेस हिन्दुस्तान में अभी तक अच्छा नहीं बनता है । फारेन कन्ट्रीज में सरेश अच्छा बनता है । वही उसके लिये वहां से मंगाते हैं । शहतूत के पेड़ उसके काम में आते हैं तो उनको नहरों के किनारे लगाया जाय । सरकार की इस तरफ कोशिश होनी चाहिये और सरकार इस बिजनेस को यहां पर स्टैब्लिश करे । इस बिजनेस के लिये इन दो चीजों की बड़ी जरूरत पड़ती है । एक तो शहतूत की लकड़ी और दूसरे सरेस । अगर इन दोनों चीजों का उत्पादन यहां पर कर लिया जाय तो इससे बहुत लाभ प्रदेश को हो सकता है ।

दूसरी बात मैं प्राइस के बारे में कहना चाहती हूं । फैक्टरीज में जिस प्राइस पर चीज बनती है और फैक्टरीज से जिस प्राइस पर बाहर कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट को रेट सरकुलेट किये जाते हैं उनमें रिटेलर को बिलकुल निकाल दिया जाता है । जब रिटेलर को निकाल दिया जाता है तो फैक्टरी का माल यहां तक पहुंचने वाले के लिये उसी रेट पर मुनाफे की कैसे गुंजायश रह सकती है ? मारकेट में उसी रेट पर चीजें कैसे मिल सकती हैं ? इसलिये जरूरत इस बात की है कि हमारी सरकार जब रेट लगाये तो रिटेलर के प्राफिट को भी जरूर जोड़कर रेट लगाये ताकि वह स्टैब्लिश हो सके । इसी तरह का हाल सर्जिकल इस्ट्रूमेंट के बारे में है । इसलिये मेरा खयाल है कि माननीय मंत्री जी इस तरफ जरूर ध्यान देंगे ।

इसके अलावा एक सूचना कारपेट इंडस्ट्री के लेबरर्स की स्ट्राइक के बारे में मिली । उसके लिये तीन बातों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है । मिर्जापुर में जो कालीन का काम है वह फारेन कन्ट्रीज के ऊपर निर्भर करता है । उनका अधिक माल यू० एस० ए० जाता है और कुछ और जगह भी जाता है । एक चीज यह देखने की है कि अगर मजदूरों को भरपेट रोटी खाने को नहीं मिलेगी तो वह काम नहीं करेंगे । दूसरी चीज यह है कि एक्सपोर्ट करने के लिये जो माल है उसके rate ठीक हों । मेरे खयाल में लेबरर्स को कम मजदूरी कटथ्रोट कम्पटीशन के कारण ही दी जाती है । जहां ऐसा होता है वहां रेट्स कम हो जाते हैं और उनको पूरा पैसा नहीं मिलता और नतीजा यह होता है कि वह इंडस्ट्री ही समाप्त हो जाती है । तो इसके लिये आप तीन आदमियों की एक्सपर्ट कमेटी बनाइये जिनमें एक प्रतिनिधि उनका हो जो माल बाहर सप्लाई करते हैं, दूसरा प्रतिनिधि मजदूरों का हो और तीसरा आपका प्रतिनिधि हो कि जो देखे कि इंडस्ट्री किस तरह जिन्दा रहती है और वह लाखों आदमियों की परवरिश करती है । इसके बाद जो इसके नेशनलाइजेशन की बात कही गयी, उससे यह इंडस्ट्री चलने वाली नहीं है । यह तो घरेलू उद्योग है ।

श्री उपाध्यक्ष---अब आप दो, तीन मिनट में अपनी बात कह दीजिये ।

कुमारी कमलकुमारी गोइन्दी---अब मैं गवर्नमेंट प्रेस के कर्मचारियों के संबंध में यह कहना चाहती हूं कि पहले तो उनको तीन साल के अंदर स्थायी करने का प्रयत्न किया जाय । दूसरे, वहीं के कर्मचारियों को तरक्की दी जाय । जैसे असिस्टेंट बाइन्डर को ही बाइन्डर बनाया जाय और बाहर से भरती न की जाय या कम से कम की जाय । बाकी, छोटी फैक्टरीज के बारे में मुझे यह कहना है कि उनको रा मैटिरियल आसानी से मुहय्या होना चाहिये । जब तक वह लोहा और कोयला आदि का इंतजाम करते हैं तब तक कभी-कभी वे बन्द रहती हैं और उसके

कारण काफी क्षति हो जाती है । छोटे कारखानों के लिये कोयले और लोहे की सुविधा उन्हीं के निकट ही होनी चाहिये और उन्हें आसानी से परमिट आदि मिलने चाहिये । इसमें दिक्कत होने से उनकी इन्डस्ट्री को डिसकरेजमेंट होता है। इसके अलावा जो माल छोटे कारखाने बनाते हैं उनको बड़े कारखानों को नहीं बनाने देना चाहिये । इसके अलावा हमें उत्तर प्रदेश में हड़तालें खत्म करने के लियें कड़े अनुशासन की आवश्यकता है । समय और इंडस्ट्री की मांग को देखते हुये हमें एक यह निश्चय भी लेना चाहिये कि लेबर को डेली वेजेज या मासिक नौकरी पर तनख्वाह न दी जाय बल्कि एक यूनिट तय कर दी जाय और जितनी यूनिट वह मजदूर काम करे उस हिसाब से उसको मजदूरी दी जाय। जैसे कपड़ों के कामों में आप तय कर दें कि यदि वह ५ गज कपड़ा बना ले तो उसे एक दिन की मजदूरी दी जाय, यदि वह १० गज बना लेता है तो उसे दो दिन की मजदूरी दी जाय। इस तरह से झगड़े समाप्त हो जायंगे क्योंकि अभी मैनेजमेंट चाहता है कि काम ज्यादा हो और मजदूर चाहते हैं कि काम कम हो और मजदूरी ज्यादा हो। तो उत्तर प्रदेश की समस्या इस Nationalisation system के सिवाय और किसी तरह से हल होने वाली नहीं है। इसलिये काम के यूनिट तय होने चाहिये। इसके अलावा इंडस्ट्री में जो इंस्पेक्टर आदि हैं वे काम के लिये हेल्पफुल न होकर अन हेल्पफुल हो रहे हैं। रिकन्सीलिएशन कमेटी आपकी इस तरह की होनी चाहिये कि जिसमें एक मालिकों का रिप्रेजेन्टेटिव हो, एक लेबरर्स का हो और एक सरकारी नामिनी रहे और वह कमेटी वहीं आन दी स्पाट जांच करके मामले को समाप्त कर दे।

इस निवेदन के साथ मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करती हूं और आशा करती हूं कि कटौती का प्रस्ताव जिन माननीय सदस्य ने रखा है वह उसे वापस लेंगे। धन्यवाद।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मदन पांडेय जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। किसी देश और प्रदेश की औद्योगिक नीति की कसौटी होती है, कैपिटल इनवेस्टमेंट का बढ़ना, प्रोडक्शन और रोजगार का बढना और मूल्यों में कमी होना। इन चारों कसौटियों पर उत्तर प्रदेशीय सरकार की औद्योगिक नीति को कस कर देखने से हमें निराशा होती है और हमें कहना पड़ता है कि यहां की उद्योग-नीति असफल और निष्क्रिय रही है। हमारे प्रदेश में १९५४ में ७,३७९ लाख कैपिटल इनवेस्टमेन्ट था और ५५-५६ में ८,७६५ लाख रुपये का हुआ। उसके बाद इस प्रदेश में न तो कोई कल कारखाना खुला और न किसी प्रकार का कैपिटल इनवेस्टमेंट हुआ है। यद्यपि कुछ उद्योगपतियों को सरकार की ओर से रुपया अवश्य दिया गया है, इस समय तक उससे कोई कारखाना नहीं खुला है और न किसी तरह का कैपिटल इनवेस्टमेंट हुआ है। ८,७६५ लाख रुपये के कैपिटल इनवेस्टमेंट में भी इस समय हमारे प्रदेश में १६८ बड़े और छोटे कारखाने बन्द हैं। यदि इनके कैपिटल इनवेस्टमेंट को कम कर दिया जाय तो जो बढ़ा हुआ इनवेस्टमेंट बताया जाता है वह भी कम हो जायगा। इन बन्द कारखानों में ४ शुगर के, २ शुगर रिफाइनरीज, ७५ आयल के, ११ जिनिन्ग के, ४ कांच के, २ डिस्टिलरीज और १२ काटन मिल भी हैं।

हमें अफसोस है कि हमारा कपड़े का उत्पादन भी गत वर्ष की अपेक्षा घटा है। कुल ७८७ हजार का कपड़ा सालाना उत्पादन कम होता जा रहा है। इसके साथ-साथ ६,४२,४०८ पौंड सालाना सूत भी कम होता जा रहा है। अब रोजगार की ओर आइये। ३१ दिसम्बर, ५६ को हमारे प्रदेश में १,३१,००० मजदूर लाइफ़ रजिस्टर पर दर्ज थे लेकिन इसके बाद ३१ दिसम्बर सन् १९५७ को १,३८,००० मजदूर रजिस्टर में दर्ज हो गये इस प्रकार बेकारी भी बढ़ी है। जहां तक चीजों के दाम कम होने का सवाल है उसका सबूत यह है कि जहां एक ओर लाखों आदमी नंगे हैं वहां दूसरी ओर कानपुर के सूती मिलों में सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ही ७२,९६३ कपड़े की गांठें सन् ५८ के प्रथम पक्ष में और कानपुर के बाहर ८,९१३

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

गांठें बेकार पड़ी हुई हैं। सूत की भी १३,५७३ गांठें जमा हैं। यह हमारी सरकार की औद्योगिक नीति का दुष्परिणाम है जिससे व्यापार भी घटता जा रहा है।

अगर हम इस सब का कारण जानने की कोशिश करें तो मालूम होगा कि हमारी प्रदेशीय सरकार की टैक्स की नीति इसके लिये जिम्मेदार है। सेल्स टैक्स और बढ़ी हुई बिजली की दरों ने व्यवसाय खराब कर दिया है। आने जाने के, ट्रांसपोर्ट के साधन बहुत खराब हैं। कच्चे माल के आने का और तैयार शुदा माल की बिक्री का कोई साधन नहीं है। इस समय हमारे सूबे की जो औद्योगिक श्रम नीति है उसकी वजह से हमारे यहां कपड़े और सूत के व्यापार को बिहार, बंगाल, बाम्बे, नागपुर और अहमदाबाद आदि प्रदेशों ने कैप्चर कर लिया है।

अगर हम यहां के उद्योग धंधों को विभाजित करें तो तीन श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं---प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और कुटीर उद्योग। जहां तक प्राइवेट सेक्टर की बात है उसके सम्बन्ध में मैंने पहले ही बता दिया कि हमारे यहां १६८ कारखाने बन्द पड़े हैं लेकिन कोई भी उद्योगपति उनको खोलने की कोशिश नहीं कर रहा है। ऐसे उद्योगपति तो जरूर हैं जो सरकार से पैसा लेकर दूसरे कामों में लगाते हैं और उसका प्रमाण हमारी सरकार द्वारा बैठायी गयी फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी है। इस कमेटी के बैठने से पहले ही ५० लाख रुपये की रकम लक्ष्मीरतन इंजीनियरिंग वर्क्स को दे दी गयी, ९० लाख रुपया जे० के० काटन स्पिनिंग ऐण्ड वीविंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, बाम्बे को देदी गई, एक लाख पांच हजार रुपया मास प्रोडक्शन इंडिया लिमिटेड को दिया गया तथा १४५ लाख रुपया न्यू सेन्ट्ल जूट मिल्स, कंपनी को सोडा ऐश फैक्ट्री वाराणसी में खोलने के लिये दिया गया। कर्जा तो पहले ही दे दिया गया और उसके बाद सन् ५६ में फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी बैठायी गयी। इनके लिये सरकार रुपया बांटने के लिये बैठी हुई है लेकिन आज तक कोई कारखाना नहीं खुल सका है। अभी यह भी निश्चय नहीं हो पाया है कि वाराणसी में खुलने वाला कारखाना पब्लिक सेक्टर में होगा या प्राइवेट सेक्टर में और १४५ लाख रुपया दे दिया गया। जब तक यह ही तय नहीं हो पाया था तब तक यह रुपया क्यों उन लोगों को दिया गया? अगर यह रुपया दूसरे काम कामों में लगाया जाता तो प्रदेश का प्रोडक्शन बढ़ता।

इसके बाद हमारा पब्लिक सेक्टर आता है। इसमें तो हमारी सरकार बिलकुल बेकार ही साबित हुई है। माननीय मंत्री जी ने जो फिगर्स प्रस्तुत की हैं, उनको देखने से ही इस विभाग के प्रशासन की इनएफीशियेन्सी मालूम होती है। यहां पर एक प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री सन् १९५० में ३,६६६ हजार रुपया लगा कर खोली गयी है। चार साल तक फैक्ट्री ने कुछ नहीं किया। पांचवें वर्ष १९५३-५४ में ४३० हजार का घाटा हुआ यानी कुल कैपिटल का नवां भाग अर्थात् पौने बारह प्रतिशत का घाटा हुआ। इसके बाद माननीय मंत्री जी ने बड़े जोरदार शब्दों में कहा कि अब कंपनी की हालत सुधरती जा रही है। अब उस सुधार की हालत को देखिये। १९५४-५५ में १३ आना १० पाई प्रतिशत मुनाफा हुआ। सातवें वर्ष १९५५-५६ में १ रु० ९ आना प्रतिशत और १९५६-५७ में ढाई रुपया सैकड़ा मुनाफा हुआ। चार साल में पुराना जो नुकसान हुआ है उसको भी पूरा नहीं कर पायेंगे।

इसके बाद चुर्क सीमेंट फैक्ट्री आती है। उसका भी बड़ा जोर है। बड़ी अच्छी किताब भी इस बार छाप कर बांटी गयी है। लिफाफे के अन्दर किताब बन्द रखी गयी थी। लेकिन उसकी हालत देखें तो सबसे खराब हालत इस चुर्क सीमेंट फैक्ट्री की है। सन् १९५५-५६ में इस फैक्टरी में १,७७,५०० टन सीमेंट का उत्पादन हुआ और सन् १९५६-५७ में १,९७,७९० टन सीमेंट का उत्पादन हुआ। प्रोडक्शन तो बढ़ा लेकिन कास्ट आफ टोटल प्रोडक्शन क्यों बढ़ा? कायदा यह होता है कि जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो कास्ट आफ टोटल प्रोडक्शन गिरता जाता है। लेकिन इस सीमेंट फैक्टरी का प्रोडक्शन तो बढ़ता जाता है लेकिन उसके साथ ही साथ उसका कास्ट भी बढ़ता जाता ह। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सन् १९५६-५७ में १३ लाख ६२ हजार

मुनाफे की बात कही, लेकिन मेरे हिसाब से इस साल २३ लाख रुपया मुनाफे का होना चाहिये। अगर वे मेरे सुपुर्द वहां का हिसाब किताब करें, तो मैं उनको दिखला सकता हूं और इसमें ५-७ लाख रुपये का जो गोलमाल हुआ है, वह उनके सामने रख सकता हूं।

मान्यवर, इस तरह से यहां पर कानपुर इलेक्ट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन को नेशनलाइज करके सरकार ने उसको अपने हाथ में लिया है और इसका भी काफी प्रचार है। यह १० साल से सरकार के हाथ में है। सन् १९४७ से अब तक बिजली के उत्पादन में ६६ प्रतिशत की वृद्धि हुई है और सन् १९४८ से कानपुर कम्पनी की बिजली की कीमत करीब ५० प्रतिशत बढ़ी है लेकिन इसका मुनाफा महज सवा २ प्रतिशत है, जब कि दूसरी बिजली कम्पनियां व सीमेंट कम्पनियां जो हैं, वे ८ प्रतिशत से लेकर १२ प्रतिशत तक अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंट देती हैं। लेकिन यह सरकार सवा दो रुपया, १२ आने, ढाई और ४ रुपये सैकड़े पर रोजगार करती है। अगर यही तरीका रहा तो इस प्रदेश की जनता यही कहेगी कि सरकार को पान की दूकान चलाने का भी सऊर नहीं है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि अगर सरकार को रोजगार करना नहीं आता है तो वह इन मैनेजरियल कंसर्न्स को खतम कर दे और दूसरों को देदे, क्योंकि उसके आफिसर्स कार्यकुशल नहीं हैं, परिश्रमी नहीं हैं, व्यवहारिक नहीं हैं, उनको रोजगार का कोई ज्ञान नहीं है। इसलिये सरकार को चाहिये कि इसके लिये डाइरेक्टर्स कायम किये जायं जिसमें विधान सभा के प्रतिनिधि रहें, सरकार के प्रतिनिधि रहें और साथ ही साथ मजदूरों के भी प्रतिनिधि रहें और इनकी बैलेंस शीट निश्चित तिथि को निकले।

इसी तरह से चुर्क सीमेंट फैक्टरी के सीमेंट के वितरण का जो तरीका है वह भी अजीब सा है। सरकारी पार्टी के ऐसे लोग जो चुनाव में हार गये हैं, उनको कहीं न कहीं रोजी रोजगार दिलवाना है, उनको ही सीमेंट वितरण के लाइसेंस व परमिट दिये जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज कहती हैं कि कोआपरेटिव सोसाइटीज की मार्फत सीमेंट वितरण कराइये, लेकिन सरकार कहती है कि नहीं, जो अनाथालय में भर्ती होने के लायक हैं उन्हीं के मार्फत या उन्हीं को सीमेंट का परमिट दो। इस तरह से ऐसे ही लोगों को सीमेंट का कोटा दिया गया है। इस सम्बन्ध में बहराइच का एक उदाहरण दूं। वहां के एक सज्जन जो पहले असेम्बली के मेम्बर थे उनके नाम यहां का कोटा दिया गया था जब उनके ऊपर डिसक्वालिफिकेशन का चार्ज आने लगा तो उन्होंने उस से इस्तीफा दे दिया और वहां का चार्ज वहीं के श्री मदनलाल नामक एक व्यक्ति को दे दिया। तो सरकार अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिये अपने आदमियों को सीमेंट का लाइसेंस देती है और उनके ही मार्फत सीमेंट का वितरण कराती है। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह इन कमियों को दूर करे।

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो गया।

***श्रीमती चन्द्रावती** (जिला बिजनौर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग के सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो मांग प्रस्तुत की गयी है उसके समर्थन हेतु मैं खड़ी हुई हूं। यह मांग ५,५७,७४,००० रुपये की है जो हमारे सामने रखी गई है। यदि धनराशि के आंकड़े को देखें तो पूरे प्रदेश में उद्योग की समस्या को हल करने के लिये यह बहुत ही अल्प धनराशि है, किन्तु फिर भी जितना भी रुपया हम दूसरे साधनों से बटोर कर इस कार्य पर खर्च कर सकें उससे उतना ही अधिक प्रोत्साहन मिल सकता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और जो सफलता के साथ हमारे प्रदेश में योजना चलायी जा रही है उसके द्वारा हम प्रगति की ओर जा रहे हैं। कोई भी इस से इन्कार नहीं कर सकता कि प्रगति हुई है। मैं बहुत-सी बातों के कहने में असमर्थ हूं, क्योंकि समय की ओर जब निहारा जाता है तो अपने जो भाव और सुझाव हैं उनको बटोर कर थोड़े से में ही संकेतमात्र ही कहना पड़ता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती चन्द्रावती]

हमारे प्रदेश के जो प्रमुख उद्योग धंधे हैं उनमें एक कांच का भी उद्योग है हमारे यहां ३० ऐसे कांच के कारखाने हैं। उनमें कांच के बर्तन और हर तरह का बढ़िया सामान बनता है और सारे देश के सामने वे कारखाने उच्च कोटि का माल बनाकर प्रस्तुत करते हैं। यहां पर सन् १९५६-५७ में जो कांच का सामान निर्यात होता था वह ४ लाख ९६-९७ हजार मन तक किया गया है। मैं इसको अधिक रूप-रेखा न बता कर केवल अपने आशय पर ही आना चाहती हूं। मैं अपने जिले बिजनौर की तरफ, जो माननीय वित्त मंत्री जी का अपना जिला है, उसकी तरफ ही ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। हमारे यहां बालावली का जो कांच का कारखाना है उसमें जो सामान बनता है वह आज प्रदेश के कोने-कोने में बिक रहा है। बड़े अच्छे ढंग से वहां काम होता है और अगर देखा जाय तो बहुत अच्छा सामान, जिसको देखकर उसका अन्दाजा किया जा सकता है, वहां बनता है और देखकर ही कहा जा सकता है कि किसी उच्च कोटि के कारखाने से बनकर यह सामान आया होगा। वही मेरा निर्वाचन क्षेत्र है और मैं उस की कुछ रूपरेखा आपके सामने रखना चाहती हूं। आज उसकी दशा ऐसी है कि वहां के इस कारखाने का नाम लेने में भी मुझे शर्मिन्दगी मालूम होती है। यह प्राइवेट सेक्टर के द्वारा चलाया जा रहा है और उसके साझीदारों के द्वारा जो उसका प्रबन्ध है वह इस कदर बिखरा पड़ा है और वहां के लेबरर्स इस कदर खराब अवस्था को पहुंच गये हैं कि उनको ६-६ और ८-८ मास तक वेतन नहीं मिलता। इतना अच्छा सामान बनाने के बाद हालत वहां की यह है। अभी कुछ दिन हुआ कि कुछ रुपया कोआपरेटिव बैंक से इस फैक्टरी को चलाने के लिये कर्ज दिया गया था किन्तु उस पर भी जो बेचारे काम के करने वाले लेबरर्स हैं उनको कुछ नहीं मिला और वह साझीदारों ने आपस में ही बांट लिया और वह रकम भी प्राफिट मेकिंग का साधन बन गयी। मेरा सुझाव है, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि इस प्रदेश में बहुत सी फैक्टरीज प्राइवेट सेक्टर में होने की वजह से आज बहुत खराब हालत में हैं और एक अव्यवस्था का उनमें वातावरण है। यदि सरकार इस फैक्टरी को भी अपने हाथ में लेकर वहां के कांच के धंधे को चलाने का प्रयत्न करे तो उसमें काम करने वाले जो लेबरर्स हैं उनका भला तो होगा ही, साथ ही जो सामान वहां बनता है वह भी ऊंचे दर्जे का बनेगा और प्रदेश की और देश की शोभा को बढ़ायेगा।

इसके साथ ही कुछ दूसरे उद्योग धन्धे हैं जो कि हमारी नगीना तहसील से सम्बन्ध रखते हैं। वहां आबनूस का उद्योग बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है और वह वहां एक विशेष प्रमुखता रखता है। आज जिलेवार सर्वे कि किस जिले में कौन सा उद्योग प्राचीन काल से चला आ रहा है, ऐसा सर्वे अगर हो तो उसमें मैं सोचती हूं कि हमारे यहां यह उद्योग धन्धा उसमें आयेगा। हमारे यहां नगीना तहसील में आबनूस की लकड़ी जो होती है उसका उद्योग एक मुख्य उद्योग है। इसको अगर कुछ प्रोत्साहन दिया जाय और इसको कुछ ऊंचा उठाया जाय तो मुझे विश्वास है कि यह विदेशों में जाकर हमारे यहां के प्राचीनकाल के इतिहास के गौरव को बढ़ायेगा।

इसके साथ ही बिजनौर जिले में एक और उद्योग होता है, वह है खादी बुनने का उद्योग। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में खादी बुनने वाले ऐसे कुशल व्यक्ति रहते हैं कि अगर उनके हैंडीक्रैफ्ट्स के नमूने को आप देखें तो चकित रह जायेंगे। वह अनपढ़ हैं लेकिन उनकी डिजाइन्स को आप देखें और जो परदे के नमूने हमको यहां दिखाये गए हैं, उनके परदे को आप देखें तो आप देखेंगे कि कितना अच्छा परदा वह बनाते हैं। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि हम इन परदों को बाहर भी भेजते हैं। इस तरह के वहां बहुत से कारीगर हैं जो कि अनपढ़ हैं लेकिन जिनके अन्दर ऐसी शक्ति है जो कि पढ़े हुए लोगों के अन्दर नहीं आ सकती। उस उद्योग को भी अपनाया जाना चाहिए।

यहां पर सभी ओर से किस प्रकार से किसी उद्योग को उठाना चाहिए उसके सुझाव सदस्य अवश्य ला रहे हैं, लेकिन सबसे पहला मेरा सुझाव दूसरी बात के लिए है और वह यह कि अगर आप कुटीर उद्योग धन्धों को बढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए आपको

मार्केटिंग की फैसिलिटी भी देना अनिवार्य है। यदि आप मार्केटिंग फैसिलिटी नहीं देंगे तो वहां की जनता को उससे कोई लाभ नहीं होगा। इस ओर मैं अपना एक छोटा सा सुझाव देना चाहती हूं कि हर जिले में जो भी छोटा उद्योग आप शुरू करना चाहें वह एक देहाती क्षेत्र में यूनिटवाइज शुरू करना चाहिए और यूनिट का आपका क्षेत्र ऐसा होना चाहिए कि हर पांच मील के अन्दर आपकी एक यूनिट एसे कार्य करने के लिए हो जाये। साथ ही उन सब यूनिट्स से सम्बन्धित एक हेड आफिस भी होना चाहिये जहां पर कि सारे जिले की चीजें, जो इन उद्योगों द्वारा तैयार हों, वह उस हेड आफिस पर आवें और वहां से उनको बाहर भेजा जाय। छोटे उद्योग धन्धों में जैसे स्वेटर बुनना है, या अम्बर चरखा है, दियासलाई है, बांस और बेंत का बुनना है, रेशमी उद्योग-धन्धा है, कागज का और फ्रूट प्रिजर्वेशन का उद्योग है, चमड़े का उद्योग धन्धा है, सींग और हड्डी के कंघे वगैरह बनाने का उद्योग है, यह सब उद्योग उसमें आते हैं। इसके अलावा बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनको घरेलू स्त्रियां अपने घरों में तैयार कर सकती हैं और उनसे कुछ जीविका कमा सकती हैं। जो टाइम वह गप्पों में बिताती हैं वही टाइम वह स्वेटर बुनने आदि के कामों में लगायें तो उससे कुछ पैसे भी पैदा कर सकती हैं। ऐसी हालत में कुछ कुछ थोड़ा सा रुपया इसके लिए ज्यादा रख दिया जाय, देहाती क्षेत्रों के लिये, तो उससे ज्यादा लाभ होगा, हानि की तो सम्भावना है ही नहीं। आज हम चारों ओर से चिल्ला रहे हैं कि गरीब भाइयों को रुपया नहीं मिल पाता है, उनकी मजदूरी नहीं बढ़ पाती है, वह हम उनको घर बैठे दे सकते हैं।

फ्रूट प्रिजर्वेशन की स्कीम ऐसी है, मैं सोचती हूं कि हर एक जिले में फलों का उत्पादन और प्रयोग अलग अलग ढंग से होता है। अचार, मुरब्बा बनाने के तरीके भी एक अलहदगी लिये हुये होते हैं। इसके लिये अगर ज्यादा समय हम फ्रूट प्रिजेर्वेशन में लगाकर उसको बाहर व्यापार को दृष्टि से भेजने का साधन बनायें तो अच्छी आमदनी हो सकती है और इस तरह जो फल कुछ दिनों के बाद बिल्कुल बेकार हो जाते हैं उनका सही उपयोग भी समय पर अच्छे स्वाद के साथ कर सकते हैं।

अन्त में वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि वह कम से कम अपने हाथों से नगीने के आबनूस की लकड़ी के कार्य को प्रोत्साहन देते जायं। जो हमारे यहां खादी का काम है वह भी इतना बिखरा हुआ है और मैं सोचती हूं कि अगर उसको देखा जाय और खादी बनाने वालों की संख्या देखी जाय तो हमारे यहां का नम्बर उसमें आता है। उनको भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

जो बालावली का कारखाना है इसके लिये सरकार को विशेष सतर्क होना चाहिये क्योंकि वहां की दशा बहुत खराब है, वहां के कर्मचारी बहुत बुरी दशा में फिरते हैं और वहां के कार्य का स्तर भी बहुत गिरा हुआ है।

श्री उपायक्ष (श्री राजनारायण जी से)—अब आप कल बोलियेगा।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२५ मार्च, १९५८।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२७ पर)

APPENDIX

District	Total amount sanctioned on applications	Amount released against sanctions
Agra	37,38 900	30,50,249
Allahabad	13,66,700	9,84,610
Aligarh	9,25,000	4,41,750
Azamgarh	1,28,400	81,000
Almora	99,000	88,300
Varanasi	21,03,300	15,85,336
Basti	1,74,000	93,100
Bijnor	73,000	41,150
Bareilly	9,87,900	5,84,050
Badaun	24,500	16,500
Banda	47,400	12,700
Bara Banki	2,24,500	1,13,600
Bahraich	75,500	45,300
Bulandshahr	1,42,500	65,400
Ballia	1,72,500	71,500
Dehra Dun	2,25,000	1,51,000
Deoria	1,41,900	87,800
Etah	7,31,800	1,92,450
Etawah	76,000	29,100
Faizabad	65,500	43,500
Farrukhabad	95,500	63,100
Ghazipur	1,82,300	1,25,700
Gonda	3,39 400	2,00,300
Gorakhpur	2,48,000	1,24,950
Hamirpur	2,32,000	69,300
Hardoi	1,19,500	71,000
Jhansi	1,76,500	54,400
Jaunpur	64,000	14,600
Kanpur	94,69,500	86,36,998
Lakhimpur	2,20,500	1,64,000
Lucknow	26,46,000	21,36,200
Muzaffarnagar	8,27,000	3,61,900
Meerut	8,18,500	4,79,200
Mainpuri	2,26,500	89,000
Moradabad	49,000	25,700
Mirzapur	1,50,000	1,04,650
Mathura	3,54,800	1,65,900
Naini Tal	2,85,000	22,350
Orai (Jalaun)	2,87,000	1,51,400
Pauri Garhwal	1,94,200	1,49,060
Pilibhit	79,000	43,300
Pratapgarh	9,000	4,200
Rampur	69,500	58,500
Rae Bareilly	1,94,500	1,56,050

District	Total amount sanctioned on applications	Amount released against sanctions
Saharanpur	12,64,000	8,29,750
Sitapur	1,59,000	1,18,200
Sultanpur	99,500	54,600
Shahjahanpur	39,000	5,600
Tehri-Garhwal	33,500	15,000
Unnao	1,28,000	95,200

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२७ पर)

विवरण-पत्र

(अनुदान)

	१९५१–५२	१९५२–५३	१९५३–५४	१९५४–५५	१९५५–५६	कुल
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
उरई	..	..	४०,०००	१८,४००	२५,२००	८३,६००
कोंच	..	३०,०००	..	११,१००	२५,६५०	६६,७५०
जालौन	..	३०,०००	..	७,५००	१२,२००	४९,७००
कालपी	३७,६६४	८,९५४	४५,५१५	३५,८६९	३१,८५०	१,५९,८५२

सत्यमेव जयते

विवरण-पत्र

(कर्ज)

(यह विवरण-पत्र यह दिखाता है कि निम्नलिखित नगरपालिकाओं को कितना कर्ज दिया गया और कितना उन्हें सरकार को अदा करना है)

	१९५१-५२		१९५२-५३		१९५३-५४		१९५४-५५		१९५५-५६	
	कर्ज	बकाया	कर्ज	बकाया	कर्ज	बकाया	कर्ज	बकाया	कर्ज	बकाया
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
उरई	..	..	१,३१,३००	१,३१,३००	२,५७,०००	२,५७,०००	१,१०,०००	१,१०,०००	४,४६,०००	४,४६,०००
कोंच	..	..	..	..	..	..	१०,०००	८,०००	..	..
जालौन	..	..	..	..	..	..	९०,०००	८१,४३४·३२	..	..
कालपी	..	..	..	..	..	..	२०,०००	१८,६७०·७५	..	..

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३४ पर)

District Advisory Committee—P.W.D.—their Constitution and Rules of Business

1. A District Advisory Committee shall be constituted in each district to advise the P.W.D. Officers in all matters relating to the P.W.D.

2. The Committee shall be deemed to be a Sub-Committee of the District Planning Committee.

3. The Committee shall consist of the following :

(*a*) Representative of the district concerned in the State Legislature and the Union Parliament.

(*b*) President of the Municipal Board of the headquarters town/the Administrator in the KAVAL towns/Administrator of the superseded Municipal Board.

(*c*) Vice-President of the District Planning Committee.

(*d*) District Planning Officer.

(*e*) President of the District Board.

(*e*-1) Convenor, Bharat Sewak Samaj.

(*f*) District Engineer, P.W.D. or if there is no District Engineer, an Assistant Engineer to be nominated by the Executive Engineer, P.W.D. of the Division concerned.

(*g*) The Executive Engineer, P.W.D. and the Superintending Engineer, P.W.D., if any, in the district, shall be *ex-officio* members of the Committee.

4. The Committee shall have the right to co-opt members to consider special matters only and the membership would terminate when that special matter no longer engages the attention of the Committee.

5. The term of membership of the Committee shall extend for a period of three years or for the period for which the members hold their respective offices or continue as the elected members of the State Legislature and Union Parliament, *whichever is earlier*.

6. Whenever necessary, the Executive Engineer, P.W.D. may call jointly the meetings of two or more Advisory Committees.

7. A member of the Committee shall be elected as its President by a majority of votes of two-third of the members of the Committee. If a committee fails to elect a President in this manner, the State Government shall nominate a President out of the members of the Committee. The term of the President shall ordinarily be for one year unless terminated earlier.

8. The District Engineer, P.W.D. of the District shall be the *ex-officio* Secretary of the Committee. At the divisional headquarters of the P.W.D. where there are no District Engineers, the Executive Engineer, P.W.D. shall nominate one of his Assistant Engineer to act as Secretary of the Committee.

9. It shall not be open to the Committee to consider: (i) matters concerning the P.W.D. staff which relate to their appointment, promotion, transfer or relate to the general administration of the Department, and (ii) matters which are not in the public interest to lay before the Committee.

10. The functions of the Committee shall be purely advisory. Press representatives shall not ordinarily be admitted to the meetings of the Committee.

11. The meetings of the Committee shall be held at such place as the President may decide.

12. The Secretary shall call the meetings of the Committee as often as necessary but at least once in three months on the dates to be fixed by the President.

13. The agenda of the meeting shall be prepared by the Secretary who shall lay before the Committee such papers as may be necessary for the full consideration of each item of the agenda. The proceedings of the meeting shall be confined to the items included in the agenda unless the President allows other matters to be discussed. A report of the proceedings shall be prepared by the Secretary.

14. Copies of the proceedings of the meetings of the Committee shall be forwarded to the District Planning Committee and to the Executive Engineer concerned for suitable action.

15. No travelling allowances shall be admissible to the members of the Committee.

Extract from G. O. no. 2365 MSIXXIII—P.W.C.—23MSA/1955, dated July 25, 1957, from under Secretary to Government, U.P., Public Works Department, to the Chief Engineer, Public Works Department.

Subject: **Election of the Presidents of the District P.W.D. Advisory Committee**

WITH reference to your U. O. note no. 391PLG—/10PL-56, dated March 29, 1957, on the subject mentioned above, I am directed to say that in terms of Rule 5 if the Constitution and Rules of Business of the District Public Works Department Advisory Committees, such M.L.As. and M.Ps. of the outgoing Legislature who have not been elected to the State Legislature or the Union Parliament in the Second General Elections cannot continue to be the members of the PublicWorks Department District Advisory Committees and therefore they will have to leave the membership of the Committees,I am therefore, to request that directions may kindly be issued to all the Secretaries of the Committees to the effect that they should immediately reconstitute the Advisory Committees by adding such members in the Committees who have been elected to the State Legislature and the Union Parliament in the Second General Elections and by dropping those of the outgoing members of the State Legislature and the Union Parliament.

2. I am to add that in accordance with the provisions contained in Rule 5 of the Constitution and Rules of Business of the P.W.D. District Advisory Committees, such M.L.As. and M.Ps. who were holding the offices of the Presidents of the District Advisory Committees cannot continue to hold it now in case they have not been returned to the State Legislature or the Union Parliament in the Second General Elections. I am, therefore, further to request that directions may also kindly be issued to the Secretaries of the Committees to this effect that in such cases only they should call a meeting immediately, after duly serving proper notices on all the members of the Committees, for the election of the Presidents of such Committees.

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३९ पर)

जिला शाहजहांपुर में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पक्की की जाने वाली सड़कें

नयी योजना

नव-निर्माण	लम्बाई	लागत
१	२	३
	मील फर्लांग फीट	लाख रुपये
१—अलाहगंज-रघुनाथपुर-राजपुर ..	४ ० ०	
२—जरेनपुरससयां सेक्शन (पी० एच०) ..	१६ ० ०	
३—गोला-बिलसन्डा	१८ ० ०	
योग ..	३८ ० ०	१९.००

कच्ची सड़कों को पक्की करना—

४—शाहजहांपुर-निगोही बीसलपुर ..	२१ ० ०	७.५०

चालू योजना

५—पवांया-घाट मलानी सड़क	९ ६ ०	
६—घाई घाट-जलालाबाद ..	१ ६ ०	
योग ..	११ ४ ०	

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४३ पर)

सन् १९५७ में प्रदेश की प्रत्येक कमिश्नरी को कोयला चूर तथा सीमेंट के नियतन तथा प्राप्ति का विवरण

नाम कमिश्नरी		कोयला चूर नियतन	संख्या वैगनों में प्राप्ति	सीमेंट नियतन	संख्या टनों में प्राप्ति
१		२	३	४	५
१—मेरठ	..	१,८१७	१,५९९	३०,१६६	२७,३९७
२—आगरा	..	१,३०६	१,२०५	२७,४४०	२२,८७२
३—रुहेलखंड	..	१,४११	६३३	२५,१९२	१७,२१३
४—कुंमायूं	..	६२	१७	९,७६८	५,९३७
५—इलाहाबाद	..	१,९०१	९७४	२६,९०२	२१,७१०
६—झांसी	..	१८२	६८	६,८४८	७,१०३
७—लखनऊ	..	१,२०४	३६७	२०,७१८	१६,७७५
८—गोरखपुर	..	८०८	५८६	१६,५७७	१६,०७३
९—वाराणसी	..	१,०७०	६५६	१९,३३६	१७,५३४
१०—फैजाबाद	..	७९५	४९०	१६,२०४	१३,५८५
योग	..	१०,५५६	६,५९५= ६२%	१,९९,१५१	*१,६६,१९९= ८३%

*इन प्राप्तियों में १९५७ के नियतन तथा इससे पहले के नियतन की प्राप्तियां भी सम्मिलित हैं।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४३ पर)

१९५७ में प्रदेशीय कोटे से भट्ठे का कोयला पाने वाले भट्ठों की जिलावार संख्या

नाम जिला	भट्ठों की संख्या	नाम जिला	भट्ठों की संख्या
१	२	१	२
१—देहरादून ..	१२	२६—बस्ती ..	१०
२—सहारनपुर ..	९४	२७—आजमगढ़ ..	५८
३—मुजफ्फर नगर ..	५७	२८—देवरिया ..	२०
४—मेरठ ..	१७१	२९—फैजाबाद ..	३५
५—बुलन्दशहर ..	७९	३०—गोंडा ..	१९
६—अलीगढ़ ..	६९	३१—बहराइच ..	१५
७—मथुरा ..	२९	३२—सुल्तानपुर ..	७
८—आगरा ..	५२	३३—प्रतापगढ़ ..	१०
९—मैनपुरी ..	२९	३४—बाराबंकी ..	३८
१०—एटा ..	३०	३५—फर्रुखाबाद ..	३८
११—बरेली ..	४४	३६—इटावा ..	२२
१२—बिजनौर ..	३९	३७—कानपुर ..	८०
१३—बदायूं ..	३०	३८—फतेहपुर ..	१३
१४—मुरादाबाद ..	५५	३९—इलाहाबाद ..	४०
१५—शाहजहांपुर ..	१४	४०—बांदा ..	१
१६—पीलीभीत ..	१६	४१—हमीरपुर ..	३
१७—रामपुर ..	१४	४२—जालौन ..	७
१८—नैनीताल ..	८	४३—लखनऊ ..	६२
१९—गढ़वाल ..	१	४८—उन्नाव ..	१२
२०—वाराणसी ..	३९	४५—रायबरेली ..	१३
२१—मिर्जापुर ..	३८	४६—सीतापुर ..	२०
२२—जौनपुर ..	३६	४७—हरदोई ..	१२
२३—गाजीपुर ..	१९	४८—खीरी ..	१६
२४—बलिया ..	१४	४९—झांसी ..	१
२५—गोरखपुर ..	३३		
	योग ..		१,५६६ भट्ठे

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४५ पर)

नाम	जिला
१	२
१—विश्वनाथ	फर्रुखाबाद
२—हफीजुल्ला	मेरठ
३—लीला	शाहजहांपुर
४—ओम प्रकाशा उर्फ ओमा	आगरा
५—फूरासिंह	मुजफ्फरनगर
६—बालमुकन्द	फतेहपुर
७—द्वारिका	शाहजहांपुर
८—ननकई	खीरी
९—सुलेमान	आगरा
१०—सीताराम	लखनऊ
११—हबीब खां	सीतापुर
१२—महेन्द्र	हरदोई

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४५ पर)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नई पक्की सड़कों की तालिका

नवीन योजना के अन्तर्गत	लम्बाई			लागत
१	२			३
	मी०	फ०	फि०	रु०
(१) चंदौसी-सम्भल	१७	०	०	८,५०,०००
(२) सम्भल-हसनपुर	२१	०	०	७,४८,२००
चालू योजना				
(३) सम्भलपुर-बहजोई	४	०	०	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'श'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४७ पर)

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला बस्ती में निर्मित सड़कों तथा पुलों की सूची

नव-निर्माण—

सड़क का नाम	लम्बाई		मार्च, १९५६ तक की प्रगति	
१	२		३	
	मील	फ०	मील	फ०
१—बांसी-नौगढ़	९	६	९	६
२—नौगढ़-शोहरतगढ़	१४	२	१४	२
योग ..			२४	०

लोकल मार्गों का पुनर्निर्माण—

३—बस्ती-डुमरियागंज बढ़नी	५०	४	४४	६
४—खलीलाबाद-मेंहदावल	१५	०	१५	०
५—खलीलाबाद-मुखलिसपुर	१२	२	१२	२
६—बस्ती-बांसी	३२	२	३२	२
७—शोहरतगढ़-नैपाल बार्डर मार्ग ..	५	४	५	४
योग ..			१०९	६

कच्ची सड़कें—	लम्बाई		मिट्टी का कार्य		पुल तथा पुलियां	
१	२		३		४	
	मी०	फ०	मी०	फ०	मी०	फ०
८—मेहदावल-बनकटा	१०	०	१०	०	१०	०
९—बनकटा-बांसी	१०	०	१०	०	९	०
योग ..			२०	०	१९	०

सीमेंट कन्क्रीट ट्रैक्स—

	प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्मित की गई लम्बाई ।	
	मी०	फ०
१०—खलीलाबाद-मेंहदावल	१	२
११—बस्ती-मेंहदावल	३	०
१२—बस्ती-डुमरियागंज	१	०
१३—बमनान-हरैया	५	०
योग ..	१०	२

पुल	अनुमानित लागत	कार्य आरम्भ होने की तिथि	कार्य समाप्त होने की तिथि
१	२	३	४
१—बांसी-नौगढ़ सड़क पर राप्ती नदी पर बांसी पर पुल ..	१४·७७ लाख रु०	मार्च, १९५५	जुलाई, १९५७
२—खलीलाबाद-मेंहदावल सड़क पर आमी नदी पर बालूसासन घाट पर पुल	३·२७ लाख रु०	दिसम्बर, १९५५	जुलाई, १९५७

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४६ पर)

खीरी जिले में सड़कों की सूची जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन है

सड़क का नाम	कुल लम्बाई मीलों में	पक्की लम्बाई मीलों में	बरसात में खुली रहती है या बन्द हो जाती है
१—सीतापुर-लखीमपुर ..	८	८	खुली
२—लखीमपुर-शाहजहांपुर ..	५२	५२	,,
३—लखीमपुर-ईसानगर ..	२८ ५/८	१७ ५/८	११ मील कच्चा भाग बन्द हो जाता है ।
४—लखीमपुर-निघासन ..	२२	१८	बरसात में यातायात नाव द्वारा होता है ।
५—निघासन-बिलरायन ..	११ १/४	७ १/४	बन्द
६—पलिया-त्रिकुलिया खजुरिया	२३	२१	खुली
७—सुमेरपुर-शाखा जो ऊपर की सड़क से जाती है ।	४ १/२	४ १/२	खुली
८—पलिया-मीरा ..	६	६	मील ४ में शारदा नदी है जिसको नाव द्वारा ही पार किया जाता है ।
९—लखीमपुर-औरंगाबाद ..	२६	१३	बन्द
१०—ओयल-बेहजय नीमगांव ..	१५ १/४	१५ १/४	खुली
११—खीरी-लगुचा ..	५ १/४	५ १/४	खुली
योग	२०७ ७/८	१६७ ७/८	

सीमेंट कांक्रेट ट्रैक्स

नाम	लम्बाई	बरसात में बन्द हो जाती है या खुली रहती है ।
	मील	
१—गरथनिया-ककराहा	८	बरसात में यातायात कठिन हो जाता है ।
२—ममरी-पिपरिया रोशन नगर ..	६	बन्द
३—राजागंज-बिजोमि	२	खुली
४—बिल्हारी-बेवहा ..	५	खुली
५—कुकरा से कुरा रेलवे स्टेशन ..	३ १/२	खुली
६—अलीगंज-सुनारीपुर	२	खुली
७—गोला-सिकन्दराबाद	७	खुली
८—गोला-संसारपुर	७	खुली
९—गोला-कुकरा	६ ६/८	खुली
१०—गोला-अलीगन्ज	५	खुली
११—सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़क से खमरिया फैक्टरी व इब्राहीमपुर ..	२ ६/८	खुली
१२—खमरिया से खन्वापुर की तरफ ..	२ १/२	खुली
१३—लखीमपुर-देवकली	१	खुली

कच्ची सड़कें जिनका रख-रखाव सरकारी अनुदान से किया जाता है

सड़क का नाम—	लम्बाई मी०	फ०	फि०
१—फूलबिहार श्रीनगर	२	२	०
२—खोरिया फूलबिहार	९	०	०
३—खोरिया बड़ागांव	१	६	०
४—रमैया बिहार निघासन	१२	०	०
५—अलीगंज भादर	४	०	०
६—बिजवा भादर	८	०	०
७—मीरा बिजवा	८	०	०
८—पलिया फला बेला	५	०	०
९—बंखानी रेलवे फीडर	३	०	०
१०—मोहम्मदी रामपुर मिश्र	४	०	०
११—पसगांवा बरखेरवा जंगबहादुरगंज	४	०	०
१२—रमैया बिहार से ईसानगर हसनपुर कटौली	२५	०	०
१३—पान्हापुर से इन्चोलिया	३	०	०
योग ..	८९	०	०

जिला बोर्ड की वे सड़कें जो बरसात के दिनों में बन्द हो जाती हैं—

१—रमैया बेहर से निघासन	१२	०	०
२—बिजवा भादर	८	०	०
३—रमैया बेहर से ईसानगर हसनपुर कटौली	२५	०	०
४—मोहम्मदी पवैया	६	४	०
५—गोला कुकरा मीरा	१७	६	०
६—सिघाई से खैरीगढ़	४	७	२३२
७—खैरीगढ़ से किला	४	०	०
८—धौरहरा से मतिरा	८	०	०
९—कस्ता पलिया नीमगांव फरदहां	१०	०	०
१०—पलिया दुदवा	६	०	०
११—गोला अलीगंज से ग्रान्ट फजलनगर बस्लीपुर होती हुई ..	५	०	०
योग ..	१०७	१	२३२

जिला बोर्ड की सड़कों की सूची

पक्की सड़कें—

सड़क का नाम	लम्बाई मी०	फ०	फि०
१—लखीमपुर खेरी	२	२	५७५
२—गोला अलीगंज	७	०	०

श्रमदान द्वारा पक्की बनाई गई सड़कें—

१—जंगबहादुर गंज पसगांव	३	६	०
२—कोंहरा फरधान	१	६	०
३—लखीमपुर सुन्दरवाल	१	६	०

कच्ची सड़कें—

सड़क का नाम				लम्बाई		
१—लखीमपुर मोहम्मदी	..	..	..	२७	५	३४०
२—लखीमपुर अलीगंज	..	..	..	१५	०	०
३—लखीमपुर शौरेहरा	..	..	..	१८	६	४२०
४—मोहम्मदी पसगांव	..	..	..	८	०	०
५—लखीमपुर खैरीगढ़	..	..	..	३१	०	०
६—लखीमपुर बहराइच	..	..	..	६	४	०
७—मोहम्मदी पवैया	..	..	..	६	४	०
८—गोला सीतापुर	..	..	..	२५	१	३१०
९—गोला कुकरा धीरा	..	..	..	१७	६	०
१०—बेलानिधासन	..	..	..	१७	०	०
११—रमैया बिहार मतिरा	..	..	..	५	०	०
१२—सिंधई ..	..	..	..	४	७	२३२
१३—खैरीगढ़ से किला	..	..	..	४	०	०
१४—धौरहरा मतिरा	..	..	..	८	०	०
१५—कस्ता पैला नीमगांव परदहां	..	..	..	१०	०	०
१६—पलिया ढोवा	..	..	..	६	०	०
१७—गोला अलीगंज से घाट फजलनगर, बस्लीपुर होती हुई			..	५	०	०
१८—रामपुर मिश्र से बारवार औरंगाबाद		..	..	१२	०	०
१९—सिंधई खखरौला घाट	..	..	..	११	०	०
२०—हेरा रोड के पन्द्रहवें मील से कबीरपुर तक समदहा होती हुई				६	०	०
२१—लगुचा से बहरामघाट	..	..	..	३	०	०
२२—कैम्हरा से फरदहां	..	..	..	१	६	०
२३—बारबार से जहांनीखेरा	..	..	..	६	४	०
		योग	..	२५६	४	६४२

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २७ एल० ए०—१९५८-८३५ ।